



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांक: वाणिज्य/2024-25/5179-5680

दिनांक 18.10.2024

- खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
..... (समस्त)
- उप रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ,
जिला (समस्त)
- क्षेत्रीय अधिकारी,
राजफेड,
..... (समस्त)
- मुख्य व्यवस्थापक,
क्रय-विक्रय सहकारी समितियाँ,
.....

विषय :- न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत खरीफ वर्ष 2024-25 में दलहन-तिलहन (मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली) की खरीद।

प्रसंग :- 1. उपायुक्त (एम.पी.एस.), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक एल-15016/85/2024-एम.पी.एस. (E-152591) दिनांक 15.10.2024 एवं पत्र क्रमांक एल-15016/87/2024-एम.पी.एस. (E-152707) दिनांक 16.10.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों के अनुसरण में न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत खरीफ वर्ष 2024-25 में कृषि जिन्स मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली क्रय हेतु कृषकों का पंजीयन एवं खरीद प्रक्रिया दिनांक 15.10.2024 से आरंभ की जा चुकी है। इस संबंध में आवश्यक निर्देश पत्र क्रमांक 4440-4592 दिनांक 14.10.2024 को जारी किये जा चुके हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत कृषि जिन्स मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली क्रय के संबंध में सामान्य जानकारी/प्रचार-प्रसार कराते हुए क्रय केन्द्र पर निम्नानुसार आवश्यक व्यवस्थाएँ किये जाने की सुनिश्चितता करें :-

1. खरीद अवधि -

उपायुक्त (एम.पी.एस.), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृत अनुसार खरीद लक्ष्य एवं अवधि निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	उपायुक्त (एम.पी.एस.), भारत सरकार का पत्र क्र. एवं दिनांक	जिन्स	आवंटित खरीद लक्ष्य अधिकतम (मै.टन)	खरीद अवधि
1.	एल-15016/85/2024-एम.पी.एस. (E-152591) दिनांक 15.10.2024	मूंग	203305	18.10.2024 से 90 दिवस तक
2.		उड़द	149240	
3.	एल-15016/87/2024-एम.पी.एस. (E-152707) दिनांक 16.10.2024	सोयाबीन	292465	18.11.2024 से 90 दिवस तक
4.		मूंगफली	503928	

2. समर्थन मूल्य दर -

संयुक्त निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 6-1/2024-एमएसपी दिनांक 24.06.2024 के द्वारा खरीफ 2024 दलहन-तिलहन के समर्थन मूल्य निम्नानुसार घोषित किये गये हैं :-

क्र.सं.	जिन्स	समर्थन मूल्य (रु. प्रति क्विंटल)
1	मूंग	8682
2	उड़द	7400
3	मूंगफली	6783
4	सोयाबीन (पीली)	4892



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

भारत सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य एवं गुणवत्ता मापदण्डों की प्रतियाँ पत्र क्रमांक 3400-3476 दिनांक 17.09.2024 के द्वारा प्रेषित की जा चुकी है। अतः समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत दलहन-तिलहन की खरीद एवं भण्डारण का कार्य निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुसार सम्पन्न कराया जाना है। नॉन एफ.ए.क्यू. जिन्स भण्डारण हेतु स्वीकार्य नहीं होगा एवं इसका राजफैड द्वारा भुगतान देय नहीं होगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जावे।

2. पंजीयन व्यवस्था

2.1 किसानों के पंजीयन की अवधि

राज्य के किसान मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली के विक्रय हेतु दिनांक 15.10.2024 से ऑनलाईन पंजीयन करवा सकेंगे। ऑनलाईन पंजीयन का समय प्रातः 9 बजे से सांय 7 बजे तक रहेगा।

2.2 पंजीकरण केन्द्र एवं पंजीकरण शुल्क

मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन विक्रय के इच्छुक किसान ई-मित्र पर पंजीकरण करवा सकेंगे। किसान द्वारा करवाये जाने वाले प्रत्येक पंजीकरण के लिए डीओआईटी द्वारा निर्धारित शुल्क देय होगा जो वर्तमान में प्रति पंजीकरण रुपये 31 है, यदि डीओआईटी द्वारा इन दरों में कोई संशोधन किया जाता है तो तदनुसार पंजीकरण शुल्क देय होगा।

2.3 पंजीयन हेतु आवश्यक दस्तावेज

पंजीकरण के समय निम्न दस्तावेज आवश्यक होंगे:-

1. जन-आधार कार्ड - एक जन-आधार कार्ड पर एक ही पंजीकरण मान्य होगा। जन-आधार कार्ड में अंकित नामों में जिस नाम से गिरदावरी होगी, उसी के नाम का पंजीकरण मान्य होगा। जन-आधार कार्ड महिला मुखिया के नाम होने के कारण एवं गिरदावरी पति के नाम होने की स्थिति में ऐसा एक पंजीयन स्वीकार किया जा सकता है।

2. बैंक पास बुक - राजफैड द्वारा किसानों के जन-आधार कार्ड में सीडेड बैंक खाते में विक्रय की गई जिन्स का भुगतान किया जाना है। कृषक पंजीयन से पूर्व जन-आधार कार्ड में अपने खाते नम्बर को अद्यतन (अंकित करवाना) कराना सुनिश्चित करें। खाता संख्या व आईएफएससी कोड में विसंगति के लिए कृषक स्वयं उत्तरदायी होगा। ई-मित्र/समितियाँ पंजीकरण से पूर्व प्रचलित बैंक खाते का जन-आधार कार्ड में अद्यतन होना सुनिश्चित करेंगे।

3. आधार आधारित बायोमेट्रिक अभिप्रमाणन -

आधार आधारित बायोमेट्रिक अभिप्रमाणन की सेवायें डीओआईटी द्वारा समर्थन मूल्य खरीद हेतु उपलब्ध नहीं कराने के कारण खरीफ 2024 में कृषकों के पंजीयन एवं खरीद प्रक्रिया संबंधी समस्त कार्य 'जन-आधार ओटीपी' द्वारा किये जा सकेंगे अर्थात् आधार आधारित बायोमेट्रिक अभिप्रमाणन की आवश्यकता नहीं होगी।

4. गिरदावरी - जिसके नाम गिरदावरी होगी उसी के नाम पंजीकरण मान्य होगा। एक जनआधार-कार्ड में एक पंजीयन की शर्त यथावत रहेगी। मूल गिरदावरी में परिवर्तन संशोधन सक्षम स्तर से अनुमोदन के बिना मान्य नहीं होगा। गिरदावरी में स्पष्टता की दृष्टि से जिला कलक्टर स्तर से राजस्व अधिकारियों को निम्नांकित बिन्दुओं पर विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये :-

4.1 गिरदावरी में रकबा हैक्टेयर में (अंको एवं शब्दों दोनों में) अंकित करना आवश्यक होगा।



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

- 4.2 गिरदावरी का पी- 35 का क्रमांक एवं दिनांक की अनिवार्यता ऑफलाईन गिरदावरी पर है, परन्तु ऑनलाईन गिरदावरी पर पी-35 का क्रमांक एवं दिनांक की अनिवार्यता को शिथिल किया जाता है।
- 4.3 फसल का रकबा हैक्टेयर में अंकित करना अनिवार्य होगा, बीघा में अंकित होगा तो उसे सॉफ्टवेयर द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा। गिरदावरी में बुआई क्षेत्रफल हैक्टेयर में अंको व शब्दों में अंकित होना चाहिए, पंजीकरण हेतु इच्छुक कृषक के हिस्से का स्पष्ट उल्लेख हो एवं बोई गई फसल का नाम व रकबा भी स्पष्ट हो।
- 4.4 ऑफलाईन गिरदावरी पर पटवारी की मोहर एवं मोबाईल नम्बर भी आवश्यक रूप से अंकित होने चाहिए।
- 4.5 जमाबन्दी के आधार पर पंजीयन स्वीकार्य नहीं होंगे।
- 4.6 जिन जिलो/तहसील क्षेत्र में ऑनलाईन गिरदावरियों की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पर ऑनलाईन गिरदावरी भी स्वीकार की जा सकेगी।
- 4.7 ई-मित्र द्वारा पंजीकरण के समय गलत गिरदावरी अपलोड करने की स्थिति में संबंधित केन्द्र के मुख्य व्यवस्थापक/केन्द्र प्रभारी खरीद के समय किसान की मूल गिरदावरी प्राप्त कर, स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। ऐसे दुरुस्तीकरण के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं आवश्यक संशोधित दस्तावेज समिति कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे।

नोट - मूल गिरदावरी में संशोधन राजफेड मुख्यालय स्तर से अनुमोदन के बिना मान्य नहीं होगा।

5. बटाईदार -

5.1 बटाईदार की स्थिति में कृषि भूमि मालिक एवं बटाईदार के मध्य बुआई से पूर्व या बुवाई अवधि (कृषि विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन दिनांक 30.09.2024 (परिशिष्ट-1) के अनुसार मूंग, उड़द के लिये जून 2024 से जुलाई 2024 तथा मूंगफली एवं सोयाबीन के लिए मई 2024 से जुलाई 2024 नोटिफिकेशन दिनांक 30.09.2024 (परिशिष्ट-2) के समय का अनुबंध मान्य होगा एवं भूमि मालिक की गिरदावरी तथा जन-आधार कार्ड एवं बटाईदार का जन-आधार कार्ड आवश्यक होगा। बुआई अवधि के बाद का अनुबंध पंजीकरण हेतु स्वीकार्य नहीं होगा। भूमि मालिक एवं बटाईदार के मध्य एक जिन्सा के लिए एक ही अनुबंध मान्य होगा। कृषि भूमि मालिक एवं काश्त करने वाले किसान के मध्य रुपये 100 के नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध किया जाना है। बटाई अनुबंध को पंजीकरण के समय अपलोड कराना आवश्यक होगा अन्यथा पंजीयन मान्य नहीं होगा।

5.2 भूमि मालिक यदि चाहे तो जन-आधार कार्ड के आधार पर अपना अथवा बटाईदार की स्थिति में उसके नाम से पंजीयन करवा सकता है अर्थात् एक जन-आधार कार्ड पर केवल एक ही पंजीयन स्वीकार होगा।

5.3 भूमि मालिक एवं बटाईदार के दो पृथक-पृथक पंजीयन स्वीकार नहीं होंगे अर्थात् भूमि मालिक किसान स्वयं अथवा बटाईदार दोनों में से कोई एक जिन्सा विक्रय कर सकेगा।

6. पंजीकरण की अधिकतम सीमा -

(अ) राज्य की पंजीयन सीमा

भारत सरकार से जिन्सवार प्राप्त लक्ष्यों के अनुसार प्रति किसान 25 क्विंटल की उपार्जन सीमा (मूंग, सोयाबीन एवं मूंगफली) तथा उड़द के लिए उत्पादन के अनुपात में अधिकतम 100 प्रतिशत तक फसलवार पंजीयन किये जाने हैं। संयुक्त निदेशक कृषि, सांख्यिकी, कृषि आयुक्तालय के पत्र दिनांक 30.09.2024 के द्वारा खरीफ 2024 में मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन के बुवाई क्षेत्रफल एवं संभावित उत्पादन की सूचना प्राप्त हुई है, जिसके अनुसार मूंग, सोयाबीन एवं मूंगफली के लिए 25 प्रतिशत अनुमानित लक्ष्यों के आधार पर 25 क्विंटल प्रति किसान कय सीमा मानते हुए 80 प्रतिशत पंजीयन किये जाने हैं तथा उड़द के लिए 25 क्विंटल प्रति





राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

किसान की बाध्यता नहीं होगी। तहसीलों के उत्पादन के आधार पर क्रय केन्द्रों/उपकेन्द्रों/ग्राम सेवा सहकारी समिति केन्द्रों पर पंजीयन क्षमता का निर्धारण किया जावेगा।

(ब) जिले की पंजीयन सीमा

मूंग, मूंगफली एवं सोयाबीन के कृषि विभाग से प्राप्त जिलेवार उत्पादन अनुमान के आधार पर जिले में उत्पादित जिन्स के 25 प्रतिशत एवं उड़द के लिए 100 प्रतिशत खरीद की सीमा होगी। जिले की खरीद सीमा एवं प्रति कृषक 25 किं. अधिकतम क्रय के आधार पर प्राप्त कृषकों की संख्या से जिले की खरीद मात्रा की सीमा एवं प्रति कृषक निर्धारित अधिकतम क्रय मात्रा के आधार पर सक्षम स्तर से प्राप्त स्वीकृति अनुसार जिलेवार, जिन्सवार पंजीयन किया जा सकेगा। जिन जिलों से तहसीलवार उत्पादन की सूचना प्राप्त नहीं हुई है उन जिलों के केन्द्रों के लिए पंजीयन क्षमता खरीफ 2023 के अनुसार प्रथमतः निर्धारित की जा रही है।

(स) क्रय केन्द्र की पंजीयन सीमा

क्रय केन्द्रों की पंजीकरण सीमा जिस तहसील से क्रय केन्द्र है, उस तहसील के उत्पादन अनुमान के आधार पर तय की जावेगी। पंजीकरण एवं दिनांक आवंटन खरीद की गारन्टी नहीं होगी, अधिकाधिक किसानों को अवसर प्रदान करने की दृष्टि से पंजीकरण किये जाने हैं। किसानों के पंजीयनों को ध्यान में रखते हुये समय-समय पर समीक्षा कर जिले की सीमा के अन्तर्गत पंजीयन सीमा का समायोजन किया जा सकेगा। पंजीयन सीमा का निर्धारण निम्न फॉर्मूला अनुसार मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन हेतु केन्द्रों की पंजीकरण सीमा का आंकलन किया जावेगा :-

तहसील का उत्पादन क्विंटल में (जिन्स का नाम- मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन) जिन्स का जिलों से प्राप्त तहसीलवार उत्पादन का योग (जिले में जिन्स का कुल उत्पादन) (जिन्स का नाम - मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन)	×	जिले की जिन्स विशेष हेतु पंजीकरण सीमा
--	---	--

यदि किसी तहसील में जिन्स अनुसार एक से अधिक क्रय केन्द्र होंगे तो तुलाई हेतु पंजीयनों के आवंटन में निम्न विकल्प है :-

विकल्प 1. के.वी.एस.एस. एवं जी.एस.एस. (सहकार मित्र) में पंजीयनों का विभाजन 60 एवं 40 प्रतिशत के अनुपात में किया जावेगा।

विकल्प 2. एक ही एजेन्सी (समिति) के एक से अधिक खरीद केन्द्र होने पंजीयनों का विभाजन उनकी तुलाई क्षमता(कांटों की संख्या) के आधार पर किया जावेगा।

खरीद केन्द्रों पर कांटों की संख्या पंजीयनों की संख्या के आधार पर घटाई/बढ़ाई जा सकती है। यदि एक स्थान पर 2 क्रय एजेन्सी कार्यरत है तो उस स्थिति में पंजीयनों को दोनों एजेन्सियों में 50:50 के अनुपात में विभाजित करने के उपरांत संबंधित क्रय-विक्रय सहकारी समिति एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 60:40 के अनुपात में विभाजन किया जावेगा।

जिले में समर्थन मूल्य पर जिन्स उपार्जन की अधिकतम खरीद सीमा जिले के संभावित उत्पादन के 25 प्रतिशत (मूंग, सोयाबीन एवं मूंगफली) तथा उड़द हेतु 100 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगी।

(द) समर्थन मूल्य खरीफ 2024 के दौरान किसानों को तुलाई हेतु संदेश भेजे जाने हेतु किसानों की संख्या का निर्धारण संबंधी क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड के क्षेत्र में आने वाले सभी क्रय केन्द्रों पर खरीद हेतु अपेक्षित आधारभूत आवश्यकता यथा बारदाना, हैण्डलिंग एवं परिवहन की व्यवस्था को देखते हुए सप्ताहिक रूप से लिखित में अनुशंभा आई.टी. शाखा मुख्यालय, राजफैड को ई-मेल आई.डी. rajfed.opr@yahoo.com पर भिजवाने पर ऑनलाईन सिस्टम द्वारा जिन्सवार स्वतः वरीयता क्रम में किसानों को उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर संदेश जारी किये जा सकेंगे। सभी क्षेत्रीय अधिकारी प्रत्येक गुरुवार सायं तक उक्त सूचना ई-मेल



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

द्वारा भिजवाना सुनिश्चित करेंगे ताकि आगामी सप्ताह (सोमवार से शुक्रवार) के लिए समय पर तुलाई संदेश जारी किये जा सकें एवं संबंधित किसान द्वारा समय पर तुलाई बाबत संदेश प्राप्त होने पर अपने जिन्स की तुलाई निर्धारित केन्द्र पर करवा सकें।

7. क्रय केन्द्र -

मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन के लिए ही पंजीकरण मान्य होगा, अन्य जिन्स के लिए यदि किसान द्वारा पंजीकरण करवाया जाता है तो वह स्वीकार्य नहीं होगा। किसान की कृषि भूमि जिस तहसील में होगी उसी तहसील के कार्य क्षेत्र में आने वाले क्रय केन्द्र का चयन फसल विक्रय हेतु किसान द्वारा किया जा सकेगा। खरीफ 2024-25 में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली के केन्द्रों की सूची पृथक से जारी की जा रही है। कृषक के द्वारा क्रय केन्द्र के स्थानान्तरण के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जावेगा।

यदि कृषक/ई-मित्र द्वारा वास्तविक तहसील के स्थान पर अन्य गलत तहसील भरकर पंजीयन करवाया गया है, तो जिन्स क्रय नहीं किया जावेगी।

8. मोबाईल नम्बर -

किसान द्वारा एक मोबाईल नम्बर पर केवल एक पंजीकरण दर्ज करवाया जा सकेगा अर्थात् प्रत्येक पंजीकरण में पृथक-पृथक मोबाईल नम्बर दर्ज होंगे जिसमें वह अपने मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन के पंजीकरण में दर्ज करवा सकेगा।

9. अन्य -

9.1 किसान को पंजीकरण में सम्बन्धित जिन्स की गिरदावरी जुड़वाने की दिनांक के आधार पर सॉफ्टवेयर द्वारा वरीयता क्रम में तुलाई दिनांक एवं उससे खरीद की जाने वाली मात्रा संबंधित केन्द्र पर लाने बाबत पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर एस.एम.एस. के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

9.2 यदि किसान किसी कारणवश निर्धारित दिनांक को क्रय केन्द्र पर अपनी जिन्स का विक्रय नहीं कर पाता है, तो वह 10 दिवस की अवधि में अपना जिन्स कभी भी तुलवा सकता है।

9.3 तुलाई पश्चात् किसान का ऑनलाइन बिल जनरेट कर एक प्रति किसान को दी जावेगी।

9.4 जिन्स विक्रय के पश्चात् किसान के जन आधार कार्ड में अंकित बैंक खाते में सीधे ही जिन्स विक्रय की राशि संबंधित क्रय केन्द्र एवं संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा अनुमोदन उपरान्त राजफैड मुख्यालय स्तर पर दो सक्षम अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर पश्चात् मुख्यालय लेखा अनुभाग द्वारा निर्देशित बैंकों के माध्यम से समय-समय पर स्थानान्तरित कर दी जावेगी।

10. ऑनलाईन पंजीकरण में समस्याएँ एवं निराकरण -

विभिन्न क्रय केन्द्रों एवं कृषकों को ऑनलाईन पंजीकरण में आने वाली व्यवहारिक समस्याओं का निराकरण निम्नानुसार करने की व्यवस्था की गई है :-

क्र.सं.	ऑनलाईन पंजीकरण में समस्या	निराकरण
1.	ऑनलाईन पंजीकरण में जन-आधार कार्ड महिला मुखिया के नाम होने तथा कृषि भूमि पति/पत्नी के नाम होने के कारण पंजीकृत किसान की कृषि जिन्स खरीद करने बाबत।	जन-आधार कार्ड में एक पंजीयन की शर्त यथावत रहेगी। जन-आधार कार्ड महिला मुखिया के नाम होने के कारण एवं गिरदावरी पति के नाम होने की स्थिति में ऐसा एक पंजीयन स्वीकार किया जा सकता है।



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

2.	किसान को तुलाई दिनांक आवंटन के पश्चात 10 दिवस में जिन्स तुलाई नहीं होने की स्थिति में तुलाई प्रक्रिया।	किसान को दिनांक आवंटन होने के बाद खरीद केन्द्र पर बारदाने के अभाव/क्रय की गई जिन्स का उठाव नहीं होने या अन्य बाजिब कारण से यदि तुलाई नहीं हुई है तो ऐसे कृषकों की जिन्स की तुलाई हेतु कृषक के प्रार्थना पत्र के साथ क्रय केन्द्र के माध्यम से संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी को प्रेषित करेंगे जिसे क्षेत्रीय अधिकारी राजफैड द्वारा अपनी अनुशंसा सहित मुख्यालय को प्रेषित करेंगे। राजफैड मुख्यालय स्तर से स्वीकृति उपरांत जिन्स की तुलाई हो सकेगी।
3.	यदि गिरदावरी में अंकित नाम का मिलान जन-आधार कार्ड में अंकित परिवार के सदस्यों के नाम से नहीं होता है तो ऐसे पंजीकरण की स्थिति के संबंध में।	यदि गिरदावरी में अंकित नाम का मिलान जन-आधार कार्ड में अंकित परिवार के सदस्यों के नाम से नहीं होता है तो ऐसे पंजीयन खरीद हेतु स्वीकार नहीं किये जावेंगे।
4.	<u>ई-मित्र द्वारा पंजीयन के समय गलत गिरदावरी अपलोड करने की स्थिति में वास्तविक गिरदावरी के आधार पर संशोधन/दुरुस्तीकरण।</u>	ई-मित्र द्वारा पंजीयन के समय गलत गिरदावरी अपलोड करने की स्थिति में संबंधित केन्द्र मुख्य व्यवस्थापक/केन्द्र प्रभारी खरीद के समय किसान की मूल गिरदावरी प्राप्त कर, स्कैन कर पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। ऐसे दुरुस्तीकरण के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं आवश्यक संशोधित दस्तावेज समिति कार्यालय में सुरक्षित रखे जावेंगे। पंजीयन के समय ई-मित्र द्वारा जो गलत गिरदावरी अपलोड की गई एवं जिस वास्तविक मूल गिरदावरी के आधार पर संशोधन कर संशोधित दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किये जा रहे हैं को पूर्ण रूप से समिति कार्यालय में रिकॉर्ड हेतु सुरक्षित रखा जाये एवं इस कार्य में पूर्ण पारदर्शिता रखी जाये। फर्जी गिरदावरी अथवा गलत गिरदावरी के आधार पर खरीद की संभावना शून्य रहे, को सतर्कता से सुनिश्चित किया जाना है।
5.	भूमि विवरण जीरो दर्ज होने पर आवश्यक दुरुस्तीकरण।	ऑनलाइन प्रविष्टियों में यदि भूमि विवरण जीरो दर्ज हो गया है तो संबंधित केन्द्र के मुख्य व्यवस्थापक/क्रय केन्द्र प्रभारी किसान से खरीद के समय मूल गिरदावरी से मिलान कर आवश्यक संशोधन कर सकेगा, इससे संबंधित समस्त रिकॉर्ड समिति कार्यालय में सुरक्षित रखा जावे ऐसे दुरुस्तीकरण के लिए संबंधित केन्द्र प्रभारी स्वयं जिम्मेदार होंगे। उक्त परिस्थिति में किसान का पंजीयन संशोधन दिनांक से मान्य होगा एवं उक्त तिथि की वरीयतानुसार सॉफ्टवेयर से स्वतः दिनांक आवंटित होगी।
6.	पी 35 दिनांक - क्रमांक एवं राजस्व ग्राम अपडेट करना।	ऑनलाइन पंजीयन के समय यदि पी 35 क्रमांक, दिनांक एवं राजस्व ग्राम गलत प्रिंट हो गया है तो संबंधित क्रय केन्द्र के मुख्य व्यवस्थापक स्वयं की एस.एस.ओ आई.डी. से मूल गिरदावरी में अंकित पी 35 क्रमांक, दिनांक एवं राजस्व ग्राम का पंजीकरण में संशोधन कर सकेगा। यह व्यवस्था ऑफलाईन गिरदावरी के प्रकरणों पर लागू होगी।

11. ई-मित्र के निम्न दायित्व होंगे -

11.1 ई-मित्र का दायित्व होगा कि पंजीकरण से संबंधित नियमों की पूर्ण पालना करते हुए किसानों का भूंग, उड़द, सोयाबीन एवं भूंगफली का विक्रय हेतु पंजीकरण किया जावे।

11.2 ई-मित्र द्वारा पंजीकरण कार्य में अनियमितता/लापरवाही बरतने की स्थिति में सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग (DoIT), राजस्थान सरकार द्वारा ई-मित्र के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही, ई-मित्र का लाईसेंस निरस्त करने, शास्ती अधिरोपित करने आदि संबंधी कार्यवाही की जा सकेगी। इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होंगे।



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

पंजीयन कार्य में ई-मित्र की भूमिका को ध्यान में रखते हुए एवं राजफैड द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की ई-मित्र कियोस्क से पूर्ण कठोरता से पालना सुनिश्चित कराने हेतु तकनीकी निदेशक, डीओआईटी, जयपुर को अनुरोध किया जाता है। उनके द्वारा सभी जिला अधिकारियों को राजफैड द्वारा जारी निर्देशों की सभी ई-मित्र कियोस्क के स्तर पर पूर्ण कड़ाई एवं सावधानी से पालना करने हेतु पाबन्द किया हुआ है। संबंधित क्षेत्रीय अधिकारीगण अपने-अपने जिला स्तर से भी ई-मित्र कियोस्क धारकों को पाबन्द कराना सुनिश्चित करें।

11.3 पंजीकरणकर्ता ई-मित्र पंजीयन से पूर्व निम्नलिखित निर्देशों का पालन करने के लिये दायित्वाधीन होंगे :-

1. गिरदावरी -

(I) फसल का रकबा हैक्टेयर में अंकित करना अनिवार्य होगा, बीघा में अंकित होगा तो उसे सॉफ्टवेयर द्वारा स्वीकार नहीं किया जावेगा। गिरदावरी में बुआई क्षेत्रफल हैक्टेयर में अंको व शब्दों में अंकित होना चाहिए, पंजीकरण हेतु इच्छुक कृषक के हिस्से का स्पष्ट उल्लेख हो एवं बोई गई फसल का नाम व रकबा भी स्पष्ट अंकित होना चाहिये।

(II) ऑफलाईन गिरदावरी पर पटवारी की मोहर एवं मोबाईल नम्बर भी आवश्यक रूप से अंकित होने चाहिए।

(III) जिन जिलों/तहसील क्षेत्र में ऑनलाईन गिरदावरियों की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पर ऑनलाईन गिरदावरी भी स्वीकार की जा सकेगी।

2. आधारकार्ड में मोबाईल नम्बर लिंक होना सुनिश्चित करे।

3. जन-आधार कार्ड में प्रचलित बैंक खाता Seeded होने का सत्यापन करे।

4. पंजीकरण फार्म में गिरदावरी (ऑफलाईन) में अंकित पी-35 का क्रमांक एवं दिनांक आवश्यक रूप से अंकित करे।

5. जमाबन्दी के आधार पर पंजीयन स्वीकार्य नहीं होंगे।

6. बटाईदार की स्थिति में कृषि भूमि मालिक एवं बटाईदार के मध्य बुआई से पूर्व या बुआई अवधि मूंग, उड़द के लिये जून 2024 से जुलाई 2024 तक का तथा मूंगफली एवं सोयाबीन के लिए मई 2024 से जुलाई 2024 तक के समय का रुपये 100 के नॉनज्यूडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध मान्य होगा एवं भूमि मालिक की गिरदावरी तथा जन-आधार कार्ड एवं बटाईदार का जन-आधार कार्ड आवश्यक होगा। बुआई अवधि के बाद का अनुबंध पंजीकरण हेतु स्वीकार्य नहीं होगा। भूमि मालिक एवं बटाईदार के मध्य एक जिन्स के लिए एक ही अनुबंध मान्य होगा। अनुबंध को पंजीकरण के समय अपलोड कराना आवश्यक होगा अन्यथा पंजीयन मान्य नहीं होगा।

7. समर्थन मूल्य पर खरीद के दौरान पंजीयन कराते समय किसान के जन-आधार कार्ड में अंकित बैंक खाते की पासबुक से मिलान कर खाता नम्बर की पुष्टि करें। यदि खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड नम्बर गलत है तो जन-आधार कार्ड में संशोधन करवाना भी सुनिश्चित करें।

12. तुलाई हेतु मैसेज

तुलाई हेतु कृषक को संदेश भेजे जाने की संख्या का निर्धारण सामान्यतः सिस्टम द्वारा जिन्सवार वरीयता क्रम में केन्द्र पर कुल पंजीयन संख्या एवं तुलाई हेतु कुल कार्यदिवस के आधार पर किया जाता है। केन्द्रों पर जिन्स तुलाई की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने की दृष्टि से समर्थन मूल्य खरीफ 2024 के दौरान किसानों को तुलाई हेतु संदेश भेजे जाने हेतु किसानों की संख्या का निर्धारण संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड के क्षेत्र में आने वाले सभी क्रय केन्द्रों पर खरीद हेतु अपेक्षित आधारभूत आवश्यकता यथा बारदाना, हैण्डलिंग एवं परिवहन की व्यवस्था को देखते हुए सप्ताहिक रूप से लिखित में अनुशंसा आई.टी. शाखा



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

मुख्यालय, राजफैड को ई-मेल आई.डी. rajfed.opr@yahoo.com पर भिजवाने पर ऑनलाईन सिस्टम द्वारा जिन्सवार स्वतः वरीयता क्रम में किसानों को उनके पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर संदेश जारी किये जा सकेंगे। सभी क्षेत्रीय अधिकारी प्रत्येक गुरुवार सायं तक उक्त सूचना ई-मेल द्वारा भिजवाना सुनिश्चित करेंगे ताकि आगामी सप्ताह (सोमवार से शुक्रवार) के लिए समय पर तुलाई संदेश जारी किये जा सकें एवं संबंधित किसान द्वारा समय पर तुलाई बाबत संदेश प्राप्त होने पर अपने जिन्स की तुलाई निर्धारित केन्द्र पर करवा सकें।

13. किसान से जिन्स की क्रय प्रक्रिया निम्नानुसार है :-

1. क्रय केन्द्र पर पहुँचने वाले कृषक से प्रथमतः निम्न दस्तावेज प्राप्त किये जावे :-

- (I) जन-आधार कार्ड
- (II) आधार कार्ड
- (III) गिरदावरी की मूल नकल
- (IV) बैंक पास बुक की प्रति
- (V) बटाईदार की स्थिति में बटाईदार का मूल अनुबंध

दस्तावेजों एवं भूमि रिकॉर्ड में किसी भी तरह की कटिंग, ओवरराइटिंग, इरेजिंग (erasing) मान्य नहीं होगी एवं ऐसे किसान से खरीद नहीं की जावेगी। यदि ऐसे किसान से दलहन-तिलहन की खरीद की गई, तो समिति मुख्य व्यवस्थापक/खरीद केन्द्र प्रभारी स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं संबंधित दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

2. एफएक्यू गुणवत्ता मापदंडों की जाँच की जावे। जिन्स नॉन एफएक्यू होने की स्थिति में बिन्दु क्रमांक 15 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

3. कृषक द्वारा गिरदावरी की हार्डकॉपी में अंकित जिन्स के बोये गये क्षेत्रफल एवं जिले की उत्पादकता के अनुसार क्रय की जाने वाली मात्रा तक ही जिन्स की खरीद की जानी है। क्रय केन्द्र द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक खरीद की जाती है तो केन्द्र प्रभारी स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं संबंधित दोषी कार्मिकों के विरुद्ध नियमानुसार विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

4. सैम्पल पास होने के उपरान्त केन्द्र पर तुलाई व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

5. तुलाई के पश्चात् ऑनलाईन विक्रय पर्ची कृषि जिन्स विक्रय दिवस को ही जारी की जानी अनिवार्य होगी।

6. ऑनलाईन विक्रय पर्ची के अभाव में खरीद पोर्टल पर दर्ज नहीं हो सकेगी।

7. ऑनलाईन बिल जारी करने हेतु मुख्य व्यवस्थापक/क्रय केन्द्र प्रभारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। पूर्व में ऐसा देखने में आया है कि कुछ केन्द्रों पर कृषकों से जिन्स तुलाई के उपरान्त ऑनलाईन विक्रय पर्ची अपलोड नहीं की गई, जिसके कारण कृषक को ऑनलाईन प्रक्रियानुसार भुगतान संभव नहीं हो पाता जबकि कृषक का एफ.ए. क्यू श्रेणी का जिन्स भण्डारगृह में भी जमा हो चुका होता है। अतः ऑनलाईन बिल/विक्रय पर्ची अनिवार्य रूप से पोर्टल पर अपलोड की जाये।

8. ऑफलाईन खरीद करने अथवा निर्धारित समय में ऑनलाईन विक्रय बिल नहीं बनाने पर संबंधित समिति उत्तरदायी होगी।

9. ऑफलाईन खरीद किये जाने पर भुगतान का दायित्व राजफैड का नहीं होगा एवं ऑफलाईन क्रय जिन्स समिति की होगी एवं इस क्रम में समस्त दायित्व संबंधित समिति का होगा।

10. कृषि जिन्स खरीद का समस्त रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जाकर पोर्टल पर दर्ज करवाने की सुनिश्चितता करें।

11. भारत सरकार द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदंडों के अनुसार एफ.ए.क्यू श्रेणी का जिन्स (दलहन-तिलहन) लाने का उत्तरदायित्व स्वयं किसान का होगा।

12. कृषि जिन्स कांटे तक लाये जाने हेतु वसूल योग्य राशि समिति द्वारा संबंधित किसान प्राप्त कर उसकी रसीद कृषक को दी जावेगी तथा रसीद की एक प्रति समिति अपने रिकॉर्ड में सुरक्षित रखेगी तथा मण्डी लेबर की राशि का भुगतान समिति द्वारा संबंधित लेबर/ठेकेदार को किया जावेगा।



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

समर्थन मूल्य मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन खरीद में किसी प्रकार की समस्या हो तो किसान हेल्पलाइन नम्बर 18001806001 पर दर्ज करा सकेंगे एवं संबंधित क्रय-विक्रय सहकारी समिति/क्षेत्रीय कार्यालय राजफैड तथा मुख्यालय में स्थापित कॉल सेंटर पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

13.1 उत्पादकता

खरीफ वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीद मुख्य सांख्यिकी अधिकारी, राजस्थान के पत्र क्रमांक एफ6(III) आ.कृ. दलहन-तिलहन/2024/1409-10 दिनांक 01.10.2024 के आधार पर की जानी है। उक्त पत्र राजफैड के पत्र दिनांक 01.10.2024 से भिजवाये जा चुके हैं कि प्रति संदर्भ हेतु परिशिष्ट-3 से 6 पर संलग्न है। जिले की औसत उत्पादकता एवं मूल गिरदावरी में दर्शित बोये गये जिन्स के क्षेत्रफल के आधार पर किसान से खरीद किये जाने का दायित्व समिति मुख्य व्यवस्थापक/केन्द्र प्रभारी का होगा।

13.2 मंदिर की कृषि एवं रिसीवरी भूमि से सम्बन्धित दलहन/दलहन की खरीद प्रक्रिया

मन्दिर माफी की भूमि एवं रिसीवरी भूमि पर काश्त करने वाले किसानों से समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन की खरीद की मांग समय-समय पर की जाती रही है। पूर्व में सक्षम स्तर से प्राप्त स्वीकृति अनुसार उपरोक्त प्रकरणों में समर्थन मूल्य पर दलहन तिलहन की खरीद के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैं :-

1. देव स्थान/मन्दिर मूर्ति की भूमि के प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड यथा जमाबंदी/खसरा गिरदावरी में मन्दिर मूर्तियों के नाम दर्ज भूमियों पर काश्त करने वाले काश्तकारों के नाम तहसील में एक पंजिका में पृथक से दर्ज होते हैं इन प्रकरणों में तहसीलदार द्वारा संबंधित काश्तकार को संबंधित खसरा नम्बर में काश्त करने बाबत एक प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा, प्रमाण पत्र के आधार पर संबंधित खसरा नम्बर में पैदा हुई दलहन-तिलहन को नियमानुसार समर्थन मूल्य पर क्रय किया जा सकेगा।
2. कई प्रकरणों में विभिन्न न्यायालयों द्वारा रिसीवरी की भूमियाँ दी जाती हैं जिनमें प्रतिवर्ष काश्त हेतु भूमि की नीलामी की जाती है। नीलामी में लेने वाले काश्तकारों द्वारा उन भूमियों पर काश्त की जाती है। न्यायालय आदेशों से रिसीवरी में दी गई भूमियों की जानकारी तहसील में पृथक पंजिका संचारित की जाती है। अतः संबंधित तहसीलदार के प्रमाण पत्र के आधार पर नीलामी में भूमि काश्त पर लेने वाले काश्तकार से दलहन तिलहन की नियमानुसार समर्थन मूल्य खरीद की जा सकेगी।
3. मन्दिर माफी/देव मूर्तियों की भूमियों के संबंध में काश्त करने वाले पुजारियों की समस्याओं के समाधान बाबत संयुक्त शासन सचिव राजस्व(ग्रुप-6) के परिपत्र क्रमांक 3(2) राज-6/2007 पार्ट/5 दिनांक 12.09.18 की प्रति परिशिष्ट-7 पर संलग्न है।

13.3 बटाईदार कृषक से खरीद प्रक्रिया

बटाईदार कृषक की जिन्स क्रय किये जाने से पूर्व खरीद केन्द्र प्रभारी भूमि मालिक या बटाईदार कृषक दोनों में से किसी एक कृषक से ही खरीद किया जाना सुनिश्चित करेंगे। बटाईदार कृषक से खरीद किये जाने हेतु केन्द्र प्रभारी एक रजिस्टर का संचारण करेंगे, जिसमें भूमि मालिक एवं बटाईदार की दोनों की डिटेल का अंकन किया जावे एवं बटाईदार कृषक से खरीद किये जाने से पूर्व रजिस्टर/रिकॉर्ड से मिलान कर यह सुनिश्चित किया जावे कि भूमि मालिक/बटाईदार में से किसी एक के द्वारा पूर्व में तुलाई तो नहीं कराई गई है



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

अर्थात् बटाईदार के मामले भूमि मालिक अथवा बटाईदार दोनों में से किसी एक से ही जिन्स की खरीद की जानी है। रजिस्टर का संधारण निम्न प्रारूप निम्नानुसार किया जावे :-

भूमि मालिक				बटाईदार				
भूमि मालिक का नाम	जन-आधार कार्ड का न.	मो.न.	भूमि का खाता सं.	बटाईदार का नाम	जन-आधार कार्ड का न.	मो.न.	भूमि का खाता सं.	जिन्स लिये किया गया है। जिसके अनुबन्ध
1	2	3	4	5	6	7	8	9

उक्त सूचना रजिस्टर के साथ-साथ राजफैड द्वारा प्रेषित एक्सल शीट में भी संधारित की जानी है। यदि पंजीयन दोहराया जाना पाया जाता है, तो ऐसे पंजीयन पर जिन्स की खरीद नहीं की जानी है। क्रय केन्द्र प्रभारी/समिति मुख्य व्यवस्थापक 25 प्रतिशत बटाई अनुबंधों को सत्यापन करेंगे।

समिति द्वारा बटाईदार के अनुबंध का सत्यापन भूमि मालिक से आवश्यक रूप से किया जावे। इस हेतु क्रय केन्द्र प्रभारी एवं समिति मुख्य व्यवस्थापक संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

13.4 कृषि जिन्स खरीद मात्रा

भारत सरकार के निर्देशानुसार एक दिन में एक किसान से अधिकतम 50 कट्टे (50 किलो भर्ती) जिन्सवार क्रय किये जा सकेंगे अर्थात् एक किसान से एक दिन में अधिकतम 25 क्विन्टल कृषि जिन्स न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जिन्सवार क्रय किये जा सकेंगे।

नेफेड के पत्र दिनांक 23.08.2024 एवं 18.09.2024 परिशिष्ट-8 व 9 अनुसार भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत उड़द खरीद हेतु राज्य में उत्पादन के 25 प्रतिशत तक की सीमा के स्थान पर शत-प्रतिशत खरीद करने के लिए अनुमति प्रदान की गई है। दिनांक 09.10.2024 को सम्पन्न हुई वी0सी0 में भी इस संबंध में विस्तार से अवगत कराया जा चुका है।

14. गुणवत्ता मापदण्ड -

भारत सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर क्रय किये जाने हेतु विभिन्न जिन्सों की खरीद हेतु अलग-अलग गुणवत्ता मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता की जिन्स विक्रय हेतु लाये जाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित कृषक का होगा। अतः काश्तकार क्रय केन्द्र पर जिन्स विक्रय हेतु लाने से पूर्व किसी परेशानी से बचने के लिए यह सुनिश्चित कर लें कि उनकी जिन्स गुणवत्ता मापदण्डों के अनुकूल है। यदि अनुकूल नहीं हो तो कृषक स्वयं अपने स्तर पर ग्रेडिंग कर क्रय केन्द्र पर लावें।

नेफेड, जयपुर के पत्र क्रमांक 1429 दिनांक 13.09.2024 से प्राप्त खरीफ 2024-25 में समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीद हेतु निर्धारित गुणवत्ता मापदण्ड परिशिष्ट-10 से 13 पर संलग्न है, जिसकी प्रति पूर्व में भी राजफैड के पत्र क्रमांक 3400-3476 दिनांक 17.09.2024 के द्वारा भिजवायी जा चुकी है। केवल मात्र निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुरूप क्रय की गयी मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली ही योजनान्तर्गत स्वीकार किया जायेगा।

क्रय केन्द्र पर गुणवत्ता मापदण्डों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे। समिति के मुख्य कार्यकारी/खरीद प्रभारी एफ.ए.क्यू. मापदण्डों के अनुरूप खरीद करने के लिये उत्तरदायी होंगे। कृषि जिन्स के गुणवत्ता



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

मापदण्डों के सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने पर निम्न कमेटी की बैठक आहूत कर जिन्स के एफ.ए.क्यू./नॉन एफ.ए.क्यू. गुणवत्ता के विवाद का निस्तारण किया जावे :-

1. व्यवस्थापक क्रय-विक्रय सहकारी समिति / प्रभारी, क्रय केन्द्र अध्यक्ष
2. हल्का निरीक्षक (सहकारिता) सदस्य
3. सम्बन्धित कृषि उपज मंडी समिति का सचिव या सचिव द्वारा नामित प्रतिनिधि सदस्य
4. सम्बन्धित कृषि पर्यवेक्षक कृषि विभाग सदस्य

गुणवत्ता का निर्धारण बहुमत से किया जायेगा। मत बराबर होने पर अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होगा। कमेटी की कार्यवाही को लिपिबद्ध किया जावे और समिति रिकॉर्ड में सुरक्षित रखी जावे।

गुणवत्ता मापदण्डों के आधार पर कृषि जिन्स रिजेक्शन की स्थिति में किसान को रिजेक्शन के कारणों से अवगत कराते हुए सन्तुष्ट किया जावे एवं रिजेक्शन स्लिप एवं रजिस्टर पर संबंधित किसान के हस्ताक्षर करवाये जावे एवं केन्द्र पर संधारित किये जाने वाले रजिस्टर में रिजेक्शन के कारणों का भी उल्लेख किया जावे। रिजेक्शन रजिस्टर का प्रारूप निम्नानुसार है :-

क्रय-विक्रय सहकारी समिति.....केन्द्र का नाम.....

रिजेक्शन रजिस्टर

क्र. सं.	जिन्स का नाम	किसान का नाम पता	पंजीकरण संख्या	पंजीकृत मोबाईल नम्बर	तुलाई हेतु आवंटित दिनांक	जिन्स रिजेक्शन का आधार	किसान के हस्ताक्षर	केन्द्र प्रभारी हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7	8	9

केन्द्र पर जिन्स के रिजेक्शन की स्थिति में कृषि जिन्स की गुणवत्ता के संबंध में पूर्ण रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जावे एवं क्रय की गई जिन्स का सैम्पल भी लिया जावे एवं सैम्पल की पर्ची में किसान का नाम, क्रय रजिस्टर में अंकित क्रमांक, दिनांक तथा किसान के ऑनलाईन पंजीकरण के क्रमांक एवं दिनांक तथा जिन्स में नमी की मात्रा का भी उल्लेख किया जावे।

सैम्पल - क्रय केन्द्र पर किसान का माल नॉन एफ.ए.क्यू. होने पर ही 500 ग्राम का सैम्पल लिया जावे। एफ.ए.क्यू. जिन्स का सैम्पल नहीं लिया जावे।

कृषक द्वारा लायी गयी जिन्स यदि नॉन एफ.ए.क्यू. है एवं यदि अतिरिक्त छनाई, ग्रेडिंग आदि की आवश्यकता है तो कृषक द्वारा यह कार्य स्वयं के स्तर से कराया जावेगा। क्रय केन्द्र पर किसी प्रकार की ग्रेडिंग मशीन आदि नहीं लगायी जावे।

कृषक द्वारा लायी गयी नॉन एफ.ए.क्यू. जिन्स का क्रय केन्द्र से तुरंत उठाव सुनिश्चित किया जावे। नॉन एफ.ए.क्यू. जिन्स क्रय केन्द्र पर किसी भी स्थिति में पड़ी नहीं रहे।

15. दलहन-तिलहन खरीद उपरान्त भण्डारगृह में कृषि जिन्स का जमा नहीं होना -

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दलहन-तिलहन की खरीद ऑनलाइन प्रक्रियानुसार की जाती है। क्रय केन्द्रों द्वारा किसान से क्रय की गयी कृषि जिन्स भण्डारगृह में जमा नहीं करवाये जाने पर संबंधित समिति एवं केन्द्र प्रभारी स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं ऐसी खरीद के भुगतान व अन्य व्यय की जिम्मेदारी संबंधित समिति की होगी। ऐसे प्रकरणों में विभाग द्वारा संबंधित के विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी।

15.1 कई बार ऐसा भी संज्ञान में आता है कि कृषक द्वारा केन्द्र पर जिन्स तुलवाने के उपरान्त विक्रय पर्ची पोर्टल पर अपलोड होने से रह जाती है। समिति द्वारा एफ.ए.क्यू. श्रेणी का जिन्स क्रय करने पर भण्डारगृह में तो जिन्स जमा हो जाता है परन्तु ऑनलाईन खरीद दर्ज नहीं होने के कारण क्रय मात्रा खरीद प्रगति में शामिल



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

नहीं हो पाती, वहीं दूसरी ओर कृषक को राजफेड द्वारा ऑनलाईन भुगतान करना भी संभव नहीं होता है। अतः सभी खरीद केन्द्रों का दायित्व है कि कृषक से क्रय किये गये जिन्स की विक्रय पर्ची अनुसार अनिवार्य रूप से पोर्टल पर क्रय मात्रा पूर्ण विवरण सहित दर्ज की जावें। भण्डारगृह में जिन्स जमा होने के उपरांत ऑनलाईन खरीद दर्ज नहीं होने की स्थिति में नेफेड से जिन्स वापिस प्राप्त करना एवं ऐसे किसान को भुगतान करने में अनावश्यक विलम्ब होता है। अतः यह स्थिति उत्पन्न न हो, सभी केन्द्र प्रभारी सुनिश्चित करें ताकि कृषकों को भुगतान में असुविधा न हो।

16. बारदाना व्यवस्था -

16.1 बारदाने की आपूर्ति राजफेड द्वारा की जावेगी। क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा अनिवार्य रूप से प्राप्त बारदाना एवं वितरित बारदाने का विवरण समितिवार पोर्टल पर दर्ज किया जावेगा। राजफेड के पत्र क्रमांक एचआरडी/4050-57 दिनांक 08.10.2024 के अनुसार वर्तमान में एसबीटी 36.75 लाख नग बारदाना एवं बीटी 3.45 लाख नग बारदाना कुल 40.20 लाख नग बारदाना उपलब्ध है। उक्त बारदाना 1.84 लाख मै.टन मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं 0.12 लाख मै.टन मूंगफली की खरीद के लिए पर्याप्त है। नेफेड से प्राप्त होने वाले बारदाने का क्रय केन्द्र/भण्डारगृह पर सुरक्षित रूप से भण्डारण करवाया जाये ताकि केन्द्र पर खरीद के दौरान बारदाने का समुचित रूप से उपयोग किया जा सके। बारदाने की सुरक्षा का दायित्व संबंधित समिति का होगा।

भण्डारगृह में उपलब्ध बारदाने को संबंधित केन्द्रों पर प्राथमिकता पर उपलब्ध कराया जावें। केन्द्र पर जिन्सवार पंजीयन एवं खरीद को ध्यान में रखते हुए बारदाने की पाक्षिक मांग से अविलम्ब अवगत कराया जावें ताकि समय पर बारदाने की आपूर्ति सुनिश्चित करायी जा सके। बारदाने की पाक्षिक आवश्यकता का आंकलन कर राजफेड को 15 दिवस पूर्व अवगत कराया जावें, क्योंकि नेफेड, कोलकत्ता से बारदाना प्राप्त होने में लगभग एक सप्ताह का समय लगता है।

राजफेड के पत्र क्रमांक 1326-36 दिनांक 18.10.2024 के द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि क्षेत्र की समिति/गोदाम में भण्डारित एस.बी.टी. एवं बी.टी. बारदाने को आवश्यकतानुसार समितियों को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें ताकि खरीद कार्य निर्बाध रूप से सम्पन्न कराया जा सके। यह भी उल्लेखनीय है कि समितियों द्वारा आवश्यकतानुसार गोदाम/एक समिति से दूसरी समिति पर भिजवाये जाने वाले बारदाने पर होने वाले पुर्नपरिवहन के खर्चों/क्लेम सीजन समाप्ति पर भिजवाया जान सुनिश्चित करें ताकि अपेक्षित कार्यवाही की जा सके।

अतः खरीद आरंभ होने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि जिन खरीद केन्द्रों पर बारदाने की आवश्यकता है वहां आपके क्षेत्र की निकटतम समिति/भण्डारगृह में उपलब्ध बारदाने में से आवश्यकतानुसार बारदाना भिजवाना सुनिश्चित करें। साथ ही भण्डारगृह में उपलब्ध नये बारदाने स्टॉक को प्राथमिकता से उठवाने का कष्ट करें।

16.2 क्रय-विक्रय सहकारी समितियाँ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, राजफेड स्तर पर बारदाने का स्टॉक रजिस्टर संचारित किया जावेगा।

16.3 बारदाने की सुरक्षा का दायित्व संबंधित समिति/केन्द्र का होगा। समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत दलहन-तिलहन की खरीद हेतु केन्द्र पर प्राप्त बारदाने के उपयोग, आगजनी से सुरक्षा एवं भण्डारण आदि की सम्पूर्ण सुरक्षा का दायित्व संबंधित समिति का होगा। बारदाना उपयोग के उपरांत यदि कोई बारदाना शेष रहता है तो उसके सुरक्षित भण्डारण का दायित्व भी संबंधित समिति का होगा। बारदाने की गुणवत्ता प्रभावित न हो इस बात का पूर्ण ध्यान रखा जावें ताकि शेष रहे बारदाने का आगामी खरीद में सुगमता से उपयोग किया जा सके।

16.4 बारदाने में गुणवत्ता की शिकायत

नेफेड, कोलकत्ता के पत्र दिनांक 10.02.2024 परिशिष्ट-14 के अनुसार बारदाने की गुणवत्ता में शिकायत होने की स्थिति में अविलम्ब समिति व्यवस्थापक/केन्द्र प्रभारी द्वारा खराब बारदाने की फोटोग्राफ





राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

सहित तत्काल अवगत करावें ताकि नेफैड, कोलकत्ता द्वारा केन्द्र पर जाँच हेतु सर्वेयर भिजवाया जा सकें। ऐसे बारदाने का जिन्स की भर्ती में उपयोग नहीं किया जाना है।

बारदाने में गुणवत्ता सम्बंधी शिकायत होने में बारदाना प्राप्ति के 10 दिवस में अवगत कराया जावें। नेफैड, कोलकत्ता को 10 दिवस की अवधि के उपरांत प्राप्त होने वाली शिकायत पर कार्यवाही नहीं की जावेगी। अतः बारदाने में गुणवत्ता की शिकायत में बारदाना प्राप्त होते ही उसी दिवस अवगत करावे ताकि नेफैड, कोलकत्ता को 10 दिवस की अवधि पर उपलब्ध करवाया जा सकें।

बारदाने की गुणवत्ता, शॉर्ट साईज आदि की शिकायत होने पर संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय राजफैड को समिति द्वारा सूचित करते हुए पंचनामा तैयार किया जावेगा। पंचनामा रिपोर्ट निम्न कमेटी द्वारा तैयार की जावेगी :-

1. व्यवस्थापक, क्रय-विक्रय सहकारी समिति
2. क्रय केन्द्र प्रभारी
3. मण्डी समिति का प्रतिनिधि
4. सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय, राजफैड का प्रतिनिधि
5. केन्द्र पर पंजीकृत किसानों में से उपस्थिति एक किसान

17. मार्का -

बोरियों पर गहरा लाल रंग का मार्का निम्नानुसार लगाया जावे :-

1. नेफेड
2. केन्द्र का नाम
3. जिन्स - मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली खरीफ 2024-25
4. वजन - मूंग, उड़द, सोयाबीन 50 किलो एवं मूंगफली भर्ती 35 किलो नेट
5. क्रय रजिस्टर में अंकित क्रमांक दिनांक
6. किसान का ऑनलाइन पंजीकरण क्रमांक दिनांक

18. बोरियों में जिन्स की भर्ती एवं सिलाई -

भर्ती के समय बारदाने में मानक (स्टेण्डर्ड) भर्ती का विशेष ध्यान रखा जावे। बारदाने में स्टेण्डर्ड भर्ती मूंग, उड़द, सोयाबीन हेतु प्रति कट्टा 50 किलो तथा मूंगफली हेतु 35 किलो का ध्यान रखा जावे। स्टेण्डर्ड भर्ती से कम होने के कारण वजन पूर्ति हेतु अतिरिक्त बारदाना उपयोग में लिया जाता है तो बारदाने की कीमत समिति से वसूल योग्य होगी। बारदाने में अधिक भर्ती होने का लाभ नेफैड द्वारा देय नहीं है एवं स्टेण्डर्ड भर्ती से कम होने पर समिति उत्तदायी होगी, वजन अन्तर की राशि समिति से वसूली योग्य होगी। नेफेड के पत्र दिनांक 15.03.2023 परिशिष्ट-15 के अनुसार बोरियों की सिलाई अनिवार्य रूप से मशीन से की जावे। बोरियों की हाथ से सिलाई मान्य नहीं होगी।

19. क्यू.आर. कोड -

राजफैड द्वारा क्यू.आर. कोड व्यवस्था पर नेफेड को सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है। बारदाना आपूर्ति व्यवस्था की भांति क्यू.आर. कोड की आपूर्ति नेफैड के माध्यम से करवाई जावेगी। अतः केन्द्रवार क्यू.आर. कोड की आवश्यकता से महाप्रबन्धक(मा.स.वि.) को अवगत कराया जावे। नेफैड द्वारा क्यू.आर. कोड बाबत निर्धारित की जाने वाली प्रक्रिया से पृथक से अवगत करा दिया जावेगा। नेफेड से निर्देश प्राप्त होने तक बिन्दु क्रमांक 17 के अनुसार मार्का लगाने की व्यवस्था की जावेगी।





राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

20. इलेक्ट्रॉनिक तुलाई मशीन, मोईश्चर मीटर एवं छाया पानी -

सभी क्रय केन्द्रों पर दलहन-तिलहन की तुलाई इलेक्ट्रॉनिक तुलाई मशीनों के माध्यम से सुनिश्चित की जावे। खरीद प्रारम्भ होने से पूर्व कांटे-बांट का प्रमाणीकरण आवश्यक रूप से कराया जावे। समर्थन मूल्य पर कृषि जिनसों की खरीद के सम्बन्ध में क्रय केन्द्रों पर छाया पानी, तिरपाल, रस्सी, खूटे आदि की व्यवस्था मण्डी प्रांगण में खरीद सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कराने के लिए सम्बन्धित कृषि उपज मण्डी समिति के माध्यम से आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कराई जावें।

राजफैड द्वारा निदेशक, कृषि विपणन को खरीद केन्द्रों पर आधारभूत व्यवस्था यथा छाया-पानी, बिजली, तिरपाल, ग्रेडिंग मशीन आदि की व्यवस्थाएँ कृषि उपज मण्डी समिति के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया हुआ है अतः संबंधित मण्डी समितियों के माध्यम से केन्द्रों पर आवश्यक आधारभूत व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करावें। इस क्रम में निदेशक, कृषि विपणन के संलग्न पत्र दिनांक 15.10.2024 परिशिष्ट-16 के द्वारा मण्डी यार्ड में स्थापित केन्द्रों पर उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग कृषि केन्द्रों द्वारा करने हेतु संबंधित उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग एवं समस्त कृषि उपज मण्डी समिति सचिवों को पाबन्द किया गया है। मण्डी प्रांगण से बाहर समर्थन मूल्य केन्द्रों पर मण्डी द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं करवायी जावेगी। अतः ऐसे केन्द्रों पर अपेक्षित व्यवस्थाएँ संबंधित ग्रा.से.स.स. द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। मोईश्चर मीटर राजफैड द्वारा पूर्व में समितियों को उपलब्ध करवाये हुए हैं जिन्हें जाँच-परख कर दुरुस्त भी कर लें। आवश्यकता हो तो समितियाँ अपने स्तर पर मोईश्चर मीटर क्रय कर सकती हैं।

21. क्रय जिनस की सुरक्षा व्यवस्था -

क्रय केन्द्र पर क्रय जिनस की सुरक्षा का प्रबन्ध समिति द्वारा सुनिश्चित किये जावे ताकि क्रय केन्द्र से कृषि जिनस की चोरी व स्टॉक कम नहीं हो अर्थात् कृषि केन्द्र पर कृषि की गई स्टॉक की सुरक्षा का दायित्व संबंधित समिति व्यवस्थापक/केन्द्र प्रभारी का होगा। इस बाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समिति द्वारा प्रतिदिन डे-क्लोज कर क्रय जिनस की कुल मात्रा, भण्डारण मात्रा एवं पिड पर शेष रहे स्टॉक का पोजेशन समिति के पास होने के कोलम पर पोर्टल में टिक करेगे एवं प्रतिदिन रिपोर्ट उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों एवं सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित करने की सुनिश्चितता करेंगे।

क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड द्वारा साप्ताहिक रूप से समितिवार क्रय जिनस की सूचना की पुष्टि करते हुए मुख्यालय को अवगत कराया जायेगा।

सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार समय-समय पर स्टॉक के निरीक्षण एवं सत्यापन करेंगे एवं कोई अनियमितता उजागर होती है तो सम्बन्धित समिति को आवश्यक निर्देश देते हुये राजफैड मुख्यालय एवं विभाग को अवगत कराया जायेगा।

22. हैण्डलिंग परिवहन व्यवस्था -

समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीद हेतु राज्य के विभिन्न क्रय केन्द्रों के लिए पत्र निविदा/लेखा/2024-25/5166-5275 दिनांक 25.01.2024, लेखा/2024-25/5303-5355 दिनांक 31.01.2024 तथा लेखा/2024-25/6352-6401 दिनांक 23.02.2024 द्वारा पत्र से निर्देश जारी किये हुए हैं। (परिशिष्ट-17 से 19) उपरोक्त निर्देशों के क्रम में पुनः पाबन्द किया जाता है कि वित्तीय नियमों में किसी भी निविदा (टेण्डर) पर निर्णय वित्तीय शर्तों एवं नियमों के प्रकाश में अंतिम निर्णय लिये जाने की शक्ति व दायित्व संबंधित उपापन समिति का ही है और वित्तीय नियमों की यह मंशा है कि राजकीय संयवहारों में



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

भाग लेने वाली फर्मों के बाबत किसी भी प्रकार का विवाद/संदेह अथवा भ्रांति न हो, इसी को रेखांकित करते हुए दिशा-निर्देशों व निविदा की अन्य शर्त संख्या 11 में वर्णित नियमों के अनुसार प्रत्येक उपापन संस्था यह सुनिश्चित कर लेवें कि भाग लेने वाली फर्म किसी भी रूप में लेशमात्र भी विवादित नहीं हो और न ही निविदादाता अकारण राजफैड के विरुद्ध पूर्व में अथवा वर्तमान में किसी न्यायालय व अन्य प्राधिकारी के समक्ष राजफैड के प्रतिपक्ष (विरोध) में हो। अतः पुनः पाबन्द किया जाता है कि हैण्डलिंग एवं परिवहन प्रक्रिया के संबंध में वर्ष 2024-25 (रबी व खरीफ) में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की अनुपालना अक्षरशः व अव्यक्तरूप से किया जाना सुनिश्चित करावें।

कृषि जिन्स क्रय प्रक्रिया में संबंधित मण्डी की हैण्डलिंग कार्य की दर आधार दर रखी जा रही है। राजस्थान राज्य में स्थापित सभी राजकीय कृषि मण्डी समितियों की वर्तमान में प्रचलित नवीनतम हैण्डलिंग दरों की प्रति संबंधित कृषि उपज मण्डी से प्राप्त की जावें। इस हेतु कृषि विपणन निदेशालय को प्रेषित पत्र क्रमांक लेखा/2024-25/5356-5405 दिनांक 31.01.2024 तथा पत्र क्रमांक लेखा/2024-25/5773-5822 दिनांक 08.02.2024 की प्रति संदर्भ हेतु परिशिष्ट-20 एवं 21 पर संलग्न है। परिवहन टेण्डर प्रक्रिया के सन्दर्भ में यदि किसी प्रकार की स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), राजफैड, जयपुर से फोन नम्बर 0141-2740418 या ई-मेल rajfed.fin_ac@yahoo.com.in पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

1. हैण्डलिंग एवं परिवहन के बिल सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय, राजफैड द्वारा समितिवार सकलित कर पाक्षिक रूप से भेजे जावे, ताकि नेफैड से पुर्नभरण समय पर प्राप्त कर हैण्डलिंग एवं परिवहन का समितियों को भुगतान किया जा सके। बिल के अभाव में समितियों को पुर्नभरण देय नहीं होगा।
2. नियमानुसार ई. वे. बिल जारी करवाया जाना भी सुनिश्चित करे।

23. हैण्डलिंग एवं परिवहन बिलों का प्रेषण एवं पुर्नभरण -

1. हैण्डलिंग एवं परिवहन के बिल नेफैड द्वारा जारी दिशा-निर्देश एवं प्रारूप अनुसार समितियों द्वारा बनाये जाकर सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय, राजफैड को प्रेषित किये जावे। समिति द्वारा प्रथम बिल के साथ निविदा कमेटी की दर स्वीकृत करने सम्बन्धी अनुशंसा की प्रति एवं समिति द्वारा जारी कार्य आदेश की प्रति बिल के साथ संलग्न कर प्रेषित की जावे।
2. क्षेत्रीय कार्यालय स्तर पर बिलों के प्रमाणकों/सम्बन्धित दस्तावेजों की जाँच कर राजफैड क्षेत्रीय कार्यालय के बिल के साथ भिजवाये जाये।
3. बिना बिलों के समितियों को हैण्डलिंग एवं परिवहन बिलों का भुगतान सम्भव नहीं होगा।
4. बिल पाक्षिक रूप से भेजे जावें।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, बिलों को प्रधान कार्यालय भिजवाने से पूर्व क्रय-विक्रय समिति को हैण्डलिंग एवं परिवहनकर्ता संवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल बिल की प्रमाणित प्रति सभी समितियों से प्राप्त कर संलग्न करेंगे। तथा क्रय-विक्रय सहकारी समिति का प्रमाण पत्र "संवेदक द्वारा प्रस्तुत बिल की न्यूनतम दर एवं दूरी से जाँच कर ली गयी है तथा जाँच उपरांत सही पाया गया" भी प्राप्त कर संलग्न करेंगे।
6. भुगतान प्रक्रिया - "सदस्य समितियों व संवेदकों को हैण्डलिंग व परिवहन क्लेम्स का भुगतान राजफैड द्वारा जारी हैण्डलिंग एवं परिवहन के दिशा-निर्देशों, निविदा शर्तों व प्रावधान अनुसार नेफेड से पुर्नभरण प्राप्त होने पर तदानुसार ही किया जावेगा।"



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

7. खरीद, हैण्डलिंग, परिवहन एवं अन्य खर्चों के संपूर्ण बिल खरीद समाप्त होने के पश्चात् 15 दिवस में समितियों द्वारा राजफेड क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित किये जावे। इसके पश्चात् प्रेषित बिल स्वीकार नहीं किये जावेगें।

8. समिति से वसूल योग्य राशि का समायोजन उसको देय राशि में से किया जावेगा।

24. भंडारण -

नेफेड द्वारा जिन्सों के भंडारण हेतु आर.एस.डब्ल्यू.सी./सी.डब्ल्यू.सी. के भंडार गृहों में अग्रिम आरक्षण नहीं करवाने के निर्देश दिये हुए हैं। नेफेड द्वारा वास्तविक आधार पर भंडारित जिन्सों के भंडारण शुल्क का भुगतान किया जावेगा। इस संबंध में राजफेड के पत्र क्रमांक कृषि आदान/2020-21/5502-5514 दिनांक 27.10.2020 की पालना सुनिश्चित की जावे।

क्रय जिन्स का भंडारण आवश्यक रूप से अधिकतम तीन दिवस में कराया जावे। समिति द्वारा क्रय जिन्स का परिवहन राजफेड मुख्यालय द्वारा दिये गये वेयरहाउस मूवमेंट प्लान के अनुसार ही आवंटित भंडारगृहों (आर.एस.डब्ल्यू.सी./सी.डब्ल्यू.सी.) में निर्धारित प्राथमिकता क्रम में करवाया जाना है। सभी क्षेत्रीय कार्यालय क्रय केन्द्रों से भंडारगृह की दूरी के प्राथमिकता क्रम में मूवमेन्ट प्लान अविलम्ब उपलब्ध करावें। क्षेत्रीय कार्यालयों से मूवमेन्ट प्लान प्राप्त होने पर अनुमोदित मूवमेन्ट प्लान पृथक से भिजवाया जावेगा। अनुमोदित मूवमेंट प्लान से पृथक भंडारगृह में भंडारण अनुमत नहीं होगा। मूवमेंट प्लान में बिना राजफेड की स्वीकृति के संशोधन नहीं किया जावेगा तथा बिना स्वीकृति परिवर्तन का भुगतान राजफेड द्वारा नहीं किया जायेगा एवं संबंधित के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लायी जा सकेगी। यदि खरीद के दौरान यदि कोई भंडारगृह उपलब्ध होता है तो उसमें जिन्स भंडारण की स्वीकृति उपरांत ही भंडारण करवाया जावे। मूवमेंट प्लान हेतु महाप्रबन्धक (मा.स.वि.) से दूरभाष पर 0141-2740364 ई-मेल rajfed_hrd@yahoo.com पर जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

समिति द्वारा भंडारण हेतु जिन्स ट्रक में लोड किया जाकर त्रिपाल आदि से पूर्णतः कवर(cover) करवाया जाकर सील किया जावे। समिति द्वारा ट्रक में लोडिंग का कार्य दिन में कराया जावे एवं लोडिंग के समय समिति द्वारा अधिकृत कार्मिक की उपस्थिति सुनिश्चित की जावे। ट्रक में स्टेण्डर्ड भर्ती के कट्टों की ही लोडिंग(loading) की जावे। ट्रक को वेयरहाउस खाना करने से पूर्व वेयरहाउस पर खाली होने की सुनिश्चितता कर ली जावे, ताकि वेयरहाउस पर अनावश्यक ट्रकों की लाइन न लगे। संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी यह सुनिश्चित करे। भंडारण हेतु आर.एस.डब्ल्यू.सी./सी.डब्ल्यू.सी. द्वारा मानक संचालन प्रक्रिया यदि कोई हो तो उनके स्तर से पृथक से जारी की जावेगी।

भंडारगृहों पर पहुँची गाडी को अधिकतम 48 घंटे में खाली कराने की जिम्मेदारी संबंधित वेयरहाउस प्रबन्धक की होगी। ऐसा नहीं होने पर जिम्मेदारी तय की जावे।

नेफेड, जयपुर के पत्र क्रमांक 1320 दिनांक 07.12.2023 जिसकी प्रति राजफेड के पत्र दिनांक 8059-8119 दिनांक 13.12.2023 परिशिष्ट-22 द्वारा भेजी गई, के अनुसार आरएसडब्ल्यूसी भंडारगृहों पर भी खरीफ 2023 में भी सर्वेयर नियुक्त नहीं किये गये थे। अतः सभी खरीद केन्द्र भली-भाँति सुनिश्चित कर लेवे कि भंडारण हेतु भिजवाये जाने वाला दलहन-तिलहन एफएक्यू श्रेणी का ही है। भंडारण के दौरान यदि कोई जिन्स नॉन एफएक्यू पाया जाता है, तो जिन्स को सम्बंधित किसान को भुगतान/जिन्स वापस लोटाने का दायित्व सम्बंधित समिति का होगा अर्थात् नॉन एफएक्यू श्रेणी जिन्स का भंडारण किसी भी स्थिति में नहीं किया जाना है।





राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.
RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

25. भंडारण रसीदें -

राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम से ई डब्लू.आर की सॉफ्टकॉपी सीधे राजफैड को प्राप्त हो रही है। समर्थन मूल्य पर क्रय किये गये जिन्स की भण्डारण रसीदों की हार्डकॉपी सभी क्रय केन्द्र बिना रिमार्क की भण्डारगृह से प्राप्त कर खरीद दिनांक से तीन दिवस में आवश्यक रूप से सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय, राजफैड को भिजवाना सुनिश्चित करे। सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ उक्त व्यवस्था का सतत् पर्यवेक्षण करेंगे। विलम्ब से प्राप्त भण्डारण रसीदें स्वीकार नहीं की जायेगी। सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय दो दिवस में प्राप्त भण्डारण रसीदें मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। विलम्ब से प्राप्त होने वाली भण्डारण रसीदें नेफैड द्वारा स्वीकार नहीं की जावेगी। मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की भण्डारण रसीदें मूल कीमत +10 प्रतिशत खर्चों सहित नेफेड द्वारा क्रय-विक्रय सहकारी समिति के नाम से बनवाकर प्राप्त की जावे, जिनमें किसी प्रकार की कटिंग स्वीकार्य नहीं होगी।

भण्डारण रसीदों पर बोरियों की संख्या, वजन नमी की मात्रा, गोदाम का नाम, स्टैक नम्बर एवं क्रय केन्द्र का नाम भी स्पष्ट अंकन होना अनिवार्य है। भण्डारण रसीदों के साथ नेफेड द्वारा भण्डारण गृह पर नियुक्त सर्वेयर से सर्वेयर रिपोर्ट प्राप्त कर संलग्न की जानी है। मूल भण्डारण रसीदों के अतिरिक्त एक अतिरिक्त फोटोप्रति सर्वेयर रिपोर्ट सहित भी संलग्न कर भिजवायी जानी है। भंडारण रसीदें भिजवाने की जिम्मेदारी संबंधित समिति/केन्द्र की होगी। खरीद समाप्त होने के 20 दिवस में सम्पूर्ण भण्डारण रसीदें बिना रिमार्क की प्रेषित की जावे। इसके बाद भण्डारण रसीदें स्वीकार नहीं की जावेगी। वेयरहाउस प्रबन्धक द्वारा उसी दिन वेयरहाउस रसीद की हार्ड कॉपी जारी करना अनिवार्य होगा। आर.एस.डब्ल्यू.सी. द्वारा समस्त वेयरहाउस रसीदें ऑनलाईन सॉफ्टवेयर से ही जारी की जावे। पूर्व में ऐसा देखने में आया है कि वेयरहाउस मैनेजर्स द्वारा सॉफ्टवेयर से डब्ल्यूआर जारी न कर केवल ऑफलाईन जारी कर दी थी, जिसके कारण ऑनलाईन एवं ऑफलाईन डब्ल्यूआर में अन्तर उत्पन्न हो गया था अतः समस्त डब्ल्यूआर सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही जनरेट की जावें। वेयरहाउस मैनेजर्स द्वारा कतिपय प्रकरणों में डब्ल्यूआर में प्रविष्टियाँ गलत हो जाने पर हार्डकॉपी में दुरुस्ती कर दी गयी परन्तु सॉफ्टवेयर में नहीं की गयी जिससे अन्तर उत्पन्न हो जाता है अतः दुरुस्ती ऑनलाईन भी की जावें।

आर.एस.डब्ल्यू.सी. भण्डारगृहों द्वारा जारी भण्डारण रसीदों के अनुरूप ही ई-डब्ल्यूआर भी संबंधित भण्डारगृह से तत्काल जारी करायी जावें ताकि नेफेड से पुनर्भरण प्राप्त करने में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।

भण्डारण रसीदें 2 प्रति में निम्न प्रारूप में मुख्यालय को समितिवार संकलित कर भिजवायी जाये :-

एक्सेल शीट (सॉफ्टकॉपी english(Times New Roman Font)) का प्रारूप

S.no.	Samiti	Centre	Warehouse	WHR no.	Date	Katta	Weight (Qtl.)
1	2	3	4	5	6	7	8
						-	-
						G. Total	-
						Previous Total of WR's	-
						Progressive Total	-



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

भण्डारण रसीदें पूर्ण सावधानी से जॉच उपरांत दो प्रतियों में एवं मूल पत्र की एक्सेल शीट (सॉफ्टकॉपी english) वाणिज्य शाखा की ई-मेल आई.डी. rajfed.mktg@yahoo.com पर Times New Roman Font में प्रेषित की जावें।

नोट – समिति का नाम, केन्द्र का नाम, भण्डारगृह का नाम प्रेषित किये जाने वाले पत्र में english में ही अंकित किया जावे। भण्डारण रसीदें जिनसवार, समितिवार अलग-अलग योग लगाकर ही प्रेषित की जावे।

26. भण्डारगृह पर रिजेक्शन

वेयर हाउस में किसी प्रकार के रिजेक्शन में आवश्यक रूप से सर्वेयर से रिजेक्शन रिपोर्ट तैयार करवाई जावे जिस पर वेयर हाउस मैनेजर के हस्ताक्षर हो। भण्डारगृहों पर नेफेड द्वारा नियुक्त सर्वेयरों द्वारा कृषि जिनस स्टॉक अस्वीकृत करने के कारण पूर्व में गुणवत्ता संबंधी विवाद उत्पन्न हुए थे इसे ध्यान में रखते हुए प्रमुख शासन सचिव सहकारिता के पत्र क्रमांक 459-609 दिनांक 06.04.18 संलग्न (परिशिष्ट-23) के द्वारा भण्डारगृहों पर एफएक्यू श्रेणी जिनस के संबंध में निम्नानुसार गठन किया हुआ है:-

1. आरएसडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी का प्रतिनिधि
2. नेफेड का प्रतिनिधि
3. कृषि विभाग का कृषि पर्यवेक्षक (जहाँ वेयरहाउस स्थित है उस जिले का)
4. संबंधित व्यवस्थापक- सदस्य सचिव

1. दिनांक 27.02.2020 एवं दिनांक 17.03.2021 को मुख्य सचिव, राजस्थान की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में निर्णय लिया गया था कि नेफेड द्वारा राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम के गोदामों पर रेन्डम आधार पर सर्वेयर लगाये जायेंगे। गुणवत्ता विवाद की स्थिति में भण्डारगृह स्तर पर गठित कमेटी का निर्णय स्वीकार होगा। यदि उक्त कमेटी एक मत से निर्णय नहीं कर पाती है, तो जिनस की गुणवत्ता के सम्बन्ध में नेफेड का निर्णय अंतिम रूप से स्वीकार होगा एवं उसी अनुरूप जिनस जमा करने की कार्यवाही की जावेगी।

2. Fair Average Quality (FAQ) का ही दलहन-तिलहन भण्डारगृह में भण्डारित करवाया जाना है। Non Fair Average Quality (Non-FAQ) का दलहन-तिलहन किसी भी सूरत में भण्डारित नहीं करवाया जावे। Non Fair Average Quality (Non-FAQ) के दलहन-तिलहन के लिए समिति स्वयं उत्तरदायी होगी। संबंधित कृषक को मुगतान या जिनस लौटाने का दायित्व तथा हानि का दायित्व भी संबंधित समिति का होगा।

3. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता के पत्र क्रमांक 459-609 दिनांक 06.04.18 संलग्न (परिशिष्ट-23) द्वारा गठित कमेटी में सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक 12957-13052 दिनांक 29.03.2022 (परिशिष्ट-24) द्वारा कमेटी का पुर्नगठन किया गया है। गठित कमेटी द्वारा क्रय जिनस की गुणवत्ता पर विवाद होने पर भण्डारण के दौरान निम्न प्रक्रिया आवश्यक रूप से अपनायी जावे :-

1. सदस्य सचिव द्वारा कमेटी की बैठक का आयोजन किया जावेगा।
2. बैठक आयोजन के क्रम में नोटिस जारी किया जावेगा जिसमें तिथि, समय व विवाद विवरण का उल्लेख होगा।
3. बैठक में कमेटी के सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
4. वेयरहाउस व नेफेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा ही प्रतिनिधि नामित किये जा सकेंगे।
5. गुणवत्ता के क्रम में बहुमत से लिया गया निर्णय मान्य होगा।
6. क्रय कृषि जिनस गुणवत्तायुक्त नहीं पाये जाने पर कारण का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
7. वेयरहाउस में गुणवत्तायुक्त कृषि जिनस का ही भण्डारण किया जा सकेगा।
8. गठित कमेटी अन्यथा स्थिति यथा भंग या संशोधन न होने की स्थिति में यथावत कार्य करती रहेगी।
9. क्रय कृषि जिनस की गुणवत्ता के क्रम में सदस्य कमेटी के मध्य मतांतर होने पर सभी सदस्यों के अभिमत कार्यवाही में अंकित किये जावे।
10. कमेटी की बैठक में सम्पन्न कार्यवाही से नेफेड व राजफेड को तत्काल अवगत कराया जावे।
11. कमेटी आवश्यक समझे तो संबंधित क्षेत्र के प्रगतिशील कृषकों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकेंगे लेकिन विशेष आमंत्रित सदस्य को मताधिकार नहीं होगा।





राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

वेयरहाउस में किसी भी प्रकार के रिजेक्शन में आवश्यक रूप से सर्वेयर से रिजेक्शन रिपोर्ट तैयार करवायी जावे तथा उस पर वेयरहाउस मैनेजर के हस्ताक्षर हो ताकि कृषि जिन्स भण्डारण कार्य में पूर्ण पारदर्शिता रखी जा सके।

27. नॉन एफ.ए.क्यू. स्टॉक का निस्तारण

समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत नॉन एफ.ए.क्यू. श्रेणी का जिन्स क्रय किया जाना मान्य नहीं होने के कारण राजफेड/नेफेड द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जावेगा इस हेतु सम्बन्धित समिति व्यवस्थापक व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। नॉन एफ.ए.क्यू. श्रेणी के जिन्स का संबंधित किसान को भुगतान अथवा जिन्स वापिस लौटाने का दायित्व संबंधित समिति का होगा। नॉन एफ.ए.क्यू. श्रेणी के जिन्स के निस्तारण में होने वाली हानि सम्बन्धित समिति से वसूली योग्य होगी। राजफेड द्वारा नॉन एफ.ए.क्यू. जिन्स का भुगतान नहीं किया जावेगा।

28. मण्डी टैक्स एवं कृषक कल्याण सेस

राज्य सरकार द्वारा राजफेड के माध्यम से या अन्य अधिकृत एजेन्सी के माध्यम से मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीद समर्थन मूल्य पर किये जाने पर खरीफ सीजन वर्ष 2024-25 में खरीद अवधि तक के लिये उक्त खरीद पर राज्य सरकार की मण्डी समितियों को देय मण्डी शुल्क से छूट प्रदान की गई है। शासन उप सचिव, कृषि (ग्रुप-2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक 10(2)कृषि/ग्रुप-2/75 दिनांक 03.09.2024 की प्रति संदर्भ हेतु परिशिष्ट-25 पर संलग्न है।

29. जी.एस.टी.

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत दलहन (चना, मूंग, उड़द) की खरीद पर जीएसटी लागू नहीं है एवं तिलहन पर नियमानुसार जीएसटी देय है। सदस्य समितियों द्वारा की गई कृषि जिन्सों की तिलहन की खरीद पर देय जीएसटी का नेफेड द्वारा पुनर्भरण किया जावेगा। समस्त समितियों जीएसटी आर-1 रिटर्न की जीएसटी पोर्टल पर फाईल की गई प्रति, जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र, बिला दिनांक से अधिकतम आगामी माह की 12 तारीख तक तथा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, राजफेड को भिजवाना सुनिश्चित करेंगी एवं क्षेत्रीय कार्यालय राजफेड द्वारा जीएसटी आर-1 रिटर्न की प्रतियाँ समितिवार संकलित क राजफेड को अधिकतम आगामी माह की 14 तारीख तक प्रेषित करेंगी। माह की 14 तारीख के पश्चात् यदि जीएसटी क्लेम पर पैनल्टी लगती है तो इसके लिए संबंधित समिति जिम्मेदार होगी।

सदस्य समितियों द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय राजफेड को तिलहन जिन्स के बिल के साथ जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र, ई-इनवॉइस की प्रति, बिल पर (6 डिजिट का एच.एस.एन. नम्बर, बिल नम्बर, दिनांक, समिति एवं राजफेड का जीएसटी नम्बर आपूर्ति स्थल, पिन कोड, जिन्स का नाम, जिन्स की मात्रा, दर एवं राशि आदि) आदि जीएसटी नियमानुसार प्रेषित किये जावेंगे। नियमानुसार कांटे गये बिल, ई-इनवॉइस, जीएसटी आर-1 रिटर्न (जीएसटी पोर्टल पर फाईल) की प्रति जीएसटी रजिस्ट्रेशन का प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं करने की स्थिति में जीएसटी राशि का भुगतान बाधित होने पर संबंधित सदस्य समिति उत्तरदायी होगी।

सदस्य समितियों के द्वारा जीएसटी आर-1 रिटर्न निर्धारित समयावधि में फाईल किया जाना सुनिश्चित किया जावे ताकि उसी अनुरूप जीएसटी राशि का पुनर्भरण किया जा सके। संबंधित क्षेत्रीय अधिकारीगण इस बात की सुनिश्चितता करें कि समितियों द्वारा जीएसटी आर-1 रिटर्न भरने एवं जीएसटी जमा कराने संबंधित कार्यवाही निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जावे ताकि समितियों को अनावश्यक पेनल्टी वहन नहीं करनी पड़े। इस हेतु क्षेत्रीय अधिकारीगण सतत् पर्यवेक्षण सुनिश्चित करें।



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

30. किसानों को भुगतान -

खरीद प्रक्रिया के अन्तर्गत कृषकों से खरीद किये गये जिन्सों की राशि भुगतान राज्य सरकार के निर्देशानुसार सीधे ही उनके जन-आधार कार्ड में सीडेड बैंक खातों में ऑनलाईन किया जावेगा। भुगतान प्रक्रिया निम्नानुसार निष्पादित की जायेगी :-

1. कृषक को एफ.ए.क्यू. श्रेणी जिन्स का भुगतान समिति द्वारा वेयरहाउस में जमा जिन्स के आधार पर किया जायेगा। अतः समिति क्रय जिन्स का भण्डारण अधिकतम तीन दिवस में किया जाना सुनिश्चित करे।
2. क्रय केन्द्र प्रभारी प्रत्येक दिवस खरीद समाप्त होने के पश्चात डे-क्लोज (गिरदावरी-टिकिंग) करेंगे तथा खरीद का रिकॉर्ड (गिरदावरी एवं खरीद पर्ची) से मिलान सुनिश्चित करते हुये पोर्टल पर अपडेट करेंगे।
3. व्यवस्थापक क्रय विक्रय सहकारी समिति द्वारा क्रय जिन्स के स्टॉक की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट जिसमें कुल खरीद, भण्डारगृह में जमा, पिड पर शेष स्टॉक समिति के पजेशन में होने आदि का विवरण संलग्न (परिशिष्ट-26) के अनुसार प्रमाण-पत्र पोर्टल पर ऑनलाईन दर्ज करना होगा एवं साप्ताहिक रूप से उक्त सूचना सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड एवं उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों को भी देनी होगी।
4. खरीद रिकॉर्ड से मिलान पश्चात् भुगतान उसी दिन ऑनलाईन पोर्टल पर आवश्यक रूप से अनुमोदित (अप्रूव) किया जायेगा।
5. क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा अनुमोदित खरीद को सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड द्वारा चेक कर डब्ल्यूआर तक की राशि का भुगतान अनुमोदित कर आईटी सैल प्रधान कार्यालय को भेजा जायेगा।
6. क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा किसानों को किये जाने वाले भुगतान की सत्यापित सूची मुख्यालय द्वारा जनरेटेड शीट का वित्त अनुभाग द्वारा अधिकृत बैंक के माध्यम से किसानों के बैंक खातों की PFMS से किसान का नाम, IFSC कोड तथा बैंक खाता संख्या की जाँच करवाई जावेगी।
7. PFMS में जाँच उपरान्त सही पाये गये कृषक के बैंक खाते में सीधे ऑनलाईन भुगतान किया जावेगा।
8. लीड बैंक द्वारा जिन किसानों की असफल भुगतान (फेलीयर पेमेंट) रिपोर्ट किये जाते हैं अथवा जिन किसानों की गलत खातों में राशि हस्तान्तरित हो जाती हैं उनकी मॉनेटरिंग एवं सम्बन्धित क्रय-विक्रय सहकारी समिति के माध्यम से किसानों के भुगतान सम्बन्धी समस्त सूचना आई.टी. सेल द्वारा लेखा शाखा से समन्वय स्थापित करते हुये उपलब्ध करायी जायेगी।
9. समर्थन मूल्य पर खरीद के दौरान पंजीयन कराते समय किसान के आधार लिंक बैंक खाते की पासबुक से मिलान कर सही खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड नम्बर अंकित करवाया जाना संबंधित समिति व्यवस्थापक सुनिश्चित करें। किसान का खाता संख्या गलत होने पर भुगतान नहीं होने की स्थिति में किसान को देय राशि सम्बन्धित क्रय विक्रय सहकारी समिति को भेजी जावेगी। किसान सम्बन्धित क्रय विक्रय सहकारी समिति पर सम्पर्क कर भुगतान प्राप्त कर सकेगा। इस हेतु किसान के पंजीकृत मोबाईल नम्बर पर मैसेज भी दिया जायेगा।
10. क्रय केन्द्र प्रभारियों द्वारा दैनिक रूप से डेक्लोज, खरीद का भुगतान एवं स्टॉक प्रमाण-पत्र अपडेट करने सम्बन्धित सूचना का पर्यवेक्षण सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों द्वारा किया जावेगा।
11. उपरोक्त कार्यवाही के उपरान्त केन्द्र प्रभारी द्वारा प्रतिदिन डे-क्लोज करना (गिरदावरी-टिकिंग) सुनिश्चित करेंगे। डे क्लोज की भौति किसानों की मूल गिरदावरी प्राप्त होने एवं सबधित समस्त रिकॉर्ड समिति में सुरक्षित होने के आशय की ऑनलाईन पुष्टि भी की जावेगी।

31. कानून व्यवस्था -

क्रय केन्द्र पर पारदर्शिता एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु सी.सी. टीवी कैमरे लगाये जावे। क्रय केन्द्र पर आवश्यकतानुसार विडियोग्राफी कराई जा सकती है। कैमरे व विडियोग्राफी पर होने वाला व्यय संबंधित समिति द्वारा वहन किया जावेगा। समर्थन मूल्य खरीद के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने तथा खरीद कार्य की प्रभावी मॉनेटरिंग एवं सुचारु रूप से क्रियान्वयन के लिये सम्बन्धित जिला प्रशासन के स्थानीय अधिकारियों से सम्पर्क रखा जावे। जिला कलक्टर से सम्पर्क कर समय-समय पर प्रगति से अवगत करावे। खरीद केन्द्र स्तर पर समर्थन मूल्य पर खरीद में आने वाली समस्याओं के सुगम निराकरण हेतु संयुक्त शासन सचिव,



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

प्रशासनिक सुधार विभाग अनु-3 द्वारा आज्ञा क्रमांक 6(13) अनु-3/2018 दिनांक 17.04.2018 संलग्न परिशिष्ट-27 के अनुसार खरीद केन्द्र समन्वय एवं निगरानी समिति का निम्नानुसार गठन किया हुआ है:-

1. संबंधित उप खण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2. जिला रसद अधिकारी	सदस्य
3. उप पुलिस अधीक्षक/थाना इन्चार्ज संबंधित	सदस्य
4. उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ	सदस्य
5. प्रतिनिधि आरएसडब्लूसी/सीडब्लूसी	सदस्य
6. सचिव कृषि उपज मण्डी समिति	सदस्य
7. क्रय-विक्रय सहकारी समिति/केन्द्र प्रभारी	सदस्य सचिव

पुलिस अधीक्षक, कानून व्यवस्था, राजस्थान, जयपुर के पत्र क्रमांक 15(11) कानून व्यवस्था/2018-23/376 दिनांक 20.03.2023 (संलग्न परिशिष्ट-28) के द्वारा पूर्व में समस्त पुलिस अधीक्षक एवं समस्त उपायुक्त को खरीद के दौरान क्रय केन्द्रों पर किसी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न न हो, इस हेतु फसल खरीद के दौरान आवश्यक पुलिस प्रबन्ध करने एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु निर्देशित किया हुआ है। अतः संबंधित जिला/पुलिस प्रशासन से भी समन्वय बनाया रखा जावे।

मुख्य सचिव, राजस्थान स्तर से जिला कलक्टर को पत्र क्रमांक 14706-14793 दिनांक 21.10.20 संलग्न परिशिष्ट-29 से पूर्व में क्रय केन्द्रों पर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु 1 से 4 का पुलिस बल लगाये जाने के निर्देश दिये हुये हैं। अतः सम्बन्धित जिला प्रशासन से सम्पर्क कर खरीफ 2024 खरीद अवधि के दौरान केन्द्र पर पुलिस बल लगवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

32. प्रचार-प्रसार -

(अ) सभी क्रय केन्द्रों पर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करवाया जावे। आवश्यकतानुसार क्रय केन्द्रों जिला परिषद/जिला पंचायत के माध्यम से स्थानीय स्तर पर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जावे। क्रय केन्द्रों पर फ्लेक्स बैनर में विशेष रूप से निम्नांकित तथ्यों को प्रदर्शित किया जावे :-

1. एफ.ए.क्यू मापदण्डों एवं समर्थन मूल्य दर का प्रदर्शन।
2. क्रय केन्द्रों पर विक्रय हेतु आवश्यक दस्तावेजों की सूची।
3. टोल फ्री नम्बर, क्रय केन्द्र प्रभारी, समिति व्यवस्थापक का नाम व मोबाईल नम्बर।
4. कृषक को ऑनलाईन विल जारी कराने एवं एक प्रति प्राप्त करने हेतु सूचित किये जाने एवं तुलाई पर्ची समिति में जमा कराने बाबत फ्लेक्स बैनर के माध्यम से सूचित किया जावे।
5. समस्या समाधान हेतु संबंधित उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों का नाम व मोबाईल नम्बर।
6. कृषक द्वारा वहनीय खर्चों की सूची।

(ब) बैनर - समर्थन मूल्य दलहन-तिलहन खरीद अन्तर्गत क्रय केन्द्रों/मण्डी परिसर एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर संलग्न परिशिष्ट-30 अनुसार बैनर लगाये जाने हैं, जिसमें क्रय केन्द्र से संबंधित जिन्स के गुणवत्ता मापदण्डों, किसान द्वारा वहनीय खर्चों एवं संबंधित अधिकारियों के मोबाईल नम्बर आदि का स्पष्ट उल्लेख हो।

33. विजिलेन्स -

1. सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों कार्यालय में समर्थन मूल्य खरीद हेतु एक प्रकोष्ठ स्थापित किया जावे। उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों जिले में संचालित खरीद केन्द्रों का सतत रूप से सघन पर्यवेक्षण एवं





राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

मॉनेटरिंग करेंगे एवं वह यह भी सुनिश्चित करेंगे कि समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन खरीद हेतु राजफैड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की पूर्ण पालना क्रय केन्द्रों द्वारा की जावे। गत खरीद में केन्द्रों पर खरीद उपरान्त स्टॉक कम होना, स्टॉक चोरी होना, समितियों द्वारा नॉन एफ.ए.क्यू. जिन्स खरीद किये जाने के प्रकरण सामने आये हैं। अतः सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ उक्त बिन्दुओं पर सघन निगरानी रखेंगे, यदि कोई अनियमितता सामने आती है, तो अविलम्ब राजफैड मुख्यालय को अवगत कराते हुये नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करेंगे। समर्थन मूल्य पर किसानों से कृषि जिन्स की खरीद का कार्य सुगमता से एवं पारदर्शिता पूर्ण तरीके से सम्पन्न हो सके की दृष्टि से इकाई अधिकारी(जिले का उप रजिस्ट्रार), समिति व्यवस्थापकों के एवं केन्द्र प्रभारियों के दायित्व तथा कम्प्यूटर ऑपरेटरों के दायित्व पत्र क्रमांक 15988-16388 दिनांक 09.11.2020 संलग्न परिशिष्ट-31 से निर्धारित किये हुए हैं। अतः संबंधित सभी से अपेक्षा की जाती है कि आपसी समन्वय स्थापित करवाते हुए खरीद कार्य को पारदर्शिता पूर्ण तरीके से सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें एवं क्रय केन्द्रों का औचक निरीक्षण भी किया जावे।

2. संबंधित उप रजिस्ट्रारगण यह सुनिश्चित करवायें कि क्रय केन्द्रों द्वारा निर्धारित गुणवत्ता मापदण्ड के अनुरूप ही दलहन-तिलहन की खरीद की जाये। किसान द्वारा क्रय केन्द्र पर लाये जाने वाले जिन्स के संबंध में यदि गुणवत्ता विवाद उत्पन्न होता है तो इस परिपत्र के बिन्दु क्रमांक 15 के अनुसार गठित कमेटी के माध्यम से विवाद का निस्तारण करवाया जाये। केन्द्र पर जिन्स क्रय करने के उपरान्त यदि भण्डारगृह पर गुणवत्ता संबंधी विवाद उत्पन्न होता है तो इस परिपत्र के बिन्दु क्रमांक 27 के अनुसार गठित कमेटी के माध्यम से गुणवत्ता विवाद का निपटारा करवाया जावे।

3. संबंधित उप रजिस्ट्रारगण यह भी सुनिश्चित करावें कि क्रय केन्द्रों द्वारा प्रचार-प्रसार की पूर्ण व्यवस्था की गयी है एवं इस हेतु निर्धारित प्रारूप अनुसार बैनर भी लगाये गये हैं।

4. क्षेत्रीय अधिकारीगण राजफैड, समितिवार लगाये गये बैनर की फोटो संकलित कर राजफैड मुख्यालय को भिजवाएंगे।

सभी उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ एवं क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड को दैनिक रूप से ओ.पी.आर. जरिये ई-मेल प्रेषित की जावेगी। इस हेतु सम्बन्धित कार्यालयों के एक्टिव ई-मेल आई.डी. प्रेषित करावे। खरीद एवं भुगतान सम्बन्धी प्रगति कृषक विशेष या क्षेत्र विशेष की जन सूचना पोर्टल पर भी देखी जा सकती है।

प्रतिदिन खरीद प्रगति की सूचना पर ऑनलाईन अपडेट की जावे। मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली खरीद सम्बन्धी समस्त रिकॉर्ड एवं दस्तावेज पूर्ण रूप से सुरक्षित रखे जावें, ताकि ऑडिट के समय किसी तरह की असुविधा न हो।

क्षेत्रीय अधिकारी अपने क्षेत्र में स्थित खरीद केन्द्रों का सप्ताह में तीन दिवस प्रतिदिन कम से कम तीन केन्द्रों का विजिट/निरीक्षण करते हुए विजिट रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप संलग्न परिशिष्ट-32 में विजिट समाप्त होने के दो दिवस के अन्तर आवश्यक रूप से महाप्रबन्धक(वाणिज्य) को भिजवाएंगे।

उप रजिस्ट्रारगण भी समय-समय पर केन्द्रों का विजिट करे एवं संलग्न प्रारूप अनुसार विजिट रिपोर्ट प्रेषित की जावें। बटाईदार के पंजीयन की व्यवस्था बिन्दु क्रमांक 5 एवं खरीद प्रक्रिया 13.3 अनुसार निर्धारित है। केन्द्रों पर बटाईदार के पंजीयन/खरीद के संबंध में रेण्डम आधार पर दस्तावेजों की जाँच भी की जावें। यदि किसी केन्द्र पर बटाईदारों के असामान्य पंजीकरण पाये जाते हैं तो उसके संबंध में भी तथ्यों की जाँच कर अवगत करावें। इसी प्रकार क्रय केन्द्रों के विजिट के दौरान कृषक/ई-मित्र द्वारा ऑनलाईन प्रक्रियानुसार अपलोड किये गये दस्तावेजों यथा गिरदावरी, बैंक पासबुक, जनाधार-कार्ड का क्रय केन्द्र पर मूल भौतिक रिकॉर्ड से मिलान किया जावे। यदि कोई विसंगति ध्यान में आती है तो उसका भी विजिट रिपोर्ट में आवश्यक



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि.

RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

रूप से उल्लेख किया जावे। क्रय केन्द्रों द्वारा खरीद के समय मूल गिरदावरी में वर्णित रकबे का स्पष्ट ध्यान रखा जावे।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आपके क्षेत्र के क्रय केन्द्रों पर समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत समर्थन मूल्य दर पर मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीद में निर्धारित गुणवत्ता मापदंडों का पूर्ण ध्यान रखा जावे। निर्धारित गुणवत्ता मापदंडों के अनुरूप मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली खरीद की जिम्मेवारी सम्बन्धित समिति की होगी।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

(नारायण सिंह)
आई.ए.एस.
प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रशासक, राजफैड एवं मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. शासन सचिव, सहकारिता, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, कृषि/राजस्व, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. आयुक्त कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. शासन सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर अनुरोध है कि सहकारी विभाग स्तर से भी निर्देश जारी करने का श्रम करें।
8. निदेशक, कृषि, कृषि विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. निदेशक, कृषि विपणन, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर।
10. संभागीय आयुक्त (समस्त)
11. जिला कलक्टर (समस्त)
12. उपखण्ड अधिकारी (समस्त)
13. महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा/कृषि/मा.स.वि./फैक्ट्री) राजफैड, जयपुर।
14. अतिरिक्त रजिस्ट्रार(मार्केट), सहकारी समितियाँ, राजस्थान जयपुर को भेजकर लेख है कि समर्थन मूल्य दलहन/तिलहन की खरीद के सम्बन्ध में विभागीय अधिकारियों को अपेक्षित विभागीय निर्देश जारी करवाने की व्यवस्था करे।
15. श्री आर.के. शर्मा, अतिरिक्त निदेशक डीओआईटी, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उपर्युक्त आदेशों की सभी ई-मित्र कियोस्क धारकों से पालना सुनिश्चित कराने हेतु पाबन्द करे।
16. श्री एस.सी. गुप्ता, राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी, कमरा नं. 8318, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. राज्य प्रमुख, नेफेड जयपुर।
18. निजी सचिव, प्रबन्ध संचालक, राजफैड, जयपुर-उक्त आदेश राजफैड वेबसाइट पर अपलोड करने के संबंध में।
19. आईटी शाखा, राजफैड, जयपुर।
20. जनसम्पर्क अधिकारी, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।

21
महाप्रबन्धक (वाणिज्य)
(इन्दर सिंह)
महाप्रबन्धक (वाणिज्य)
राजफैड, जयपुर

418 - 1

**Government of Rajasthan
Agriculture (Group-1) Department,
Rajasthan, Jaipur**

No.F.9()Agri.-1/Input/2024

Jaipur, Dated:-

NOTIFICATION

Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd is to send proposal for procurement on Minimum Support Price of Moong and Urad under Price Support Scheme (PSS) in the year 2024-25 . As per guidelines of GOI, notification regarding crop calendar and harvesting period of **Moong and Urad** in Rajasthan State is required to be issued as part of proposal.

Therefore, Government of Rajasthan hereby notifies and declares the sowing and harvesting period of Kharif Crops namely, **Moong and Urad** in State of Rajasthan as under:-

Particulars	Kharif 2024
Sowing	June-July 2024
Harvesting	Sept.- Nov.2024

By order and in the name of Government of Rajasthan.

(NavratanKoli)

Deputy Secretary to Govt.

No.F.9(3)Agri.-1/Input/2024

Jaipur, Dated:-

Copy to following for information and necessary action:-

1. Additional Chief Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
2. SA to Hon'ble Agriculture Minister, Rajasthan, Jaipur.
3. SA to Hon'ble Minister, Food & Civil Supply Rajasthan, Jaipur.
4. SA to Hon'ble Minister, Co-operative, Rajasthan, Jaipur.
5. PS to Principal Secretary, Agriculture & Horticulture, Rajasthan, Jaipur.
6. PS to Principal Secretary, Co-operative, Rajasthan, Jaipur.
7. PS to Principal Secretary, Food & Civil Supply Rajasthan, Jaipur.
8. PS to Registrar, Co-operative, Rajasthan, Jaipur.
9. PS to Commissioner of Agriculture, Rajasthan Jaipur.
10. Joint Secretary Co-operative, Secretariat, Jaipur.
11. Director , Agriculture Marketing, Rajasthan ,Jaipur.
12. Managing Director, RAJFED, Rajasthan, Jaipur.

Deputy Secretary to Govt.

Signature valid



Digitally signed by Navratan Koli
Designation: Deputy Secretary To
Government
Date: 2024.09.08 18:52:49 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 10760257



Scanned with OKEN Scanner

**Government of Rajasthan
Agriculture (Group-1) Department,
Rajasthan, Jaipur**

No.F.9()Agri.-1/Input/2024

Jaipur, Dated:-

NOTIFICATION

Rajasthan State Cooperative Marketing Federation Ltd is to send proposal for procurement on Minimum Support Price of Groundnut and Soyabean under Price Support Scheme (PSS) in the year 2024-25 . As per guidelines of GOI, notification regarding crop calendar and harvesting period of Groundnut and Soyabean in Rajasthan State is required to be issued as part of proposal.

Therefore, Government of Rajasthan hereby notifies and declares the sowing and harvesting period of Kharif Crops namely, **Groundnut and Soyabean** in State of Rajasthan as under:-

Particulars	Kharif 2024
Sowing	May-July 2024
Harvesting	Oct.-Nov.2024

By order and in the name of Government of Rajasthan.

(Navratan Koli)
Deputy Secretary to Govt.

Copy to following for information and necessary action:-

1. Additional Chief Secretary to Hon'ble Chief Minister, Rajasthan, Jaipur.
2. SA to Hon'ble Agriculture Minister, Rajasthan, Jaipur.
3. SA to Hon'ble Minister, Food & Civil Supply Rajasthan, Jaipur.
4. SA to Hon'ble Minister, Co-operative, Rajasthan, Jaipur.
5. PS to Principal Secretary, Agriculture & Horticulture, Rajasthan, Jaipur.
6. PS to Principal Secretary, Co-operative, Rajasthan, Jaipur.
7. PS to Principal Secretary, Food & Civil Supply Rajasthan, Jaipur.
8. PS to Registrar, Co-operative, Rajasthan, Jaipur.
9. PS to Commissioner Agriculture, Rajasthan, Jaipur.
10. Joint Secretary Co-operative, Secretariat, Jaipur.
11. Director, Agriculture Marketing, Rajasthan, Jaipur.
12. Managing Director, RAJFED, Rajasthan, Jaipur.

Deputy Secretary to Govt.

Signature valid

Digitally signed by Navratan Koli
Designation: Deputy Secretary To
Government of Rajasthan
Date: 2024.09.30 18:52:49 IST
Reason: Approved

GST No. : 08AAAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418,
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com



4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

क्रमांक: वाणिज्य/2024-25/3864-3925

दिनांक 01.10.2024

क्षेत्रीय अधिकारी,
राजफैड (समस्त)

.....।

विषय :- आगामी खरीफ सीजन 2024-25 में दलहन-तिलहन का संभावित उत्पादन।

प्रसंग :- संयुक्त निदेशक कृषि, सांख्यिकी, कृषि आयुक्तालय का पत्र क्रमांक 1387-88 दिनांक 30.09.2024

उपरोक्त विषयान्तर्गत कृषि विभाग के प्रासंगिक पत्र दिनांक 30.09.2024 के साथ आगामी खरीफ सीजन 2024-25 में दलहन-तिलहन (मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन) के बुवाई क्षेत्रफल एवं संबंधित उत्पादन की प्राप्त सूचना संलग्न कर भिजवायी जा रही है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

2A
(इन्दर सिंह)

महाप्रबन्धक (वाणिज्य)

प्रतिलिपि :-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजफैड, जयपुर।
2. संयुक्त रजिस्ट्रार (मार्केट), कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर।
3. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, जिला।
4. आई.टी. शाखा, राजफैड, जयपुर।

महाप्रबन्धक (वाणिज्य)

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ6(iii) आ.कृ/मु.सा.अ./दल0-तिल0/2024/1387-88 दिनांक 30-9-24

महाप्रबन्धक (वाणिज्य),
राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय
संघ लि., 4 भवानी सिंह रोड़, जयपुर।

विषय:- आगामी खरीफ सीजन 2024-25 में समर्थन मूल्य पर दलहन, तिलहन की खरीद हेतु नोटिफिकेशन, सम्भावित बुआई, उत्पादन एवं आवक की मुख्य अवधि की सूचना बाबत।

प्रसंग:- आपका कार्यालय पत्र क्रमांक:-वाणिज्य/2024-25/3204-07 दिनांक 16.08.2024 के क्रम में।

महोदय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के विषयान्तर्गत खरीफ सीजन 2024 में भारत सरकार के निर्देशानुसार समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, मूंगफली एवं सोयाबीन आदि की खरीद हेतु जिलेवार बुवाई, सम्भावित उत्पादन एवं उत्पादकता की सूचना संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न - उपर्युक्तानुसार।

(टी0सी0 गुप्ता)
संयुक्त निदेशक कृषि (सांख्यिकी)

क्रमांक:एफ6(iii) आ.कृ/मु.सा.अ./दल0-तिल0/2024/1387-88 दिनांक 30-9-24
प्रतिलिपि:- उप शासन सचिव कृषि (ग्रुप-1) विभाग जयपुर को सूचनार्थ हेतु प्रेषित है।

संयुक्त निदेशक कृषि (सांख्यिकी)

Signature valid



Digitally signed by Tejendra Chand
Gupta
Designation: Joint Director
Date: 2024.09.30 12:14:20 IST
Reason: Approved

FIRST ADVANCE ESTIMATE KHARIF 2024-25

पृष्ठ - 5

क्र. सं.	जिला	मूंग			उड़द		
		Area	Prod.	Yeild	Area	Prod.	Yeild
1	अजमेर	59113	35467	600	248	212	855
2	अलवर	26	12	462			0
3	अनूपगढ़	66810	84438	1264			0
4	बांसवाड़ा			0	1824	1668	914
5	बांरा			0	15815	18978	1200
6	बाड़मेर	9679	5198	537			0
7	बालोतरा	59635	54823	919			0
8	ब्यावर	53572	38340	716	1870	1775	949
9	भरतपुर	30	30	1000	10	10	1000
10	भीलवाड़ा	6024	4894	812	14702	11814	804
11	बीकानेर	46129	27677	600			0
12	बूंदी	837	419	501	56102	22441	400
13	चित्तौड़गढ़	1321	1254	949	3648	2942	806
14	चुरू	323750	196183	606	4	4	1000
15	दौसा			0	1	1	1000
16	डीडवाना- कुचामन	228569	158753	695	6	4	667
17	डीग			0			0
18	धौलपुर	10	10	1000	46	54	1174
19	झुंझपुर	2	2	1000	3810	3810	1000
20	दूद	93189	54236	582	1	1	1000
21	फलौदी	25599	16820	657			0
22	गंगानगर	93115	113280	1217			0
23	गंगापुरसिटी	1207	604	500	4	3	750
24	हनुमानगढ़	95440	77306	810			0
25	जयपुर	12	7	583			0
26	जयपुर ग्रामीण	16442	9158	557	497	287	577
27	जैसलमेर	35000	14000	400			0
28	जालौर	98375	104939	1067			0
29	झालावाड़	910	456	501	11319	8857	782
30	झुंझनू	43671	34369	787			0
31	जोधपुर	100	52	520			0
32	जोधपुर ग्रामीण	262500	136500	520			0
33	करौली	17	25	1471	3	2	667
34	खैरथल - तिवारा			0			0
35	केकड़ी	70113	66063	942	30118	31358	1041
36	कोटपुतली-बहरोड	89	65	730			0
37	कोटा	356	267	750	19936	15949	800
38	नागौर	392131	325923	831	5	5	1000
39	नीमकाथाना	468	437	934			0
40	पाली	184999	88800	480	836	401	480
41	प्रतापगढ़	24	14	583	1245	870	699
42	राजसमन्द	695	695	1000	947	947	1000
43	स.माधोपुर	1905	991	520	38340	18020	470
44	सलूम्बर	10	5	500	1060	552	521
45	सांचीर	8050	7490	930			0
46	शाहपुरा	3889	2862	736	29828	20804	697
47	सीकर	49650	74024	1491			0
48	सिरोही	3820	1681	440	3825	1932	505
49	टोंक	58346	42382	726	45215	27386	606
50	उदयपुर	233	177	760	5521	5272	955
कुल योग		2395862	1781128	743	286786	196359	685

FIRST ADVANCE ESTIMATE KHARIF 2024-25

क्र. सं.	जिला	मूंगफली			सोयाबीन		
		Area	Prod.	Yeild	Area	Prod.	Yeild
1	अजमेर	2721	2862	1052			0
2	अलवर	97	182	1876			0
3	अनूपगढ़	645	1944	3014	6	9	1500
4	बांसवाड़ा	258	198	767	73407	126254	1720
5	बांरा	1236	988	799	217405	326107	1500
6	बाड़मेर	3500	7070	2020			0
7	बालोतरा	2533	2533	1000			0
8	ब्यावर	981	838	854			0
9	भरतपुर	5012	3302	659	100	100	1000
10	भीलवाड़ा	10116	14429	1426	4116	6132	1490
11	बीकानेर	272303	816909	3000			0
12	बूंदी	1666	2499	1500	58143	52329	900
13	चित्तौड़गढ़	30677	45463	1482	104720	143548	1371
14	छुरू	82307	279941	3401			0
15	दौसा	16500	28760	1743			0
16	डीडवाना- कुचामन	23640	27731	1173			0
17	डीग			0			0
18	धौलपुर	22	23	1045			0
19	झुंझरपुर	28	22	786	37500	30000	800
20	दूद	4661	5234	1123			0
21	फलीदी	108142	254068	2349			0
22	गगानगर	5694	13549	2380			0
23	गंगापुरसिटी	718	1220	1699	4	6	1500
24	हनुमानगढ़	21297	43233	2030			0
25	जयपुर	130	195	1500			0
26	जयपुर ग्रामीण	32439	66792	2059			0
27	जैसलमेर	46950	117375	2500			0
28	जालौर	5271	10512	1994			0
29	झालावाड़	1495	2943	1969	277826	348863	1256
30	झुंझनू	14256	22045	1546			0
31	जोधपुर	3	8	2667			0
32	जोधपुर ग्रामीण	51700	144760	2800			0
33	करौली	88	78	886	18	18	1000
34	खैरथल - तिजारा	304	447	1470			0
35	केकड़ी	153	203	1327	11	11	1000
36	कोटपतली-बहरोड	365	567	1553			0
37	कोटा	791	1068	1350	184093	294549	1600
38	नागौर	18370	32158	1751			0
39	नीमकाधाना	5597	12557	2244			0
40	पाली	162	356	2198			0
41	प्रतापगढ़	1350	1755	1300	120250	30062	250
42	राजसमन्द	884	1105	1250	1518	1518	1000
43	स.माधोपुर	1900	3078	1620	3910	2737	700
44	सलूमबर	28	14	500	16671	13152	789
45	साघीर	37500	68600	1829			0
46	शाहपुरा	4511	5500	1219	436	431	989
47	सीकर	30858	120753	3913			0
48	सिरोही	35045	75697	2160			0
49	टोक	17832	27556	1545	442	353	799
50	उदयपुर	1348	1228	911	33601	39806	1185
कुल योग		904084	2270348	2511	1134177	1415985	1248

राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

कमांक 3(2)राज-4/2007/पार्ट/5

जयपुर, दिनांक: 12.09.2018

1. समस्त संभागीय आयुक्त
 2. समस्त जिला कलेक्टर
- राजस्थान।

परिपत्र

इस विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक प 2 (4) राज-4/98/37 दिनांक 13.12.1991 के अन्तर्गत मंदिर माफ़ी/देवमूर्ति की भूमियों के लिए निम्नानुसार निर्देश जारी किये गये थे-

1. भविष्य में जो जमाबंदी राजस्व विभाग या वंदोवस्त विभाग द्वारा बनाई जाए, उनमें देवमूर्ति के साथ पुजारी या सेवायत का नाम नहीं लिखा जाए।
2. प्रशासनिक सुविधा के लिए एक रजिस्टर मंदिर के पुजारियों के संबंध में तहसील स्तर पर संलग्न प्रोफार्मा में अलग से रखा जाए, जिसमें जिन मंदिरों के पास कृषि भूमि है, उनके पुजारियों के नाम का अंकन किया जाए।
3. जो जमाबंदी बन चुकी हैं तथा वर्तमान में प्रभावशील हैं, उनमें देवमूर्ति के साथ जहां भी पुजारी का नाम आया है वहां पुजारी का नाम विलोपित कर दिया जाए तथा ऊपर वर्णित रजिस्टर में लिखा जाए, इस बाबत स्पष्ट नोट जमाबंदी के रिमार्क के कॉलम में अंकित किया जाए।

इसका संभावित उद्देश्य यह था कि मंदिर भूमि का विधि विरुद्ध रूप में रहन या विक्रय न हो सके। इस आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी से पुजारियों के नाम हटाए गए।

उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशों की सही क्रियान्विति नहीं करने या गलत व्याख्या करने के कारण मन्दिर माफ़ी की भूमियों के संबंध में समस्त राज्य सरकार के ध्यान में लाई गई। अतः राज्य सरकार के ध्यान में लाई गई समस्याओं के निराकरण हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. पूर्व परिपत्र दिनांक 13.12.91 की पालना में जमाबंदी में मूर्तिमंदिर के साथ पुजारी का नाम विलोपित करने के साथ यदि पृथक से इस हेतु संघारित रजिस्टर में उसका अंकन नहीं किया गया हो तो

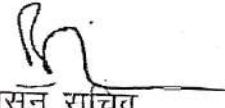
- दिनांक 13.12.91 को जमाबन्दी में अंकित पुजारी/संवायत का नाम इस हेतु पूर्व निर्देशित पृथक रजिस्टर में दर्ज कर दिया जाये।
2. राजस्थान भूमि सुधार व जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम, 1952 की धारा 9 के अन्तर्गत खातेदार पट्टेदार खादिमदार के रूप में पुजारियों को मिली खातेदारी वाले पुजारी जिनका गलत रूप में विलोपन कर दिया गया है और जिन्हे पुनः खातेदारी दी जा सकती है। इस संबंध में पूर्व में राजस्व विभाग के परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के उपरान्त दिनांक 24.5.2007 व परिपत्र दिनांक 25.11.2011 को जारी परिपत्र में इन्हे खातेदारी दिये जाने हेतु निर्देश व स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है, जिनका प्रकरणवार विधिक परीक्षण कर सही पाये जाने पर खातेदार बन चुके पुजारियों के नाम जमाबन्दी के खातेदार के कॉलम में अंकित किए जाने की यथोचित कार्यवाही की जाए।
 3. परिपत्र दिनांक 13.12.1991 के प्रावधानुसार मंदिर की भूमियों हेतु पृथक पंजिका बना कर उसमें पुजारियों के नाम दर्ज किये जावे, उसको पारदर्शी एवं नियमित रूप से अद्यतन रखने हेतु पंजिका को ऑनलाईन कम्प्यूटाइज्ड रूप में एल.आर.सी. पर जमाबन्दी से लिंक किये जाने की कार्यवाही की जाये। मंदिर से संबंधित खाते की जमाबन्दी की नकल के साथ आवश्यक रूप से पुजारी का यह प्रपत्र अपने समुचित प्राधिकार के साथ जारी/प्रदान किया जाएगा।
 4. मंदिर भूमि हेतु परिपत्र दिनांक 13.12.1991 द्वारा निर्धारित पंजिका में वर्णित पुजारी मंदिर भूमि के संरक्षक के रूप में निम्नानुसार अनुमत/प्राधिकृत होंगे:-
 - मंदिर भूमि के विकास के लिए संबंधित विभाग के नियमानुसार विद्युत, पेयजल, ट्यूबवेल आदि के लिए कनेक्शन हेतु।
 - फसल खराब की स्थिति में नियमानुसार सहायता अनुदान हेतु।
 - कृषि विभाग की योजना अनुसार भूमि सीमा में पात्र होने पर बीज, कृषि उपादान आदि पर नियमानुसार अनुदान प्राप्त करने हेतु।
 - इसी प्रकार राज्य सरकार की अन्य योजनाओं, जिसमें भूमि रहन न होती हो, उसमें उन्हें यथा प्रावधान लाभ दिया जा सकेगा।
 - मंदिर के नाम बैंक खाता होने पर इसका संचालक एवं उपयोगकर्ता पुजारी को बनाया जा सकेगा। इसमें प्रत्येक पुजारी वहाँसियत मंदिर के संरक्षक के रूप में नियमानुसार योजनांतर्गत लाभ हेतु अनुमत/प्राधिकृत होगा।

5. मंदिर भूमि पर अतिक्रमण की स्थिति पुजारी या पटवारी द्वारा ध्यान में लाये जाने पर तहसीलदार अतिक्रमण के विरुद्ध कार्यवाही इस प्रकार करेंगे जैसे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध करते हैं तथा मंदिर मूर्ति के हितों के संरक्षण हेतु दायित्वाधीन होंगे। जिला कलक्टर मूर्तिमंदिर की भूमि संबंधी अतिक्रमण रिपोर्ट सिवायचक/चारागाह भूमि की तरह राजस्व कर्मियों से नियमित रूप से प्राप्त कर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत उनके प्रकरण दर्ज कर तदनुसार प्रभावी निस्तारण करेंगे।


(अनिल कुमार अग्रवाल)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि:— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—

1. शासन सचिव, देवस्थान विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निबंधक राजस्व मण्डल, अजमेर।
3. जागीर आयुक्त राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त संयुक्त शासन सचिव, राजस्व विभाग।
5. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव



JP/MK/KHARIF/PSS-2024-25/ 1296

23.08.2024

The Managing Director

Rajfed

Jaipur

Sub: Procurement of Pulses & Oilseeds under PSS during Kharif 2024-25 season

- Reg.

Ref : Notification of MSP for Kharif 2024-25 crop by Govt. of India.

Respected Sir,

As you are kindly aware, as per above referred quoted reference Govt. of India has declared MSP for Kharif 2024-25 season with increase of 6.47%, 1.45%, 6.35% and 6.37% of MSP of Urad, Moong, Soyabean and Groundnut respectively as against MSP for Kharif-2023. In case of Urad, Govt. of India has also removed the capping of 25% procurement of total production under PSS and allowed 100% procurement of Urad from farmers with no limit. These initiatives coupled with good monsoon, it is expected that the production of pulses and oilseeds will be higher in upcoming Kharif harvest season. Therefore it is imperative to put in place all arrangements well in time to ensure and facilitate smooth procurement during ensuing K-24 season. Therefore, we request RAJFED to undertake the following action :-

1. The proposal for obtaining quantity sanctioned under PSS through State Govt. may please be finalised and forwarded to Department of Agriculture & Farmers welfare for timely approval of procurement limits, Identification of Procurement centres commodity wise before the commencement of procurement in consultation with NAFED.
2. Finalisation of Labour & Transportation expenses before the commencement of procurement as per PSS Guidelines and submit the same to NAFED to avail the Cash Credit Limit from SBI.
3. Positioning of gunny bags to all procurement centres identified for procurement which should be as per BIS specifications. SLS may ensure that gunny bags are

NATIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVE MARKETING FEDERATION OF INDIA LTD.

3rd Floor, Nehru Sahkar Bhawan, Bhawani Singh Road, JAIPUR-302001

Tel: 91-141-2740796, 2740145 Fax: 91-141-2740736

E-mail : nafipr@nafed-india.com Website: www.nafed-india.com; Twitter: @nafedindia



available before commencement of procurement and also ensure their availability at centres throughout the procurement period.

4. Identification of WDRA accredited CWC/SWC warehouses in the radius of 50KM of procurement centres and stocks of PSS commodities are to be stored only in WDRA accredited CWC/SWC warehousing facilities duly certified and verified by RAJFED, RSWC/CWC authorities. In case of non-availability of such warehouses within 50KM radius from procurement centres then only available scientific storage facilities of CWC/SWC within radius of 50KM from procurement centres may be utilized under consultation with NAFED.
5. It has been desired that version-II of e-samridhi portal may be used by the State/Rajfed for registration of farmers for purchase of Pulses & Oil seeds at MSP. Already the registration of farmers willing to offer Urad, Maize in state is being made on e-samridhi portal. Farmers registration should be concluded before commencement of procurement and documents of registered farmers shall be kept in hard copy as well as in soft copy. The variety of the commodity from the standard list made available must be entered during registration and matched at the time of procurement.
6. As requested from time to time, Please onboard NAFED's member societies in the procurement channel besides the ones which are being involved by Rajfed/State for procurement under PSS. NAFED HO has advised to ensure their onboarding in Procurement, Hence your co-operation and support is solicited in this regard to onboard Nafed's member societies.
7. In case of Urad, for last 2-3 seasons negligible procurement has been observed in State. This season Govt. of India is committed to procure 100% of arrival. However, given lower acentage of Urad till date against target, prevailing market rate, the potential centres may be sensitized to be in all preparedness to intervene in case price prevail below MSP.
8. There are bright chances of Procurement of soyabean this year with reports of higher sowing and present prevailing market rate below MSP. It is requested to sensitize procuring society to assess the crop market rate and in preparation mode for timely intervention. It may also be noted that the procurement window for the crop may be opened at an early date immediately upon arrivals

NATIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVE MARKETING FEDERATION OF INDIA LTD.
3rd Floor, Nehru Sahakar Bhawan, Bhawani Singh Road, JAIPUR-302001
Tel: 91-141-2740796, 2740145 Fax: 91-141-2740736
E-mail: nafipr@nafed-india.com Website: www.nafed-india.com; Twittor: @nafedindia

for timely intervention. Similar intervention may also be done for Moong in the state.

9. It is imperative to expedite prompt payment to farmers against FAQ stock deposition, the IT system of warehouses may be kept in all readiness enabling timely updation of WHRs on their portal. It may be ensured that during procurement no revision/amendment in uploaded data may be done and also all reported procurement is updated on the portal regularly with all sort of correctness.
10. The information of beneficiary farmers would also be provided in the UMANG App of Govt. of India and an App developed by e-samridhi portal. SLS would ensure that all the data of procurement is made available on daily basis or real time basis.
11. District wise average yield certificates should be obtained before commencement of procurement, as procurement should not exceed 25% of the district production for Moong, Groundnut and Soyabean.
12. Mapping of movement plan of stocks so procured at procurement centre to warehouse may be prepared in advance with requisite approvals.
13. Prior information of movement of procured stock to designated warehouse to Nafed enabling deployment of surveyors at storage points as deemed fit by NAFED.
14. The stitching of Gunny bags should be made only through stitching Machine. The QR Code tag must be stitched during the stitching of Gunny bags. It is to be mentioned that the QR code tags shall replace the stencil and general tags being stitched with gunny bags. The QR codes will be provided by the NAFED on payment basis upon timely requirement placed by SLS.
15. Submission of weekly purchase Bills, Labour & Transportation bills along with all required supporting documents in a time- bound manner during the procurement period. For ease of Bills processing, we are enclosing herewith a Checklist of documents to be annexed with the bills for prompt settlement of bills and release of payment.



NAFED
60 Years to Remember

33

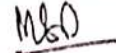
16. The approval of Chief Secretary for transportation beyond limits as per norms/guidelines may be undertaken for timely processing of bills upon conclusion of procurement.
17. Timely submission of clean WHR's which should be filled in all sorts viz Commodity, Season, Numbers of Bags, Quantity (Net), Moisture %, Godown Number, Stack Number, Name of procurement centre, Insurance value etc.
18. Further, the draft tripartite agreement to be executed between STA/NAFED/RSWC/CWC and PSS agreement to entered between SLS and NAFED will be submitted for execution to RAJFED in due course separately. Copy of PSS guidelines are enclosed for reference and compliance.

Thanking you,

Enclosed : As Above

- (i) MSP Notification of Govt. of India, dt 24/06/2024
- (ii) Checklist for submission of bills
- (iii) PSS guidelines

Yours faithfully



State Head.

Copy to:

- (i) PS to Administrator, RAJFED, Jaipur
- (ii) Secretary (Co-Operation), Govt of Rajasthan, Secretariat, Jaipur
- (iii) AMD (Pulses & Oilseeds), NAFED, HO, New Delhi
- (iv) Regional Head (NZ), NAFED, HO, New Delhi

NATIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVE MARKETING FEDERATION OF INDIA LTD.
3rd Floor, Nehru Sahkar Bhawan, Bhawani Singh Road, JAIPUR-302001
Tel: 91-141-2740796, 2740145 Fax: 91-141-2740736
E-mail : nafipr@nafed-india.com Website: www.nafed-india.com; Twitter: @nafedindia





पार-9
205

जय/विपणन/खरीफ-24/2024-25 1450

दिनांक:- 18/09/2024

महाप्रबन्धक (वाणिज्य),
राजफेड,
जयपुर

विषय:- आगामी खरीफ सीजन 2024-25 में समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत उड़द की खरीद के सम्बन्ध में।
प्रसंग:- क्रमांक: वाणिज्य/2024-25/3356-3358 दिनांक 15/09/2024

महोदय,

उपरोक्त प्रासंगिक पत्र के द्वारा चाही गयी सूचनाओं का स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है -

- (i) समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत उड़द की शत-प्रतिशत खरीद में अन्य तिलहन-दलहन की भांति वित्तीय संसाधन राज्य सरकार स्तर से ही उपलब्ध कराये जाने हैं।
- (ii) किसान हित में उड़द की शत-प्रतिशत खरीद हेतु उत्पादन के अनुरूप राज्य सरकार से 100 % खरीद अंडरटेकिंग भिजवाई जानी है।
- (iii) नेफेड ई-समृद्धि पोर्टल पर किसानों का प्री-रजिस्ट्रेशन उड़द व मक्का खरीद के लिए किया जा चुका है। खरीद के समय प्री-रजिस्ट्रेशन किये हुये किसानों की वरीयता क्रम में रखा जाये।
- (iv) उत्पादन के अनुरूप ही किसानों से उड़द खरीद की जानी स्वीकार्य है।
- (v) खरीफ उत्पादन में उड़द का शत-प्रतिशत समर्थन मूल्य खरीद में किसानों के हित के दृष्टिगत राज्य सरकार को भी मण्डी शुल्क व किसान कल्याण सेस में छूट के साथ खरीद प्रस्ताव भिजवाया जाना है।
- (vi) उड़द की शत-प्रतिशत खरीद हेतु प्रचार-प्रसार खरीद केन्द्रों के माध्यम से करवाया जाये, इसके अतिरिक्त नेफेड मुख्यालय से प्रचार-प्रसार सामग्री प्राप्त होने पर आपको उपलब्ध करवा दी जायेगी।

9 SEP 2024

धन्यवाद,

भवदीय

M/S

राज्य प्रमुख

प्रतिलिपि:-

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, राजफेड, जयपुर।
2. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मार्केट) कार्यालय रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, जयपुर।
3. अति. प्रबन्ध निदेशक (द.व. ति.), नेफेड मुख्यालय, नई दिल्ली।

NATIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVE MARKETING FEDERATION OF INDIA LTD.
3rd Floor, Nehru Sahkar Bhawan, Bhawani Singh Road, JAIPUR-302001
Tel: 91-141-2740796, 2740145 Fax: 91-141-2740736
E-mail : nafipr@nafed-india.com Website: www.nafed-india.com; Twittor: @nafedIndia





परि-10

जय/ विपणन/ खरीफ-24/2024-25/ 117-29

13-09-2024

✓ महाप्रबंधक (वाणिज्य),
राजफैड,
जयपुर,

विषय : आगामी खरीफ -2024 में समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत दलहन -तिलहन की खरीद के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्र क्रमांक 3364-3365 दिनांक 04.09.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके प्रासंगिक पत्र द्वारा चाही गई आगामी खरीफ -2024 में दलहन-तिलहन फसलों (उड़द, मूंग, मूंगफली, व सोयाबीन) की समर्थन मूल्य पर खरीद हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित FAQ गुणवत्ता मापदंडों की प्रति इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है। महोदय से निवेदन है कि सभी संबंधित खरीद केन्द्रों पर अधिक से अधिक संख्या में किसानों को अपनी उपज FAQ मानकों अनुसार समर्थन मूल्य पर विक्री करवाने हेतु आवश्यक प्रचार-प्रसार करने की व्यवस्था करवाएं।

धन्यवाद,

भवदीय

राज्य प्रमुख

NATIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVE MARKETING FEDERATION OF INDIA LTD.
3rd Floor, Nehru Sahkar Bhawan, Bhawan Singh Road, JAIPUR-302001
Tel: 91-141-2740796, 2740145 Fax: 91-141-2740736
E-mail : nafjpr@nafed-india.com Website: www.nafed-india.com; Twitter: @nafedindia



ANNEXURE-XVIII

FAQ Specification of Kharif Pulses & Oilseeds

Fair Average Quality (FAQ): Grade Specifications of Arhar (Tur), Moong & Urad for procurement under Price Support Scheme (PSS)

Pulses shall have reasonably uniform size, shape and colour.

Pulses shall be sweet, clean, wholesome and free from moulds, weevils, obnoxious smell, discoloration, admixture of deleterious substances (including added colouring matter) and all other impurity except to the extent indicated in the schedule.

Sr. No	Special Characteristics	Maximum limits of tolerance (% by weight per qtl.) for FAQ
1.	Foreign matter	2
2.	Admixture	3
3.	Damaged pulses	3
4.	Slightly damaged pulses	4
5.	Immature and shrivelled pulses	3
6.	Weevilled pulses	4
7.	Moisture	12

1. Foreign matters include dust, stones, lumps of earth, chaff husks stem, straw or any other impurity including edible and non-edible seeds.
2. Admixture means any pulses other than the principal pulses.
3. Damaged pulses are those pulses that are internally/damaged or discoloured to such an extent that the damage or discolouration materially affects the quality of the pulses.
4. Slightly damaged pulses are those pulses that are superficially damaged or discoloured such damage or discolouration not materially affecting the quality of the pulses.
5. Immature and shrivelled pulses are those pulses that are not properly developed.
6. Weevilled pulses are those pulses that are partially or wholly bored or eaten by weevil or other grain insects.

Fair Average Quality (FAQ) Grade Specifications of Groundnut-in-shell for procurement under Price Support Scheme (PSS)

Sr. No	Special Characteristics	Maximum limits of tolerance, (% by weight per qtl.) for	
		Bold FAQ	Glinny FAQ
1.	Foreign matter	2	2
2.	Damaged Pods	2	2
3.	Shriveled & immature pods	4	4
4.	Pods of other varieties	4	4
5.	Shelling (kernels/pods)	65 & above	70 & above
6.	Moisture content	8	8

Definitions:

1. Foreign matters mean dust, dirt, stones, lumps of earth, chaff, stem/straw or any other impurity;
2. Damaged pods are those pods that are damaged mechanically or by mould, weevil or any other insect attack or those showing internal discoloration of kernels materially affecting the quality of the pods;
3. Shriveled & immature pods are those pods which are imperfectly developed;
4. Pods of other varieties means pods of unknown varieties other than is being procured;
5. Shelling means per cent of kernels recovered from Groundnut pods.

132 4R-13

Fair Average Quality (FAQ) Grade Specifications of Soyabean for procurement under
Price Support Scheme (PSS)

Sr. No	Special Characteristics	Maximum limits of tolerance (% by weight per qtl.) for FAQ
1.	Foreign matter & impurities	2
2.	Shriveled, immature beans & discoloured	5
3.	Damaged & Weevilled beans	3
4.	Mechanically damaged beans (Split, broken & crack)	15
5.	Moisture content	12

Definitions:

1. Foreign matters & impurities includes dust, dirt, stones, lumps of earth, chaff, stem/straw or any other impurity;
2. Shriveled & immature beans that are shrunk, out of shape, or are not fully matured or developed and are often discoloured;
3. Damaged & weevilled beans means beans or pieces of these which have sprouts or are internally damaged as a result of heat, moisture, insect or microbial action;
4. Mechanically damaged beans means the split, broken and crack seeds.

Intimation of L1 F.O.R rate for Supply of SBT 530 gms-reg.

412121212 - 14

From: NAFED Kolkata (nafedkolkata@gmail.com)

To: rajfed_agri.input@yahoo.com; rajfed_hrd@yahoo.com

Cc: nafjpr@gmail.com; nafjpr@nafed-india.com; abhishekkumar@nafed-india.com

Date: Saturday, 10 February, 2024 at 08:48 pm IST

Ref: KOL/MK/JUTE BAGS/2023-24/

Date: 10.02.2024

To
The Managing Director
M/s. RAJFED
Rajasthan

Sir,

This is to inform you that NAFED Kolkata branch has conducted e-Tender dated 06.02.2024 for SBT 530 gms Gunny bags as per new BIS specification & the Final F.O.R rate for Ex-Rajasthan destination is as follows:

Particulars	Rate per 100 Bags (in Rs.)
Base rate	
GST on Base Rate @ 5%	4896.47
Final F.O.R Rate for Rajasthan Destination	244.82
	5141.29

Following are the terms & conditions:-

- NAFED Kolkata will no more raise separate administrative charges on the consignees/State Federations.
- The basic rates per 100 bags F.O.R destination quoted shall be inclusive of branding charges, transit insurance of goods, statutory taxes, transit cost, inspection, loading & Unloading, supervision charges.
- Further, Payment 90% advance has to be made to NAFED while placing indent. Upon receiving 90% advance payment, we shall dispatch gunny bags from Kolkata. Jute Mills shall raise bills on M/s. RAJFED and TDS under GST @ 2% will have to be deposited by the consignee with GOI, if applicable. Hence at the time of remitting funds to NAFED, the consignee may deduct 2% TDS under GST on base value i.e. amount exclusive of tax. In addition to this another 0.1% TDS u/s 194Q may be deducted and the same may be deposited at the consignee end. It will be the responsibility of the consignee to deposit the TDS under GST on time.
- Quality complaints Quality complaints if any at the receiving stations shall have to be intimated immediately with relevant photographs and details so that surveyor may be sent for required checking. The complaint bales/bags shall have to be kept separately and not to be used and/or

about:blank

partly used. Whatsoever claim after 10 days of receipt of bags shall not be entertained by NAFED in any case.

- The destination provided by the consignee may be given in multiple of 20 bales (40000 pcs) per truck for smooth dispatches (Optional).
- Further, before unloading of gunny bags at desired location, it must be ensured that the inspection agency seal should be intact to the truck. If not, then it should be intimated immediately and unloading of goods under such cases should not be carried out.

NAFED has conducted online e-Tender for sourcing jute bags from jute mills. The best rate obtained in the e-Tender is being communicated to you. However it is up to the consignee, if they wish to source the bags from NAFED Kolkata and in this regard, if rate is approved: then provide the confirmation of rates as well as quantity to be dispatched so as to proceed further in this regard.

Awaiting your approval on the same.

Regards,

State Head

NAFED-WS

=====

NAFED KOLKATA
2ND FLOOR, BLOCK E-F, 12C SHYAM KUNJ, LORD SINHA ROAD
KOLKATA- 700 071
MAIL ID: nafedkolkata@gmail.com, nafkol@nafed-india.com
WEBSITE: <https://www.nafed-india.com/>

=====

"Agriculture is our wisest pursuit, because it will in the end contribute most to real wealth, good morals & happiness."

415 15

JP/MK/KHARIF PSS-2023-24/2023-24/2.226

The Managing Director
Rajfed
Jaipur

15.03.2023

Sub: Procurement of Pulses & Oilseeds under PSS during Rabi -2023-24 season-
Reg.

- Ref: 1. Govt. of India Sanction order No. L-15016/35/2023-MPS(124558) dt. 07th March 2023 (Copy enclosed).
2. Govt. of India Sanction order No. L-15016/38/2023-MPS(124851) dt. 14th March 2023 (Copy enclosed)

Respected Madam,

As you are kindly aware, as per above referred GOI sanction order dt. 07.03.2023 and 14.03.2023, procurement quantity of maximum 15,19,318 MTs Mustard, & 6,65,028 MTs Gram has been approved for procurement during current Rabi 2023-24 season strictly as per PSS guidelines. 2018 and the procurement is likely to commence in the State shortly. To commence the procurement, the following measures among others as per the guidelines may please be complied with before commencement of procurement:

1. Identification of procurement centres commodity wise before the commencement of procurement in co-ordination with Nafed.
2. Finalization of Labour & Transportation expenses before the commencement of procurement as per PSS Guidelines and submit the same to Nafed to avail the Cash Credit Limit from SBI.
3. Positioning of gunny bags to all procurement centres identified for procurement which should be as per BIS specifications.
4. Identification of WDRA accredited CWC/SWC warehouses in the radius of 50 KMs of procurement centres, and stocks of PSS commodities are to be stored only in WDRA accredited CWC/SWC warehousing facilities duly certified and verified by Rajfed, RSWC/CWC authorities. In case of non-availability of such warehouses within 50KM radius from procurement centre, then only available scientific storage facilities of CWC/SWC within radius of 50KM from procurement centre may be utilised under co-operation with NAFED.
5. Farmer registrations may concluded before commencement of procurement and documents of registered farmers shall be kept in hard copy as well as soft copy. The variety of the commodity from the standard list made available must be entered during registration and matched at the time of procurement.
6. If the State use their own portals, It is mandatory to provide procurement data on daily basis for syncing with NAFED eSamridhi platform. Payments to SLS would only be released on the basis of data synced with NAFED eSamridhi platform. The details for integration and sync requirement are mentioned in agreement.

NATIONAL AGRICULTURAL CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION OF INDIA LTD.
3rd Floor, Nehru Sahakar Bhawan, Bhawan Singh Road, JAIPUR-302001
Tel: 91-141-2740796, 2740145

17.



7. The information on beneficiary farmers would also be provided in the UMANG App of Government of India and an App developed under eSamridhi platform. SLS would ensure that all the data on procurement is made available on a daily basis or even on real time basis.

8. Prior information of movement of procured stock to designated warehouse to Nafed enabling deployment of surveyors at storage points.

9. Mapping of Movement plan of stocks so procured at procurement centre to warehouse.

10. The stitching of the Gunny bags should be made only through stitching Machine. No hand made stitching will be made on the Gunny Bags. In the event of supplies of QR Code from NAFED, the QR Code tag must be stitched during the stitching of Gunny Bags. It may also be pertinent to mention that the QR code tags shall replace the stencil and general tags, which is being stitched with gunny Bags.

11. The QR code will be provided by the nafed on payment basis upon timely requirement placed by SLS.

12. Submission of weekly purchase Bills, labour & transportation bills alongwith all required supporting documents in a time bound manner during the course of operation for timely settlement of bills and release of payments.

13. District wise average yield certificates should be obtained before commencement of procurement, as procurement should not exceed 25% of the district production.

14. Timely submission of clear WHRs which should be filled in all sorts viz., No. of Bags, Quantity(Net), Moisture %, Godown No & Stack No, Name of procurement centre, etc.

15. Copy of survey reports should be accompanied with original WHRs submitted. As, we have given instructions to our appointed surveyors to handover the copy of survey reports to concerned Warehouse Managers on daily basis.

Further, we are forwarding herewith the draft tripartite agreement to be executed between SLS/NAFED/RSWC/CWC and PSS. Agreement to entered between SLS & Nafed which may kindly be duly executed and send us for onward submission to our Head Office. Copy of PSS Guidelines are also enclosed for reference and compliance.

Thanking you,

Yours faithfully,

State Head

Encl: as above. CC to : AMD (Pulses and Oilseeds), Nafed HO
CC to : RM (NZ), Nafed HO

महाराष्ट्र कृषि सहकारी निगम वित्त मंडल (नफेड)
NATIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVE MARKETING FEDERATION OF INDIA LTD.
3rd Floor, Nehru Sahakar Bhawan, Bhawanji Singh Road, JAIPUR-302001
Tel: 91-141-2740726, 2740145 Fax: 91-141-2740736
E-mail : nafli@nafed-india.com Website: www.nafed-india.com; Twitter: @nafedindia

राजस्थान सरकार
कृषि विपणन निदेशालय, जयपुर

परी-16

क्रमांक: प.4(79)/निकृवि/निय./स.मू./गेहूँ/2021/03034/

दिनांक :-

क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक,
कृषि विपणन विभाग,
समस्त।

सचिव,
कृषि उपज मण्डी समिति,
समस्त।

विषय:- खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्यों की खरीद वायत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार द्वारा खरीफ फसलों के विपणन वर्ष 2024-25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद एजेंसियों द्वारा मण्डी प्रांगणों में दलहन एवं तिलहन की खरीद की प्रक्रिया प्रारम्भ की जावेगी।

समर्थन मूल्य पर खरीद केन्द्रों पर आवश्यक सुविधाएं यथा छाया, पेयजल, प्रकाश, त्रिपाल आदि के संबंध में निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है :-

1. मण्डी याडों में स्थापित खरीद केन्द्रों पर मण्डी में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग खरीद एजेंसी द्वारा किया जा सकता है।
2. खरीद केन्द्र पर वांछित अतिरिक्त सुविधा पर होने वाले व्यय को खरीद एजेंसी द्वारा स्वयं उठाना होगा।
3. मण्डी प्रांगण से बाहर समर्थन मूल्य खरीद केन्द्र पर मण्डी द्वारा किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

(राजेश कुमार चौहान)
निदेशक
कृषि विपणन

क्रमांक: प.4(79)/निकृवि/निय./स.मू./गेहूँ/2021/03034/
प्रतिलिपि :-

दिनांक :-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कृषि।
2. आयुक्त, कृषि विभाग, पंत कृषि भवन, जयपुर।
3. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर।
4. प्रबन्ध संचालक, तिलम संघ, जयपुर।
5. उपायुक्त एवं उप शासन सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. उप शासन सचिव, कृषि (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. वित्तीय सलाहकार, कृषि विपणन विभाग, मुख्यालय, जयपुर।
8. महाप्रबन्धक (वाणिज्य) राजस्थान राज्य कय-विकय सहकारी संघ लि., राजफैड, जयपुर।
9. महाप्रबन्धक (क्षेत्र), भारतीय खाद्य निगम, नेहरू प्लेस, टॉक रोड, जयपुर।
10. शाखा प्रबन्धक, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ वर्धासित, नेहरू सहकार भवन, जयपुर।

निदेशक
कृषि विपणन

Signature Not Verified

Digitally Signed by Rajesh
Kumar Chauhan
Designation : Director
Date : 15-10-2024 06:53:33



CS No. : 08AAAAAR0279B1ZU



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

कमांक:फा./ई-निविदा/लेखा/2024-25/ 5166-5275
उप पंजीयक,
सहकारी समितियों,

दिनांक: 25-1-2024

विषय:-वर्ष 2024-25(अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025) में समर्थन मूल्य पर
दलहन/तिलहन(रबी व खरीफ) खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य की
दरों के निर्धारण/प्रक्रिया बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राजफैड द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 (अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025) में समर्थन मूल्य पर नेफेड के लिये दलहन/तिलहन (रबी व खरीफ) की खरीद की जानी है। इसके अन्तर्गत हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य के लिये फर्मों/आवेदकों/टेकेंदारों एवं दरों का निर्धारण किया जाना है। राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार हैण्डलिंग एवं परिवहन व्यवस्था हेतु क्रय-विक्रय सहकारी समिति स्तर पर जिले के उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के अध्यक्षता में गठित कमेटी के माध्यम से ई-बिड प्रक्रिया सम्पन्न की जानी है।

1- राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति अनुसार हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य के लिये समस्त उप रजिस्ट्रार,सहकारी समितियाँ द्वारा जिलों की संबंधित सदस्य समितिवार ऑन-लाइन द्वि-प्रक्रमी बिड प्रणाली(टू-बिड) के अनुसार ई-बिड जारी की जावें। हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य के लिये दर प्राप्ति एवं प्रक्रिया निम्नानुसार की जानी होगी :-

1.1 हैण्डलिंग कार्य :

मंडी में खरीद की जाने वाली जिन्सों में निम्न नदों के हैण्डलिंग कार्य कराये जाते हैं :-

अ-कृषक स्तर के कार्य

कृषक के वाहन से जिन्स उतारना, छानाई/ग्रेडिंग कराना,कंटेट में भरना एवं कट्टे को कांटे पर रखना।

ब-समिति स्तर के कार्य

इसमें रंग मार्का, विवरण का टैग, क्यूआर.कोड यदि लागू हो तो, यथासंभव मशीन से सिलाई, स्टैक लगाना, तुलाई, उतराई, ट्रक में लोडिंग करना आदि के व्यय (अधिकतम 10 प्रतिशत व्यय) सम्मिलित है। हैण्डलिंग कार्य के लिए आधार दर सम्बन्धित कृषि उपज राजकीय मंडी की दर होगी। ई-बिड में प्राप्त दरें तथा खरीद केन्द्र से सम्बन्धित राजकीय कृषि उपज मंडी समिति की दरों जो भी कम हो वही दर मान्य होगी। हैण्डलिंग कार्य में मंडी दर आधार दर से 10 प्रतिशत कम तक ही दर की विड स्वीकार होगी। इस सीमा से कम दर की हैण्डलिंग कार्य की निविदा स्वीकार नहीं होगी। हैण्डलिंग कार्य के लिए बिड में प्राप्त दर तथा सम्बन्धित राजकीय कृषि उपज मंडी की निर्धारित दर दोनों में जो भी दर कम हो वह दर मान्य होगी।

अंशः

4



फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740076
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जायपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

1.2 परिवहन कार्य ::

1.2(1) परिवहन कार्य हेतु क्रय किये गये दलहन/तिलहन परिवहन के लिए आधार दर इकजाई पीडीएस दर (26.39 रु. प्रति क्विं.) होगी। बिड में प्राप्त दर, परिवहन की आधार दर से अधिकतम 10 प्रतिशत कम की सीमा तक मान्य होगी। निविदादाता द्वारा इस सीमा से कम दर पर दी गई दरें अव्यवहारिक होने से अमान्य होगी। यदि निविदा में एल-1 निविदादाता द्वारा हैण्डलिंग आधार दर व पीडीएस आधार के बराबर दर दी जाती है तो इन आधार दर पर प्राप्त प्रस्ताव स्वीकार किया जा सकता है। यदि बिड में पीडीएस आधार दर से अधिक दरें प्राप्त होती हैं तो निर्धारित कमेटी द्वारा एल-1 बिडदाता से नेगोसियेशन किया जा सकेगा।

1.2(2) नेगोसियेशन पश्चात समिति द्वारा यदि दरें नेगोसिएटेड दरें पीडीएस आधार दर से 20 प्रतिशत अधिकतम तक सीमा में निश्चित होती हैं तो निविदा समिति अपनी अनुशंसा सम्बन्धित जिला स्तरीय निविदा समिति की अनुशंसा के आधार पर जिला कलेक्टर की स्वीकृति व अनुशंसा सहित प्रकरण राजफैड मुख्यालय को प्रेषित किये जायेंगे और कतिपय प्रकरणों विशिष्ट प्रकरणों में राजफैड मुख्यालय द्वारा पीडीएस से आधार दर से अधिक दरों की स्वीकृति प्रशासक राजफैड एवं मुख्य सचिव, राजस्थान से अनुमति Case to Case Basis आधार पर ली जाकर नेफैड की स्वीकृति हेतु प्रेषित की जायेगी।

1.2(3) ई-बिड में हैण्डलिंग एवं परिवहन(दोनों) कार्य हेतु प्राप्त दरें 10 प्रतिशत से कम की सीमा तक ही स्वीकार की जायेंगी। पूर्व में ऐसा देखने में आया है कि कतिपय ठेकेदार बिड को खराब करने के लिए बहुत कम दर भरते हैं तथा बाद में उक्त पर कार्य भी नहीं करते हैं। यदि प्राप्त दरें (हैण्डलिंग एवं परिवहन दर) आधार दर से 10 प्रतिशत कम है तो आधार दर की सीमा तक उतनी अतिरिक्त प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी।

2- अन्य दिशा-निर्देश :-

2.1- प्रवृत्त दिशा-निर्देशों के अनुसार निविदा प्रक्रिया समर्थन मूल्य पर खरीद चालू होने से पूर्व पूर्ण की जानी चाहिये। किसी कारण से देरी हो जावे तो समक्ष स्तर से सहमति पश्चात किसी भी परिस्थिति में संबंधित खरीद सीजन समाप्ति दिनांक तक यह कार्य पूरा कर लिया जाना चाहिये। इसकी सुनिश्चिता क्षेत्रीय कार्यालयों व उपरजिस्ट्रार कार्यालय स्तर से की जावेगी।

2.2- हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य हेतु वर्ष 2024-25 में आमंत्रित निविदा में स्वीकृत दरें दोनों सीजन (रबी व खरीफ) अर्थात् पूरे वर्ष 2024-25 के लिए लागू होगी। मूंगफली के लिए हैण्डलिंग एवं परिवहन की दरें संवेदक निविदा प्रपत्र में पृथक से भरी जावेगी। यदि रबी के खरीद के दौरान कोई निविदा नहीं आती है और उसकेंद्र पर खरीद भी नहीं हो। और अतिआवश्यक हो तो आगामी खरीफ सीजन के लिए निविदा इन दिशा-निर्देशों के क्रम में की जा सकेगी।

2.3- यदि कोई फर्म एक सीजन के लिए कार्य करने के उपरांत और दूसरे सीजन के लिए कार्य करने से मना करती है तो संबंधित उपापन संस्था द्वारा निविदा शर्त व अनुबंध प्रावधान के साथ-साथ आरटीपीपी एक्ट व नियम के अनुसार दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये नये सीजन चायत निविदा कार्यवाही तुरन्त प्रारम्भ कर पूर्ण की जायेगी।

कृपया

(Signature)

2/4

20



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
 जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
 JAIPUR-302 001

- 2.4- मंडी दरों के अनुमोदन के लिए खरीद सीजन प्रारम्भ होने से पूर्व ही समस्त मंडी समितियों से कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से उप रजिस्ट्रार, सहकारिता कार्यालयों द्वारा तत्समय की प्रमाणित मंडी दरें प्राप्त कर ही निविदा कार्यवाही की जावे।
- 2.5- उक्त कार्य हेतु सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार, सहकारिता द्वारा जिले की सदस्य समितिवार ई-बिड के माध्यम से दो लिफाफा बिड प्रणाली के अन्तर्गत प्रवृत्त दिशा-निर्देशों व निविदा प्रपत्र सहित आर.टी.पी. पी. एक्ट एवं नियमों के अनुसार बिड जारी की जानी होगी।
- 2.6- जिन स्थानों पर दो बार खुली ई-निविदा आमंत्रित करने के बाद निविदा प्राप्त नहीं होती है तो वहीं कारण अंकित करते हुये उप रजिस्ट्रार, सहकारिता स्तर की निविदा समिति द्वारा सम्बन्धित जिला कलेक्टर की अनुमति प्राप्त कर हैण्डलिंग कार्य मण्डी दर (आधार दर) पर और परिवहन कार्य पीडीएस आधार दर पर निविदा शर्तों के अनुसार पात्रता रखने वाले स्थानीय संवेदकों से सीमित निविदा/कोटेशन/एकल निविदा की कार्यवाही कर निविदा शर्तों के अनुसार पात्रता रखने वाले संवेदक/संस्था को संबंधित उप रजिस्ट्रार, कार्यालय द्वारा जिला कलेक्टर के अनुमोदन उपरांत ही हैण्डलिंग एवं परिवहन संवेदक कार्य हेतु अनुशसित किया जाएगा। एकल निविदा प्रकरण में चिन्हित कार्यकारी एजेंसी के निविदा शर्तों के अनुसार पात्रता रखने संबंधी सुनिश्चिता संबंधित उप रजिस्ट्रार, कार्यालय द्वारा सुनिश्चित की जावेगी। यदि कोई सदस्य समिति स्वयं हैण्डलिंग एवं परिवहन का कार्य करती है तो उसे भी निविदा शर्तों के अनुसार पात्रता रखते हुये निविदा कार्यवाही में भाग लेना आवश्यक है तथा उसके द्वारा भी सभी पात्रता सहित निविदा/अनुबन्ध की शर्तों की पालना भी पूर्ण करनी होगी। सदस्य समिति द्वारा स्वयं हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य करने की स्थिति में जिला कलेक्टर की पूर्ति कर ली है तथा वे इससे संतुष्ट हैं। कार्यकारी संस्था/संवेदक के लिए निविदा शर्तों और दिशा-निर्देशों की पालना अनिवार्य होगी।

राज्य के विभिन्न क्रय केन्द्रों के लिये हैण्डलिंग एवं परिवहन के कार्यों हेतु रजिस्ट्रार सहकारी समितियों के पत्र क्रमांक 15(27)संविरा/मार्के/स.मू.चना व सरसों/2018-19 दिनांक 28.03.2018 द्वारा राज्य के विभिन्न क्रय केन्द्रों के लिये हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य की बिड खोलने एवं अन्तिम रूप दिये जाने हेतु निम्न कमेटी गठित है :-

सम्बन्धित इकाई का उप.पंजीयक	-	अध्यक्ष
जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि	-	सदस्य
सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी,	-	
राजफैड/प्रतिनिधि	-	सदस्य
नेफैड का प्रतिनिधि	-	सदस्य
सम्बन्धित व्यवस्थापक क्र. वि.स.स.	-	सदस्य सचिव

उक्त कमेटी की अनुशंसा पर सम्बन्धित फर्म/आवेदक/ठेकेदार को कार्य आदेश सम्बन्धित क्रय-विक्रय सहकारी समिति द्वारा दिया जावेगा। फर्म/आवेदक/ठेकेदारों की ब्लैकलिस्टेड की सूची एवं निविदा प्रपत्र राजफैड की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त निविदा प्रपत्र शर्तों में इस बाबत घोषणा पत्र की पालना आवश्यक करावे।

किसी संशय अथवा समस्या के उत्पन्न होने की स्थिति में राजफैड से दिशा-निर्देश प्राप्त करें, ताकि सभी जगह एकरूपता बनी रहे।

3/4

21





राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

भवानी सिंह रोड,
 गुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
 JAIPUR-302 001

रबी 2024 की खरीद प्रक्रिया मध्य 15 मार्च 2024 से प्रारम्भ होना संभावित है। अतः समस्त रूप से 10 मार्च 2024 तक बिड प्रक्रिया पूर्ण कर हैण्डलिंग एवं परिवहन की दरें निर्धारित कराकर सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को कार्य आदेश जारी दिया जाना सुनिश्चित कर राजफैड मुख्यालय को अवगत करावें।

निविदा कार्य समय पर पूर्ण हो इस हेतु प्रशासक राजफैड एवं मुख्य सचिव, राजस्थान की ओर से एक पत्र पृथक से सम्बन्धित जिला कलेक्टर एवं रजिस्ट्रार, सहकारिता को प्रेषित कर दिया गया है।

समस्त उप रजिस्ट्रार, सहकारिता अपने अधीनस्थ खरीद केन्द्र के क्षेत्र अधिकार वाली राजकीय मंडी दरों का विवरण खरीद सीजन प्रारम्भ होने से निविदा पूर्व ही कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से तत्समय प्रमाणित मंडी दरें प्राप्त कर लेवें।

पत्र के साथ ही सक्षम स्तर से अनुमोदित निविदा प्रपत्र शर्तों इत्यादि संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। आप अपने क्षेत्र से सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड से अविलम्ब सम्पर्क व सहयोग प्राप्त कर उक्त कार्य सम्पादित करावें।
 संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

वित्तीय सलाहकार, राजफैड

प्रतिलिपि:-

- 1- निजी सचिव, शासन सचिव, सहकारिता विभाग, जयपुर।
- 2- निजी सचिव, रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, राजस्थान, जयपुर।
- 3- निजी सचिव, जिला कलेक्टर,।
- 4- निजी सचिव, प्रबन्ध संचालक, राजफैड, जयपुर।
- 5- अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, अजमेर/कोटा/बीकानेर/जोधपुर/जयपुर/उदयपुर/भरतपुर।
- 6- महाप्रबन्धक (वाणिज्य) राजफैड, जयपुर।
- 7- राज्य प्रमुख, नेफैड, जयपुर।
- 8- क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड-अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/कोटा/जोधपुर/श्रीगंगानगर/जयपुर/उदयपुर।

वित्तीय सलाहकार, राजफैड



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
 जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
 JAIPUR-302 001

क्रमांक:फा./लेखा/2024-25/ 5303 - 5353

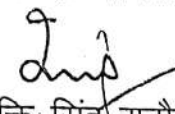
दिनांक: 31-1-2024

जिला कलक्टर,

विषय:-वर्ष 2024-25 के लिए रबी व खरीफ(दोनों) सीजन के लिए समर्थन मूल्य पर
 जिंस खरीद हेतु हैण्डलिंग एवं परिवहन की निविदा समय पूर्व करने हेतु।

जैसा कि विदित है कि हर वर्ष की भाँति इस वर्ष 2024-25 में भी भारत सरकार के निर्देशानुसार नेफ़ैड/एफ.सी.आई. के लिए रबी व खरीफ सीजन के लिए जिंसों की खरीद की जानी हैं। अतः यह निर्णय हुआ है कि हर वर्ष की भाँति वर्ष 2024-25 में भी सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक: 15(27)सविरा/मार्के/स.मू. चना व सरसों/2018-19 दिनांक 28.03.2018 के अनुसार उप रजिस्ट्रार,सहकारी समितियाँ,राजस्थान सरकार द्वारा निविदा प्रक्रिया सम्बन्धित जिला कलक्टर की देख रेख में उक्तानुसार प्रवृत्त दिशा-निर्देशों व निविदा शर्तों के अनुसार यह कार्य दिनांक 10.03.2024 तक सम्पूर्ण किया जावे।

मुख्य सचिव महोदय एवं संघ के प्रशासक के द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में निवेदन है कि आपके अधीन सम्बन्धित उप रजिस्ट्रार,सहकारी समितियाँ को निर्देशित कर सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से संबंधित उक्त निविदा कार्यवाही समय पर पूर्ण कर ली जावे।


 (शक्ति सिंह राठौड़)
 प्रबन्ध संचालक,राजफ़ैड

प्रतिलिपि:-

- 1- रजिस्ट्रार,सहकारी समितियाँ, राजस्थान-जयपुर।
- 2- मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार(मार्के),सहकारी समितियाँ, जयपुर को भेजकर लेख है कि आपके अधीन सभी उपरजिस्ट्रार,सहकारी समितियाँ को दिनांक 10.03.2024 तक निविदा कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश जारी करें।

प्रबन्ध संचालक,राजफ़ैड

GST No. : 08AAAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740413
 0141-2740364, 2740081, 2740076
 फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
 पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
 E-mail : rajfed@yahoo.com



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
 जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
 JAIPUR-302 001

क्रमांक:फा./लेखा/2024-25/ 6352-6401

दिनांक: 23/02/2024

उप रजिस्ट्रार,
 सहकारी समितियाँ,

विषय:-वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन खरीद हेतु हैण्डलिंग कार्य की
 कृषि उपज मंडी की नवीनतम दरों के संबंध में।

प्रसंग:-निदेशक,कृषि विपणन निदेशालय के पत्रांक:प.3(0)निकृवि/नियमन/हैण्डलिंग
 रेट/रसद दिनांक 10.02.2024

महोदय,

उक्त प्रसंगानुसार विषयान्तर्गत लेख है कि वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर
 दलहन/तिलहन खरीद हेतु हैण्डलिंग कार्य की कृषि उपज मंडी की नवीनतम दरों के संबंध में
 निदेशक,कृषि विपणन निदेशालय के पत्रांक:प.3(0)निकृवि/नियमन/हैण्डलिंग रेट/रसद
 दिनांक 10.02.2024 से वर्ष 2023-24 व 2024-25 की हैण्डलिंग दरें आप सहित सभी संबंधितों को प्रेषित
 की है।

अतः उक्तानुसार अपने क्षेत्र की मंडी के लिए तदनुसार प्रवृत्त हैण्डलिंग कार्य की रसद का
 आधार मानते हुये निविदा कार्यवाही पूर्ण करावे। इस बाबत अपने जिले में पदस्थापित कृषि
 विपणन निदेशालय के अधिकारी से भी संपर्क करें।


 वित्तीय सलाहकार, राजफैड

प्रतिलिपि:-

- 1- निजी सचिव, प्रबन्ध संचालक राजफैड, जयपुर।
- 2- क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड-अजमेर/भरतपुर/बीकानेर/कोटा/जयपुर/जोधपुर/
 श्रीगंगानगर/उदयपुर।
- 3- महाप्रबन्धक(वाणिज्य), राजफैड-जयपुर।

वित्तीय सलाहकार, राजफैड

GST No. : 08AAAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001

कमांक:फा./लेखा/2024-25/ 5356-5405
प्रबन्ध निदेशक,
कृषि विपणन निदेशालय
पत कृषि भवन,
राजस्थान-जयपुर।

दिनांक: 31-1-2024

विषय:-वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन खरीद हेतु हैण्डलिंग कार्य की सम्बन्धित कृषि उपज मंडी की नवीनतम दरों के संबंध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार नेफैंड के लिए वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर रबी व खरीफ(दोनों) सीजन के लिए कृषि जिस क्रय किये जाते हैं। इस कार्य हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2024-25 में हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की जानी है। इस हेतु कृषि जिस क्रय प्रक्रिया में सम्बन्धित मंडी की हैण्डलिंग कार्य की दर आधार रखी जा रही है। राजस्थान राज्य में स्थापित सभी कृषि उपज मंडी समितियों की वर्तमान में प्रचलित नवीनतम प्रमाणित हैण्डलिंग दरों की एक-एक प्रति उपलब्ध कराने की कृपा करें। जिससे निविदा कार्य निर्धारित समय तक सम्पन्न करवाया जा सकें।

संलग्न:-प्रोफार्मा।

प्रबन्ध संचालक,राजफैंड

प्रतिलिपि:-

- 1- क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैंड समस्त को भेजकर लेख है कि आपके अधीन सभी कृषि उपज मंडी समितियों की नवीनतम प्रमाणित हैण्डलिंग दरें प्राप्त कर मुख्यालय को एक सप्ताह में भिजवाये।
- 2- उप रजिस्ट्रार,सहकारी समितियों,समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि इस कार्य हेतु आपके अधीन कृषि उपज मंडी समितियों के नवीनतम प्रमाणित हैण्डलिंग दरें प्राप्त कर सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय,राजफैंड/मुख्यालय,राजफैंड जयपुर को एक सप्ताह में उपलब्ध करावें।

वित्तीय सलाहकार,राजफैंड

25



कार्यालय कृषि उपज मंडी समिति.....राजस्थान
क्रेता/व्यापारी के खरीद जिंसों पर लगने वाले खर्चों का विवरण(हैण्डलिंग दर)

क्र.सं.	विवरण	50 किलो.ग्राम. भर्ती (कट्टे की दर)	35 किलो.ग्राम(मूंगफली) भर्ती की दर
1.	जिंस की तुलाई		
2.	कांटे से उतराई/कांटे से कट्टे की खिंचाई		
3.	कट्टे की धागे से टैग के साथ मशीन सिलाई		
4.	ट्रक लोडिंग		

नोट:- टैग की सप्लाई नहीं होने की स्थिति में कट्टों पर रंग/मार्का लगाया जायेगा, जिसकी
दर 50 पैसे प्रति कट्टा निर्धारित है।

प्रमाणित

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर प्रतिनिधि
(कृषि विपणन विभाग, राजस्थान, जयपुर)

(सचिव, कृषि उपज मंडी समिति,.....)



GST No. : 08AAAAAR0279B1ZU



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,

जयपुर-302 001

क्रमांक:फा./लेखा/2024-25/ 5773-5822

निदेशक,
कृषि विपणन निदेशालय
पत कृषि भवन,
राजस्थान-जयपुर।

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418,
0141-2740364, 2740081, 2740076
फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
E-mail : rajfed@yahoo.com

4, BHAWANI SINGH ROAD,

JAIPUR-302 001

दिनांक: 8/2/2024

स्मरण पत्र प्रथम

विषय:-वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर दलहन/तिलहन खरीद हेतु हैण्डलिंग
कार्य की सम्बन्धित कृषि उपज मंडी की नवीनतम दरों के संबंध में।

प्रसंग:-पूर्व पत्रांक: 5356-5405 दिनांक 31.01.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि भारत सरकार नेफैड के लिए वर्ष 2024-25 के लिए समर्थन मूल्य पर रबी व खरीफ(दोनों) सीजन के लिए कृषि जिंस क्रय किये जाते है। इस कार्य हेतु राज्य सरकार के निर्देशानुसार वर्ष 2024-25 में हैण्डलिंग एवं परिवहन कार्य हेतु निविदाएं आमंत्रित की जानी है। इस हेतु कृषि जिंस क्रय प्रक्रिया में सम्बन्धित मंडी की हैण्डलिंग कार्य की दर आधार रखी जा रही है। राजस्थान राज्य में स्थापित सभी कृषि उपज मंडी समितियों की वर्तमान में प्रचलित नवीनतम प्रमाणित हैण्डलिंग दरों की एक-एक प्रति उपलब्ध कराने हेतु निवेदन किया गया था।

कृपया कृषि उपज मंडी समितियों की वर्तमान नवीनतम प्रमाणित प्रचलित दरें शीघ्र ही भिजवाने का श्रम करावें।

(शक्ति सिंह राठौड़)
प्रबन्ध संचालक

प्रतिलिपि:-

1- क्षेत्रीय अधिकारी,राजफैड समस्त को भेजकर लेख है कि आपके अधीन सभी कृषि उपज मंडी समितियों की नवीनतम प्रमाणित हैण्डलिंग दरें प्राप्त कर मुख्यालय को एक सप्ताह में भिजवाने हेतु आपको पत्र लिखा गया था। लेकिन आप द्वारा आदिनांक तक एक भी समिति की दरें नहीं भिजवाई गई है।

2- उप रजिस्ट्रार,सहकारी समितियों,समस्त राजस्थान को भेजकर लेख है कि इस कार्य हेतु आपके अधीन कृषि उपज मंडी समितियों के नवीनतम प्रमाणित हैण्डलिंग दरें प्राप्त कर सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय,राजफैड/मुख्यालय,राजफैड जयपुर को एक सप्ताह में उपलब्ध करावें।

वित्तीय सलाहकार,राजफैड

GST No. : 08AAAAAR0279B1ZU

फोन/Phone : 0141-2740231, 2740439, 2740418
 0141-2740364, 2740081, 2740076
 फैक्स/Fax : 0141-2740108, 2740457, 2740026
 पीबीएक्स/PBX: 0141-2744910
 E-mail : rajfed@yahoo.com



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

4, भवानी सिंह रोड,
 जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
 JAIPUR-302 001

क्रमांक: वाणिज्य/2023-24/8059-87/9

दिनांक 13.12.2023

अति-महत्वपूर्ण

1. क्षेत्रीय अधिकारी,
 राजफेड,

(समस्त)

2. उप रजिस्ट्रार,

सहकारी समितियाँ,

जिला(समस्त)

विषय :- समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत एफ.ए.क्यू. श्रेणी का जिन्स भण्डारगृहों में जमा करवाने/नॉन एफ.ए.क्यू. स्टॉक बाबत।

प्रसंग :- 1. राजफेड का पूर्व पत्र क्रमांक 6381-6880 दिनांक 26.10.23 एवं 7627-8027 दिनांक 06.12.23
 2. नेफेड, जयपुर का पत्र क्रमांक 1320 दिनांक 07.12.2023

खरीफ 2023-24 में समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत दलहन-तिलहन की खरीद व्यवस्था के संबंध में विस्तृत आदेश प्रासंगिक पत्रों से जारी किये हुए हैं। समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत केवल मात्र एफ.ए.क्यू. श्रेणी का ही दलहन-तिलहन भण्डारण हेतु स्वीकार्य है। नॉन एफ.ए.क्यू. श्रेणी के जिन्स का भुगतान नहीं किया जावेगा।

नेफेड द्वारा संलग्न प्रासंगिक पत्र दिनांक 07.12.2023 से अवगत कराया है कि सी.डब्ल्यू.सी. भण्डारगृहों पर नेफेड द्वारा सर्वेयर नियुक्त नहीं किये गये हैं। सी.डब्ल्यू.सी. भण्डार प्रबन्धक व उनके तकनीकी सहायक द्वारा स्टॉक की जाँच कर भण्डारण करवाया जा रहा है। आर.एस.डब्ल्यू.सी. भण्डारगृहों पर नेफेड स्तर पर सर्वेयर कम्पनी की नियुक्ति प्रक्रियाधीन होने के कारण संबंधित भण्डार प्रबन्धक व उनके तकनीकी सहायक द्वारा स्टॉक की जाँच कर भण्डारण करवाया जा रहा है अर्थात् आर.एस.डब्ल्यू.सी. भण्डारगृहों पर भी नेफेड द्वारा अभी तक सर्वेयर नियुक्त नहीं किये गये हैं। अतः सभी खरीद केन्द्र यह भली भाँति सुनिश्चित कर लें कि भण्डारण हेतु भिजवाया जाने वाला दलहन-तिलहन एफ.ए.क्यू. श्रेणी का ही है। भण्डारण के दौरान यदि कोई जिन्स नॉन एफ.ए.क्यू. श्रेणी का पाया जाता है तो जिन्स का संबंधित किराने को भुगतान अथवा जिन्स वापिस लौटाने के दायित्व संबंधित समिति का होगा।

अतः आपको निर्देश दिये जाते हैं कि आपके क्षेत्र के क्रय केन्द्रों पर समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत समर्थन मूल्य दर पर मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली की खरीद में निर्धारित गुणवत्ता मापदंडों का पूर्ण ध्यान रखा जावे। निर्धारित गुणवत्ता मापदंडों के अनुरूप मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली खरीद की जिम्मेवारी सम्बन्धित समिति की होगी। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं होगी। इस संबंध में सभी केन्द्रों एवं इकाई अधिकारियों को उपरोक्तानुसार अवगत कराना सुनिश्चित करें।

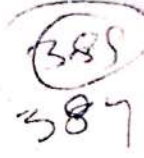
संलग्न :- उपरोक्तानुसार

rah
 (सदस्य अध्यक्ष)
 प्रबन्ध निदेशक

प्रतिलिपि :-

1. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ राजस्थान जयपुर।
2. खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, (समस्त)
3. प्रबन्ध संचालक, तिलम संघ, जयपुर।
4. अधिशासी निदेशक (व्यापार), आर.एस.डब्ल्यू.सी., जयपुर।
5. क्षेत्र प्रबन्धक, सी.डब्ल्यू.सी., जयपुर।
6. राज्य प्रमुख, नेफेड, जयपुर।

28



07/12/2023

विषय :- समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत एफ.ए.क्यू. भ्रष्टी तथा जिन्या भंडारग्रहों में जमा करवाने / नॉन एफ.ए.क्यू. स्टॉक बाबत।

प्रसंग :- वाणिज्य/2023-24/7627-8027 दिनांक 05/06/2024

महोदय,

उपरोक्त विषय अंतर्गत प्रासंगिक पत्र के संज्ञा में निवेदन है की समर्थन मूल्य योजना अंतर्गत समितियों द्वारा केवल FAQ मानक की ही जिन्स किसानों से खरीद कर अडारगृहों में जमा करवाया जाना सम्बंधित समिति व्यवस्थापक की जिम्मेदारी है। इसलिये समिति द्वारा केवल FAQ मानक का ही स्टॉक किसानों से खरीद किया जाना सनिश्चित करावे।

समर्थन मूल्य खरीद अनुबंध की बिंदु क्रमांक 18 Quality check के क्रमांक II पर अंकित विवरण इस प्रकार है :-

ii. Nafed will accept the stocks conforming to FAQ specification as per annexure "III" of this agreement. In case the quality does not conform to FAQ specification, the stocks shall not be accepted by Nafed under FSS and the SLS shall lift the rejected quantity immediately at its own cost.

भंडारगृह पर स्टॉक पाये जाने पर सम्बन्धित समिति को NON FAQ स्वयं के खर्च पर भंडारगृह से स्टॉक NON FAQ को वापस लेकर जाना है। भंडारगृह से रिटायर्ड स्टॉक NON FAQ का विवरण समिति द्वारा अपने रजिस्टर में दर्ज सम्बन्धित किसान को लौटाया जाना सुनिश्चित कर विक्रय पर्ची निरस्त करने के लिए समिति प्रबंधको को पाबन्द किया जाये। पूर्व के वर्षों में खरीफ 2022 सीजन में भंडारगृहों पर जमा के समय NON-FAQ स्टॉक समितियों को लौटाये जाने पर बार-बार पुनरावर्ती की स्थिति में इस कार्यालय द्वारा पत्र क्रमांक जय / विपणन/ मूंग स.म./2022-23/1622 दिनांक 09/12/2022 की फोटो कॉपी साथ में सलग्न कर महोदय के सूचनार्थ भिजवाई जा रही है।

आपके द्वारा भंडारगृहों पर सर्वेयर तत्काल नियुक्त कराने के लिए कहा गया है जिसके संबंध में अवगत कराना है कि पिछले दो वर्षों से CWC के भंडारगृहों पर नेफेड द्वारा सर्वेयर नियुक्त नहीं किये गये जहां पर भण्डार प्रबंधक व CWC के तकनीकी सहायक (TA) द्वारा स्टॉक की जाँच कर भण्डारित करवाया

NATIONAL AGRICULTURAL COOPERATIVE MARKETING FEDERATION OF INDIA LTD.
3rd Floor, Nehru Sahkar Bhawan, Bhawani Singh Road, JAIPUR-302001
Tel: 91-141-2740766, 2740145 Fax: 91-141-2740736
E-mail : nafjpr@nafed-india.com Website: www.nafed-india.com; Twitter: [@nafedIndia](https://twitter.com/nafedIndia)

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग

परि. २३

परि. २३

क्रमांक: सह/पी.एस.एस./2018-19/459-609

दिनांक: 06.04.2018

अतिरिक्त रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियाँ

खण्ड

विषय- सम्बंधन मूल्य योजनान्तर्गत रबी 2018 में चना सरसों की खरीद के संबंध में।
परिण- दिनांक 07.03.2018 को मुख्य सचिव राजस्थान की अध्यक्षता आयोजित विडियो
कॉन्फेरेंस के निर्णयों की क्रियान्विति

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 07.03.2018 को मुख्य सचिव राजस्थान की अध्यक्षता आयोजित विडियो कॉन्फेरेंस का कार्यवाही विवरण पत्र क्रमांक 151-321 दिनांक 03.04.2018 को द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। राजफंड से संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही सुनिश्चित करावे। कार्यवाही विवरण के बिन्दु क्रमांक 10 में यह स्पष्ट किया गया है कि खरीफ 2017 में भंडारगृहों में कृषि जिनस जमा कराते समय कई स्थानों पर गुणवत्ता संबंधी विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। अतः इसे देखते हुए रबी सीजन 2018-19 के लिए भंडारगृहों पर एफएक्यू श्रेणी के जिनस के संबंध में निम्नानुसार कमेटी गठित की जाती है-

1. आरएसडब्ल्यू/सीडब्ल्यू का प्रतिनिधि
2. नेफेड का प्रतिनिधि
3. कृषि विभाग का कृषि पर्यवेक्षक
4. संबंधित समिति व्यवस्थापक - सदस्य सचिव

वेयर हाउस में किसी भी प्रकार के रिजेशन में आवश्यक रूप से सर्वेयर से रिजेशन रिपोर्ट तैयार करवाई जावे तथा उस पर आवश्यक रूप वेयर हाउस मैनेजर के हस्ताक्षर हो ताकि कृषि जिनस भंडारण कार्य में पारदर्शिता रखी जा सके।

(अभय कुमार)

प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि :-

1. निर्जी सचिव, माननीय सहकारिता एवं गोपालन मंत्री, गणेश्वर राजस्थान जयपुर
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव कृषि, राजस्थान जयपुर
3. जिला कलेक्टर, (संबंधित)
4. महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा/कृषि/समाधान), राजस्थान जयपुर
5. अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मार्केट) सहकारी समितियाँ, राजस्थान जयपुर
6. अतिरिक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, खण्ड
7. समुक्त निदेशक (व्यापार) राजस्थान राज्य भंडार व्यवस्था निगम जयपुर
8. क्षेत्र प्रबन्धक केन्द्रीय भंडारण निगम जयपुर
9. शाखा प्रबन्धक नेफेड जयपुर
10. उप रजिस्ट्रार सहकारी समितियाँ, (संबंधित)
11. क्षेत्रीय अधिकारी राजफंड (समस्त)

07/4/18

प्रबन्ध संचालक
राजफंड

राजस्थान सरकार
सहकारिता विभाग

क्रमांक:सह/पी.एस.एस./2021-22/12957-13052

दिनांक 28.03.2022
29

कार्यालय आदेश

न्यूनतम समर्थन मूल्य योजानान्तर्गत क्रय कृषि जिन्स के भण्डारगृह में भण्डारण के दौरान गुणवत्ता संबंधी विवाद निवारण हेतु गठित कमेटी दिनांक 06.04.2018 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नानुसार 5 सदस्यीय कमेटी का गठन तुरन्त प्रभाव से किया जाता है :-

1. सहायक कृषि अधिकारी, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार - अध्यक्ष
2. क्षेत्रीय अधिकारी राजपौड़ - सदस्य
3. वेयरहाउस (आर.एस.डब्ल्यू.सी.)/सी.डब्ल्यू.सी.) प्रतिनिधि - सदस्य
4. नेफेड प्रतिनिधि - सदस्य
5. संघित सभिति व्यवस्थापक - सदस्य सचिव

गठित कमेटी द्वारा क्रय कृषि जिन्स की गुणवत्ता पर विवाद होने पर निम्न प्रक्रिया अपनायी जावे :-

1. सदस्य सचिव द्वारा कमेटी की बैठक का आयोजन किया जावेगा।
2. बैठक आयोजन के क्रम में नोटिस जारी किया जावेगा जिसमें तिथि, समय व विवाद विवरण का उल्लेख होगा।
3. बैठक में कमेटी के सभी सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
4. वेयरहाउस व नेफेड के अधिकृत अधिकारी द्वारा ही प्रतिनिधि नामित किये जा सकेंगे।
5. गुणवत्ता के क्रम में बहुमत से लिया गया निर्णय मान्य होगा।
6. क्रय कृषि जिन्स गुणवत्तायुक्त नहीं पाये जाने पर कारण का उल्लेख करना अनिवार्य होगा।
7. वेयरहाउस में गुणवत्तायुक्त कृषि जिन्स का ही भण्डारण किया जा सकेगा।
8. गठित कमेटी अन्यथा रिधति यथा भंग या संशोधन न होने की स्थिति में यथावत कार्य करती रहेगी।
9. क्रय कृषि जिन्स की गुणवत्ता के क्रम में सदस्य कमेटी के मध्य गतांतर होने पर सभी सदस्यों के अभिमत कार्यवाही में अंकित किये जावे।
10. कमेटी की बैठक में सामन्त कार्यवाही से नेफेड व राजपौड़ को तत्काल अवगत कराया जावे।
11. कमेटी आवश्यक समझे तो संबंधित क्षेत्र के प्रगतिशील कृषकों को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में आमंत्रित कर सकेंगे लेकिन विशेष आमंत्रित सदस्य को मताधिकार नहीं होगा।

(26)

(दिनेश कुमार)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिनिधि : सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निजी सचिव, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।

राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.10(2)कृषि/ग्रुप-2/75

जयपुर, दिनांक:

अधिसूचना

राजस्थान कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1961 की धारा 17-ए तथा धारा 40-ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लिमिटेड (राजफैड) के माध्यम से दलहन, तिलहन की खरीद समर्थन मूल्य पर किए जाने पर वर्ष 2024-25 के खरीफ सीजन में खरीद अवधि तक के लिए उक्त खरीद पर राज्य की मण्डी समितियों को देय कृषक कल्याण फीस एवं मण्डी शुल्क से छूट प्रदान की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अशोक कुमार मीना)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग, राजस्थान, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के माध्यम से प्रकाशनार्थ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, कृषि विपणन (माननीय मुख्यमंत्री महोदय), राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग।
5. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विपणन विभाग।
6. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग।
7. निदेशक, कृषि विपणन विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. प्रमुख निदेशक, राजफैड, जयपुर।
9. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त/उप निदेशक, कृषि विपणन विभाग।
10. समस्त सचिव, कृषि उपज मण्डी समिति, राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ashok Kumar Meena
Designation : Deputy Secretary To
Government
Date: 2024.09.03 15:49:40 IST
302005

Room No. 5227, Second Floor, Main Building, Government of Rajasthan, Jaipur

Phone No. 0141-2221826/2223267 E-mail - agri.group2@gmail.com

परिशिष्ट - 26

समर्थन मूल्य पर खरीद खरीफ वर्ष 2024-25 का स्टॉक प्रमाण पत्र

दिनांक

क्र.स.	जिन्स	पूर्व की खरीद		आज दिनांक की खरीद		कुल खरीद		वेयर हाउस में जमा		समिति पिड पर समिति की कस्टडी में		कुल वेयर हाउस में जमा एवं समिति के पिड पर	
		कट्टे	वजन	कट्टे	वजन	कट्टे	वजन	कट्टे	वजन	कट्टे	वजन	कट्टे	वजन
1	2	3	4	5	6	7 (3+5)	8 (4+6)	9	10	11	12	13 (9+11)	14 (10+12)
1.	मूंग												
2.	उड़द												
3.	नूगफली												
4.	सोयाबीन												
योग-													

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार (अनु०-३) विभाग

क्रमांक:प. 6(13)प्र.सु./अनु.-३/2018

जयपुर, दिनांक 17.4.2018

-आज्ञा:-

समर्थन मूल्य पर विभिन्न कृषि जिनसों की खरीद के शुचारु किश्यान्वयन हेतु निम्नांकित चार समितियों का गठन निम्नानुसार किया जाता है:-

(अ) राज्य स्तरीय स्टैयरिंग कमेटी

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर	अध्यक्ष
2	महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
3	अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
4	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
5	प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
6	शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
7	रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
8	प्रबन्ध संचालक, आरएसडब्ल्यूसी, जयपुर	सदस्य
9	शाखा प्रबन्धक, नेफेड, जयपुर	सदस्य
10	प्रबन्ध संचालक, राज. रा. सह. बैंक लि.(अपेक्स बैंक), जयपुर	सदस्य
11	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सीडब्ल्यूसी, जयपुर	सदस्य
12	प्रबन्ध संचालक, रा.रा.स.क.वि.सं.लि.(राजफेड), जयपुर	सदस्य सचिव

(ब) समर्थन मूल्य पर खरीद की दिन प्रतिदिन की समस्याओं के निस्तारण एवं निगरानी हेतु राज्य स्तरीय समन्वय कमेटी

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान, जयपुर	अध्यक्ष
2	प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
3	महानिरीक्षक, पुलिस (लॉ एण्ड आर्डर) राजस्थान, जयपुर	सदस्य
4	शासन सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
5	प्रबन्ध संचालक, रा.रा.स.क.वि.सं.लि.(राजफेड), जयपुर	सदस्य
6	अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय), सहकारी समितियों, राज., जयपुर	सदस्य
7	अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मार्क.), सहकारी समितियों, राज., जयपुर	सदस्य
8	प्रबन्ध संचालक, राज. रा. सह. बैंक लि.(अपेक्स बैंक), जयपुर	सदस्य
9	अतिरिक्त निदेशक, कृषि, राजस्थान, जयपुर	सदस्य
10	अधिशामी निदेशक, आरएसडब्ल्यूसी, जयपुर	सदस्य
11	क्षेत्रीय प्रबन्धक, सीडब्ल्यूसी, जयपुर	सदस्य
12	शाखा प्रबन्धक, नेफेड, जयपुर	सदस्य
13	महाप्रबन्धक, वित्त, राजफेड, जयपुर	सदस्य
14	महाप्रबन्धक, वाणिज्य, राजफेड, जयपुर	सदस्य सचिव

(स) जिला स्तर पर समर्थन मूल्य पर खरीद में समस्याओं के सुगम निराकरण हेतु जिला स्तरीय समन्वय एवं निगरानी समिति

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	जिला कलेक्टर, संबंधित जिला	अध्यक्ष
2	पुलिस अधीक्षक, संबंधित जिला	सदस्य
3	अतिरिक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां एवं पदेन प्रगारी अधिकारी क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड	सदस्य
4	जिला रसद अधिकारी, संबंधित जिला	सदस्य
5	निकटस्थ कय-विकय सहकारी समिति (के.वी.एस.एस.) का एक प्रतिनिधि	सदस्य
6	उप निदेशक, कृषि विभाग	सदस्य
7	प्रतिनिधि, आरएसडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी	सदस्य
8	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	सदस्य सचिव

(द) खरीद केन्द्र के स्तर पर समर्थन मूल्य की खरीद के में आने वाली समस्याओं के सुगम निराकरण हेतु खरीद केन्द्र समन्वय एवं निगरानी समिति

क्र.सं.	सदस्य	पद
1	संबंधित उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2	जिला रसद अधिकारी	सदस्य
3	उप पुलिस अधीक्षक/थाना इन्चार्ज (संबंधित)	सदस्य
4	उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां	सदस्य
5	प्रतिनिधि आरएसडब्ल्यूसी/सीडब्ल्यूसी	सदस्य
6	सचिव, कृषि उपज मण्डल समिति	सदस्य
7	के सी एस एस/खरीद केन्द्र का व्यवस्थापक	सदस्य सचिव

उक्त समितियों का प्रशासनिक विभाग सहकारिता विभाग है।

आज्ञा से,

 (डॉ० प्रेम सिंह चौरण)
 संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल/माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, सहकारिता मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त/कृषि विभाग।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता विभाग।
6. निजी सचिव, खाद्य विभाग, राजस्थान।
7. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, सहकारिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, राजस्थान, जयपुर।
10. समस्त जिला कलेक्टर।
11. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद।
12. समस्त कोषाधिकारी, संबंधित जिला।
13. समस्त उप/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां।
14. प्रबन्ध संचालक आरएसडब्ल्यूसी/राजफैड/अपेक्स बैंक, जयपुर।
15. रक्षित पत्रावली। संदर्भ सं. प.७(११)रा.७/२०१०/८८८-१


 17/4/18
 (के.के.खण्डेजवाल)
 अनुभाग अधिकारी

परिशिष्ट-28

॥ कार्यालय महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर ॥
कमांक:-व-15(11) कानून-व्यवस्था/2018-23/376

दिनांक:-20.3.

समस्त पुलिस अधीक्षक, राजस्थान।
समस्त उपायुक्त जयपुर/जोधपुर।

विषय:-समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत रबी 2023-24 में चना-सरसों के
केन्द्रों के संबंध में।

प्रसंग:- राजस्थान राज्य सहकारी, कृषि-विक्रय संघ लि. के पत्र कमांक
5768-6488 दिनांक 17.03.23 के क्रम में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में निर्देशानुसार लेख है
कि रबी फसल 2023-24 में समर्थन मूल्य पर चना-सरसों की खरीद हेतु कृषि केन्द्रों
पर लाया जायेगा। उक्त खरीद के दौरान कृषि केन्द्रों पर किसी प्रकार की
कानून-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो इस संबंध में आपके जिलों के कृषि केन्द्रों पर
फसल खरीद के दौरान आवश्यक पुलिस प्रबन्ध किया जाकर कानून-व्यवस्था बनाये
रखना सुनिश्चित करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार

हिम्मत अभिलाष टाक, IPS
पुलिस अधीक्षक,
कानून-व्यवस्था, राज0, जयपुर।

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
2. समस्त रेंज महानिरीक्षक पुलिस, राजस्थान।
3. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य सहकारी कृषि-विक्रय संघ लि. जयपुर को प्रासंगिक पत्र के क्रम में।

Signature valid

Digitally signed by Himmat Abhilash
Tak
Designation: Superintendent Of Police
Date: 2023.03.20 17:22:30 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3439689



राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग

क्रमांक : 2020-21/14706-14793

दिनांक 16.10.2020

जिला कलक्टर,

21

.....(सम्बन्धित)

विषय: समर्थन मूल्य योजनान्तर्गत खरीद वर्ष 2020 में मूंग, उड़द मूंगफली एवं सोयाबीन की खरीद केन्द्रों पर सुचारु खरीद व्यवस्था हेतु।

महोदय,

राजफैड द्वारा राज्य में समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द एवं सोयाबीन की दिनांक 01.11.2020 एवं मूंगफली की खरीद दिनांक 18.11.2020 से आरम्भ की जानी है। किसानों के ऑनलाईन पंजीयन दिनांक 20.10.2020 से आरम्भ किये जा रहे हैं।

कय केन्द्रों के सुचारु क्रियान्वयन एवं मौके पर आने वाली समस्याओं के सुगम निराकरण हेतु खरीद केन्द्रों के स्तर पर प्रशासनिक सुधार विभाग (अनु-3) राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प 6(13) प्र.सु./अनु-3/2018 दिनांक 17.04.2018(संलग्न) के अनुसार समिति गठित की गई है। उक्त समन्वय एवं निगरानी समिति को आपके स्तर से सक्रिय करने हेतु निर्देश जारी करावें एवं साप्ताहिक रूप से इसकी रिपोर्ट प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करावें।

राजस्व संबंधी समस्याओं के निराकरण के लिए खरीद के दौरान प्रत्येक कय केन्द्रों पर एक नायब तहसीलदार/गिरदावर मय हल्का पटवारी की नामजद ड्यूटी लगाई जावें, जो कि खरीद के दौरान कय केन्द्रों पर उपस्थित रहेंगे एवं कय केन्द्रों पर उत्पन्न होने वाली समस्याओं का मौके पर ही निराकरण करेंगे। इन कय केन्द्रों पर कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रत्येक केन्द्र पर 1-4 का पुलिस बल भी लगाया जावें। सम्बन्धित जिला कलक्टर साप्ताहिक रिपोर्ट प्रबन्ध संचालक, राजस्थान राज्य सहकारी कय-विकय संघ लि. (राजफैड) को भी भिजवाना सुनिश्चित करें।

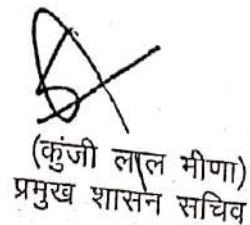
समर्थन मूल्य पर दलहन तिलहन खरीद का कार्य महत्वपूर्ण प्रकृति का है। आगामी दिनों में राज्य में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। खरीद कार्य में राजफैड, कय विकय सहकारी समितियों, सहकारी विभाग के अधिकारियों को चुनाव ड्यूटी से मुक्त रखा जाना है। संबंधित जिला कलक्टरस द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखते हुए व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करावें।

भवदीय,


मुख्य सचिव

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख शासन सचिव, कृषि राजस्थान सरकार, जयपुर
2. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, राजस्थान, जयपुर-गत सीजन में जो केन्द्र संवेदनशील रहे हैं, उन पर विशेष निगरानी की व्यवस्था करवायी जावे।
3. उप-प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. अतिरिक्त/संयुक्त रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों.....खण्ड.....
5. उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों.....
6. क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड (समस्त).....
7. प्रचार अधिकारी, सहकारी विभाग, जयपुर।


(कुंजी लाल मीणा)
प्रमुख शासन सचिव

बैनर का प्रारूप

क्रय-विक्रय सहकारी समिति लि.....जिला

किसान द्वारा वहनीय खर्चों की राशि समिति में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जावे।

समर्थन मूल्य पर मूंग, उड़द, सोयाबीन एवं मूंगफली खरीफ वर्ष 2022-23 क्रय केन्द्र
 समर्थन मूल्य दर मूंग- 8682/- रु. किंवटल, उड़द 7400/- रु. किंवटल, सोयाबीन-4892/- रु.
 किंवटल, एवं मूंगफली-6783/-रु. किंवटल

दलहन एवं तिलहन की एफ.ए.क्यू. किस्म के भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदण्ड निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	मापदण्ड	दलहन (मूंग - उड़द)%	तिलहन (सोयाबीन - मूंगफली)%
1	विजातीय तत्व, धूल मिट्टी ग्रस्त		
2	अन्य अनाज दाने - जैसे तोरिया		
3	टूटे फूटे दाने		
4	मामूली कस से क्षतिग्रस्त व बदरंग		
5	अपरिपक्व एवं टूटे हुये सिकुड़े व कच्चे दाने		
6	अन्य किस्म व मिले हुये		
7	दबे हुये व घुने दाने		
8	नमी की मात्रा		

- कृपया कृषक अपनी फसल को साफ व सुखाकर उक्त मापदण्डों की किस्म ही विक्रय हेतु लावें। एफ.ए.क्यू. का दायित्व स्वयं कृषक को होगा।
- कृषक अपनी जिन्स के विक्रय हेतु जनआधार कार्ड, गिरदावरी मूल, बैंक पासबुक व रजिस्ट्रेशन साथ लावे।
- उपरोक्त बिन्दु 1 से 8 भारत सरकार द्वारा घोषित मापदण्डों की परिभाषा के अधीन स्वीकार्य सीमा तक मान्य है।

जिन्स छनाई से लेकर कांटे पर बोरी रखाई तक के

किसान द्वारा वहनीय खर्चों की राशि का योग-

गतिविधि

दर प्रति कट्टा

1.उतराई

.....

2. छनाई

.....

3. भराई

.....

4. कांटे पर रखाई

.....

किसान द्वारा स्वयं सम्पन्न गतिविधि का चार्ज वसूल योग्य नहीं होगा।

व्यवस्थापक का नाम

मोबाईल नम्बर

केन्द्र प्रभारी का नाम

मोबाईल नम्बर

उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ.....

नाम.....

मोबाईल नम्बर

क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड.....

मोबाईल नम्बर

राजफैड टोल फ्री नम्बर 18001806001

मेल आई.डी. rajfed@yahoo.com



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

भवानी सिंह रोड,
जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
JAIPUR-302 001
दिनांक 09.11.2020

क्रमांक : वाणिज्य/2020-21/15988-16388

1. खण्डीय अतिरिक्त रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियों राजस्थान,
.....।
2. उप रजिस्ट्रार,
सहकारी समितियों,
जिला.....।
3. व्यवस्थापक/केन्द्र प्रभारी,
क्रय-विक्रय सहकारी समिति,
.....।

विषय :- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि जिनसों की खरीद हेतु अधिकारियों/कार्मिकों के दायित्व निर्धारण बाबत।

प्रसंग :- राजफैड का पत्र क्रमांक 14671-14680 दिनांक 20.10.20

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि जिनसों की खरीद में राजफैड के साथ-साथ सहकारी विभाग, क्रय-विक्रय सहकारी समितियों एवं ग्राम सेवा सहकारी समितियों (सहकार कृषक नित्र) की मुख्य भूमिका होती है। खरीद हेतु समय-समय पर सहकारी विभाग एवं राजफैड द्वारा सरकार/नेफेड के निर्देशानुसार आदेश/निर्देश जारी किये जाते हैं ताकि किसानों से कृषि जिनसों की खरीद सुगमता से एवं पारदर्शी तरीके से हो सके। खरीद संबंधी कार्यों को सुगमतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु दायित्वों का निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है :-

(अ) इकाई अधिकारी (जिले का उप रजिस्ट्रार) के दायित्व

1. खरीद प्रारंभ होने से पूर्व कृषि जिनसों के तहसीलवार बुवाई एवं उत्पादन के आंकड़ें जिला कलक्टर के माध्यम से भिजवाना।
2. खरीद प्रारंभ होने से पूर्व खरीद केन्द्रों की सूची एवं तहसीलवार मैपिंग की सूचना जिला कलक्टर के माध्यम से भिजवाना तथा खरीद केन्द्रों पर खरीद हेतु आधारभूत सुविधाएँ यथा पूर्णकालिक व्यवस्थापक, पर्याप्त स्टाफ, गोदाम की उपलब्धता, खरीद हेतु पक्का एवं कवर्ड प्लेटफार्म, इलेक्ट्रॉनिक कांटा, बैग कैगरा, कम्प्यूटर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक मशीन, इनवर्टर एवं माल की सुरक्षा हेतु इंतजाग आदि व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करना।
3. खरीद प्रारंभ होने से पूर्व निर्धारित खरीद केन्द्रों के केन्द्र प्रभारी एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर की एरा.एस.ओ. आई.डी. राजफैड के दिशा-निर्देश अनुसार भिजवाना।
4. विभाग के निर्देशानुसार प्रत्येक क्रय-विक्रय सहकारी समिति में एक-एक पूर्णकालिक मुख्य कार्यकारी अधिकारी का पदस्थापन सुनिश्चित करना। जहाँ एक क्रय-विक्रय सहकारी समिति के एक से अधिक खरीद केन्द्र हैं वहाँ पृथक से विभाग के कार्मिक को लगाना।
5. राजफैड द्वारा खरीद के संबंध में समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित करना।
6. खरीद के संबंध में किसी भी प्रकार की शिकायतें प्राप्त होने पर संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी से सगन्ध कर उनका समाधान करना/करवाना तथा अनियमितताओं के संबंध में संबंधित के खिलाफ नियमानुसार कार्यवाही करना/कार्यवाही के निर्देश प्रदान करना।
7. खरीद के दौरान खरीद की गई जिनसों का नियमित रूप से भण्डारण होना सुनिश्चित करना, बारदाना का खरीद के अनुपात में अनुमानित स्टॉक की उपलब्धता सुनिश्चित करना।



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

भवानी सिंह रोड,
 जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
 JAIPUR-302 001

8. खरीद के दौरान खरीद केन्द्रों का नियमित पर्यवेक्षण करना जिसमें प्रमुख रूप से जिन्सों की गुणवत्ता, निर्धारित वजन, कृषकों से टेण्डर के अनुसार निर्धारित मजदूरी राशि की वसूली सुनिश्चित करना एवं कृषकों के दस्तावेजों की रैण्डम चेकिंग करना।
9. भण्डारित जिन्सों की भण्डारण रसीदें राजफेड को भिजवाया जाना सुनिश्चित करना।

(ब) समिति मुख्य व्यवस्थापकों के दायित्व

1. समिति मुख्य व्यवस्थापक न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कृषि जिन्सों की खरीद हेतु राजफेड द्वारा जारी खरीद निर्देशों की शत-प्रतिशत पालना सुनिश्चित कराते हुए आवश्यक व्यवस्थाएँ करेंगे ताकि खरीद सुगमता से एवं पारदर्शी तरीके से हो सके।
2. हैण्डलिंग एवं परिवहन के टेण्डर आमंत्रित करना।
3. मुख्य व्यवस्थापक समिति स्तर पर कृषकों से जिन्स क्रय करने से लेकर जिन्स वेयरहाउस में जमा करवाकर एफ.ए.क्यू. बिना रिमार्क की भण्डारण रसीद राजफेड में जमा कराना।
4. खरीद/हैण्डलिंग एवं परिवहन के बिल समय पर राजफेड में जमा कराने तक के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(स) केन्द्र प्रभारी के दायित्व

1. राजफेड द्वारा खरीद हेतु कृषकों को भेजे गए संदेशों के प्राथमिकता के आधार पर पंजीकृत कृषकों से निर्धारित दस्तावेजों को चेक कर रिकॉर्ड में सुरक्षित रखना, किसान से जिन्स की खरीद मात्रा का निर्धारण क्रय केन्द्र पर कृषक द्वारा प्रस्तुत गिरदावरी की हार्ड कॉपी से मिलान के आधार पर तय करना।
2. निर्धारित रजिस्टर संधारित करना, बटाईदार कृषकों से खरीद के दस्तावेज एवं रिकॉर्ड पृथक से संधारित करना तथा राजफेड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार गिरदावरी चेक कर गिरदावरी सत्यापित करना।
3. कृषकों से निर्धारित गुणवत्ता मापदण्डों के अनुसार जिन्स क्रय करना, नॉन एफ.ए.क्यू. जिन्सों का कारण अंकित करते हुए रिजेक्शन रजिस्टर में प्रविष्टि करना, रिजेक्शन रिलप किसान को जारी करना तथा सैम्पल रखना।
4. गुणवत्ता विवाद की स्थिति में राजफेड द्वारा निर्धारित कमेटी की बैठक बुलाने की कार्यवाही करना/करवाना।
5. बारदाने का रिकॉर्ड रखना एवं आवश्यकतानुसार बारदाने की मांग राजफेड को भिजवाना, निर्धारित मापदण्डों के अनुसार बारदाना प्राप्त नहीं होने पर पंचनामा कमेटी की बैठक बुलवाकर निर्धारित समयवधि में राजफेड को लिखित में अवगत करवाना।
5. बोरियों पर मार्का निर्धारित प्रारूप में लगवाना। बोरियों में जिन्स की गानक भर्ती एवं मशीन से ही सिलाई करवाना।
6. इलेक्ट्रॉनिक तराजू का खरीद से पूर्व प्रमाणीकरण करवाना, गॉइश्चर मीटर से जिन्सों की नमी मापना, क्रय जिन्सों की सुरक्षा व्यवस्था करना।
7. हैण्डलिंग एवं परिवहनकर्ता को प्रतिदिन खरीद की गयी जिन्सों को भण्डार गृह में जमा करवाने हेतु सुपुर्द करते हुए उसकी रसीद /बिल्टी प्राप्त करना, गेटपास जारी करना, ई-वे बिल जारी करवाना, एफ.ए.क्यू. बिना रिमार्क की भण्डारण रसीद राजफेड में जमा करवाना। प्रतिदिन डे-क्लोज करना।

(द) कंप्यूटर ऑपरेटर के दायित्व

1. राजफेड द्वारा निर्धारित दस्तावेज किसानों से मूल रूप में प्राप्त कर पत्रावली में रखना।
2. नियमानुसार क्रय की गयी जिन्सों का ऑनलाइन विक्रय बिल जारी करना, क्रय रजिस्टर एवं विक्रय बिल पर किसान के हस्ताक्षर करवाना।



राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि. RAJASTHAN STATE CO-OPERATIVE MARKETING FEDERATION LTD.

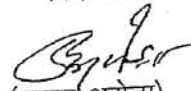
4, भवानी सिंह रोड,
 जयपुर-302 001

4, BHAWANI SINGH ROAD,
 JAIPUR-302 001

3. किसान का बायोमैट्रिक सत्यापन करना। किसान का पंजीयन उरी तहसील का होना सुनिश्चित करना जिसमें तुलाई करवायी जा रही है। मोबाईल नम्बर तथा किसान के बैंक खाते का विवरण जनआधार में दर्ज खाते के विवरण से मिलान करना।
4. बटाईदार की स्थिति में इकरारनामा की वैधता जाँच कर पृथक रूप से रखे गये रजिस्टर में प्रविष्टि कर हस्ताक्षर करवाना।
5. किसानों से राजफैड द्वारा दिये गये ऑनलाईन मैसेजों के आधार पर प्राथमिकता से खरीद/बिल जारी करना।

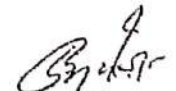
समर्थन मूल्य पर कृषि जिनस खरीद कार्य को सफलतापूर्वक सम्पन्न करने हेतु आपसे अपेक्षा की जाती है कि आपसी समन्वय स्थापित करवाते हुए अपना पूर्ण योगदान प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे।

भवदीया


 (सुषमा अरोड़ा)
 आई.ए.एस.
 प्रबन्ध संचालक

प्रतिलिपि :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय सहकारिता मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, सहकारिता, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. रजिस्ट्रार, सहकारी समितियों, राजस्थान, जयपुर को राजफैड के प्रासंगिक पत्र दिनांक 20.10.20 की ओर ध्यानाकर्षित कर अनुरोध है कि संबंधित अधिकारियों को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु पाबंद करने का श्रम करें।
4. जिला कलक्टर।
5. महाप्रबन्धक(वित्त/कृषि/वाणिज्य/मा.स.वि.), राजफैड, जयपुर।
6. क्षेत्रीय अधिकारी, राजफैड।
7. शाखा प्रबन्धक, नेफेड, जयपुर।
8. आई.टी. शाखा राजफैड, जयपुर।
9. प्रचार अधिकारी, सहकारी विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।


 प्रबन्ध संचालक

राजस्थान राज्य सहकारी क्रय-विक्रय संघ लि०

क्रय केन्द्र का विजिट किये जाने हेतु विजिट रिपोर्ट प्रारूप

1. विजिटकर्ता अधिकारी का नाम एवं पदनाम
2. क्रय केन्द्र का नाम
3. विजिट किये जाने की दिनांक
4. विजिट दिनांक तक की गई कुल खरीद जमा एवं शेष (बैग्स की संख्या)

क्र.सं.	जिन्स का नाम	कुल खरीद(बैग्स)	जमा	शेष	विशेष विवरण
1					
2					
3					
4					

5. बटाईदार से खरीद का सत्यापन

क्र.सं.	जिन्स का नाम	बटाईदार कृषकों की संख्या जिन्से विजिट दिनांक तक खरीद की गयी है	विजिट दिनांक तक बटाईदार कृषकों से क्रय किए गए जिन्स के दस्तावेजों के सत्यापन की संख्या	यदि कोई असमानता पायी जाती है तो उसका स्पष्ट विवरण पृथक से संलग्न करें।
1				
2				
3				
4				

6. गुणवत्ता संबंधी मूल्यांकन

.....

.....

.....

7. तौल संबंधी मूल्यांकन

.....

.....

.....

8. बारदाने संबंधी मूल्यांकन

क्र.सं.	जिन्स का नाम	केन्द्र पर प्राप्त कुल बारदाना (संख्या)	उपयोग में लिया गया बारदाना (संख्या)	शेष बारदाना (संख्या)	विशेष विवरण
1					
2					
3					
4					

9. खरीद किये जा चुके माल की सुरक्षा हेतु किये गये प्रबंध

.....

.....

.....

10. कृषकों की पहचान बाबत मूल्यांकन

.....

.....

.....

11. रिजेक्शन संबंधी मूल्यांकन

.....

.....

.....

12. क्रय केन्द्र की साफ-सफाई, रोशनी/पेयजल एवं कोविड-19 से संबंधित व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे एवं क्रय केन्द्र पर लगाये जाने वाले बैनर्स आदि की व्यवस्था तथा किसान से वसूली योग्य राशि अंकित करे। (बैनर्स की फोटो संलग्न करे)

.....

.....

.....

13. तीन कृषकों से लिये गये बयान संलग्न करे एवं यदि कोई कृषकों की समस्या हो तो उसका विवरण दें।

14. केन्द्र पर खरीदे गए माल का उठाव/ट्रांसपोर्टेशन सही तरीके से हो रहा है अथवा नहीं का विवरण(आदेश/वर्कऑर्डर की फोटो प्रति सहित)

15 . विशेष विवरण

विजिटकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर